Par. S. 17. 1. 12. 52
285

खंड १

संख्या १२

सत्यमेव जयते

मंगलवार,

३ जून, १९५२

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पहला सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग ६३३—६७८]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग ६७८—६९८]

(मूल्य ४ आने)

231 PSD;

लोक सभा

मंगलवार, ३ जून, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री एन० एस० नायर: श्रीमान्, सूचना के लिये मैं यह ज्ञात कर सकता हूं कि क्या लोक सभा सचिवालय अथवा अध्यक्ष, बिना कारण बताये प्रश्नों के पूछे जाने की आज्ञा देना अस्वीकृत कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य को विदित होना चाहिये कि लोक सभा के सचिव महोदय प्रश्न पूछे जाने की आज्ञा नहीं देते हैं और न ही प्रश्नों को अस्वीकार करते हैं । प्रश्न पूछे जाने की कार्यवाही सभी सदस्यों को मालूम होनी चाहिये । सचिव महोदय प्रश्नों को देखते हैं, उन की जांच पड़ताल करते हैं, और यदि आवश्यकता हुई तो उन में संशोधन करते हैं, किन्तु यह सब बातें सिपारिश के रूप में अध्यक्ष के पास भेजी जाती हैं । अध्यक्ष ही अन्तिम रूप से प्रश्नों के पूछे जाने की आज्ञा दिया करता है, अथवा उन्हें अस्वीकार करता है, इसके साथ ही मैं माननीय सदस्य को इस बात का विश्वास दिला सकता हूं कि मैं

उन प्रश्नों पर केवल हस्ताक्षर ही नहीं किया करता हूं । मेरे लिये तो प्रश्नों का यह काम बहुत ही बोझिल है; मुझे सैंकड़ों प्रश्नों का अध्ययन करना पड़ता है, उन की भाषा की जांच करनी पड़ती है, यह देखना पड़ता है कि क्या वह स्वीकार्य हैं, और इसी प्रकार के अन्य काम करने पड़ते हैं । माननीय सदस्य को अब, जब कि इस मामले का स्पष्टीकरण हो चुका है, अपनी धारणा बदलनी चाहिये ।

श्री एन० एस० नायर: क्या मैं इस बात का कारण जान सकता हूं कि मेरे प्रश्न क्यों अस्वीकार किये गये हैं ?

अध्यक्ष महोदय: जी हां । यदि कोई भी सदस्य असन्तुष्ट हो और कारण जानना चाहे तो उसे पहले सचिव से पूछना चाहिये; और यदि उस माननीय सदस्य को फिर भी सन्तोष न हो तो वह मेरे कमरे में आकर मुझ से पूछ सकता है ।

श्री एन० एस० नायर: एक प्रश्न के सम्बन्ध में मैं ने सचिव से पूछा था और मुझे बताया गया कि अध्यक्ष महोदय ने वह प्रश्न स्वीकार नहीं किया है । कुछ अन्य प्रश्न भी हैं जिन के पूछे जाने की आज्ञा नहीं दी गई है और न इस अस्वीकृति के कारण ही बताये गये हैं.....

अध्यक्ष महोदय: सामान्य रूप से किसी भी बात के सम्बन्ध में तर्क करने से कोई लाभ नहीं है । वह ऐसी किसी भी विशेष

बात के सम्बन्ध में अपना अनुभव बतायें जिस में उन्हें सचिव के उत्तर से संतोष न हुआ हो। मैं भी यदि प्रत्येक प्रश्न पर पुनः विचार करने बैठूं तो मुझे सदन में काम करने के लिये समय ही नहीं मिलेगा, कदाचित् सारा समय कमरे में बैठ कर प्रश्नों के पुनः विचार पर ही लगाना पड़ेगा। मैं तो इस समय विस्तार में नहीं जा सकता किन्तु यह बताना चाहता हूं कि अनेक कारणों से प्रश्न अस्वीकार किये जाते हैं। मैं मानता हूं कि उन्हें प्रश्न अस्वीकृत किये जाने के कारण जानने का अधिकार है किन्तु उन्हें यह भी मालूम् होना चाहिये कि प्रश्नों के स्वीकार अथवा अस्वीकार किये जाने में अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम हुआ करता है, और उन्हें इस निर्णय को पालनीय समझ कर स्वीकार करना चाहिये।

दियासलाई उद्योग

*३८२. **श्री एस० एन० दास:** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि केन्द्रीय उत्पादकर अधीक्षक, लहेरियासराय, ने नेपाल स्थित जयनगर को दियासलाइयां निर्यात किये जाने की आज्ञा दी थी, और छूट देने के लिये प्रमाणीकरण करने के काम पर स्थानीय निरीक्षक को नियुक्त किया था ;

(ख) क्या यह तथ्य है कि मिथिला मैच कम्पनी ने दियासलाइयां निर्यात कीं और निरीक्षक तथा नेपाल आगम शुल्क कार्यालय के निर्यात प्रमाणपत्र पेश किये, किन्तु फिर भी उसे कोई छूट नहीं मिली ;

(ग) क्या यह तथ्य है कि समुद्र आगम शुल्क पत्तन पर लिये जाने वाले आयात शुल्क में रियायत देने के प्रयोजन से उक्त केन्द्रीय उत्पादकर कर्मचारी वर्ग के नियमों के अन्तर्गत जयनगर को स्थलीय आगम शुल्क चौकी भी बनाया गया है ; और काम का प्रमाणीकरण स्थानीय कर्मचारी वर्ग द्वारा रजिस्टर में दर्ज होने के साथ ही होता है ;

(घ) क्या यह तथ्य है कि भारतीय दियासलाई कम्पनियों को जयनगर चौकी से होकर जाने वाली दियासलाई पर केन्द्रीय उत्पादकर शुल्क सम्बन्धी यह सुविधा नहीं दी जाती है ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी): मेरा अनुमान है कि माननीय सदस्य दियासलाइयों के उन खेपों की ओर निर्देश कर रहे हैं जो मिथिला मैच फ़ैक्टरी द्वारा सन् १९५० के प्रारम्भिक महीनों में नेपाल को निर्यात किये गये थे, और जिन के सम्बन्ध में केन्द्रीय उत्पादकर विभाग ने इस आधार पर उत्पादकर की छूट देना अस्वीकार किया था कि उन नियत निर्यात आवेदन-पत्रों पर काठमाण्डू स्थित भारतीय दूतावास के प्रतिहस्ताक्षर नहीं थे, जैसा कि केन्द्रीय उत्पादकर नियम, १९४४ के अन्तर्गत होना आवश्यक था। प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है:

(क) जी हां; जयनगर में नियुक्त किये गये केन्द्रीय उत्पादकर निरीक्षक ने उक्त खेपों की दियासलाइयों की पड़ताल की थी, और नेपाल को निर्यात किये जाने से पहले उन बण्डलों पर केन्द्रीय उत्पादकर विभाग की मुहरें लगी हुई देखी थीं; और उस ने निर्यात आवेदनपत्रों पर इस बात का प्रमाणीकरण भी किया था।

(ख) जी हां; किन्तु नियम के अनुसार काठमाण्डू स्थित भारतीय दूतावास के नियत प्रमाणपत्र के अभाव में, जयनगर के केन्द्रीय उत्पादकर विभाग के निरीक्षक एवं नेपाल के आगमशुल्क अधिकारियों के प्रमाणपत्र छूट दिलाने के लिये पर्याप्त नहीं थे।

(ग) भारत तथा नेपाल सरकारों के बीच हुई व्यापार एवं वाणिज्य सन्धि के अनुसार १ नवम्बर, १९५० से, भारतीय राज्य-क्षेत्र में हो कर, नेपाल से भारत तथा भारत से नेपाल वस्तुयें लाने ले जाने का काम नियमित रूप से चालू रखने के अभिप्राय से जयनगर तथा अन्य स्थानों पर सीमान्त चौकियां स्थापित की गई थीं। चूंकि नेपाल सरकार उक्त संधि के अन्तर्गत कई प्रशासनीय व्यवस्थाओं को पूरा नहीं कर सकी, अतः वह चौकियां नहीं चल सकीं। जयनगर तथा नेपाल सीमान्त के अन्य स्थानों पर स्थापित आगम शुल्क चौकियां अब भी बन्द पड़ी हैं, और समुद्री आगमशुल्क पत्तनों पर लिये जाने वाले आयात शुल्क पर केवल तभी छूट दी जाती है जब काठमाण्डू स्थित भारतीय दूतावास के समक्ष वह वस्तुएं पेश की जाती हैं।

(घ) भारत में बनाई जाने वाली और नेपाल को निर्यात की जाने वाली दियासलाइयों पर, यदि केन्द्रीय उत्पादकर नियम, १९४४ में नियत प्रक्रिया के अनुसार उन के निर्यात का प्रमाण प्रस्तुत किया गया हो तो उत्पादकर की छूट दी जाती है। वस्तुओं को दिखा कर प्रमाणित करवाने के लिये काठमाण्डू स्थित भारतीय दूतावास के समक्ष इन वस्तुओं का पेश किया जाना इस प्रक्रिया का एक अत्यावश्यक अंग है।

श्री एस० एन० दास: क्या मैं जान सकता हूं कि जिस समय सेंट्रल ऐक्साइज़ सुपरिन्टेंडेंट ने मिथिला मैच फैक्टरी को नेपाल में मैचैज़ (दियासलाइयां) भेजने की अनुमति दी उस समय उन को यह बात बता दी गई थी कि ऐम्बेसेडर (राजदूत) से काउंटर साइन (प्रतिहस्ताक्षर) कराना होगा।

श्री त्यागी: यह तो मुझ को मालूम नहीं, लेकिन यह रूल्स (नियम) गज़ट हो गये हैं और सब लोगों को मालूम है कि जो सामान नैपाल को जाता है उस पर ऐक्साइज़ ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) वापस करने का तरीका यह है कि इस बात का सर्टीफ़िकेट (प्रमाणपत्र) लिया जाय कि काठमांडू तक वह चीज़ पहुंच गई, और उसके बाद ही रिफ़ंड (धन वापिस) मिल सकता है।

श्री एस० एन० दास: क्या मैं यह जान सकता हूं कि जो सामान काठमांडू जाता है उसी पर एक्साइज़ का रिबेट (उत्पादकर की छूट) दिया जाता है या कि जो सामान नेपाल में दूसरी जगहों पर जाता है उस पर भी रिबेट दिया जाता है ?

श्री त्यागी: नैपाल टैरीटरी (राज्य) में कहीं भी सामान जाय रिबेट (छूट) सब पर दिया जाता है। लेकिन हर एक्साइज़ेबिल (उत्पाद कर लिये जाने योग्य) सामान का काठमांडू पहुंचना और उस पर सर्टीफ़िकेट (प्रमाणपत्र) लिया जाना इस लिये ज़रूरी है कि काठमांडू पहुंचने में इतना किराया लग जाता है कि कोई शख्स वहां पहुंचने के बाद उस सामान को हिन्दुस्तान वापस नहीं ला सकता। इसी हिफ़ाज़त की वजह से वहां पहुंचने पर सर्टीफ़िकेट लिया जाता है।

श्री एस० एन० दास: क्या जो बाहर का सामान, हिन्दुस्तान में हो कर नेपाल जाता है उस पर भी रिबेट मिलने के लिये यही नियम लागू है कि ऐम्बेसेडर (राजदूत) से सर्टीफ़िकेट काऊंटरसाइन (प्रति हस्ताक्षरित) कराया जाय ?

श्री त्यागी: जी हां, उस के लिये भी यही नियम है।

अनधिकृत आयात

*३८३. **श्री हुक्म सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) सन् १९५१–५२ में आगम शुक्ल अधिकारियों द्वारा ज़ब्त की गई उन सम्पत्तियों

का, जो अनधिकृत रूप से आयात की गई थीं, मूल्य कितना है ;

(ख) ज़ब्ती के बदले में कितना जुर्माना लिया गया ; तथा

(ग) ज़ब्त की गई वस्तुयें कितने में बेची गई थीं और इन से, बाद में, कितना मूल्य प्राप्त किया गया था ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी): (क) सन् १९५१-५२ में आगम शुल्क अधिकारियों द्वारा ज़ब्त की गई उन सम्पत्तियों का, जो अनधिकृत रूप से आयात की गई थीं, मूल्य लगभग ३,१७,७६,६०० रुपये है ।

(ख) ज़ब्ती के बदले में जो जुर्माना प्राप्त किया गया वह लगभग ६४,३३,५०० रुपये है ।

(ग) ज़ब्त की गई वस्तुओं का अनुमानित बिक्री-मूल्य लगभग २१,४४,००० रुपये है, और अब तक लगभग २०,७७,१०० रुपये है प्राप्त किये जा चुके हैं।

श्री हुक्म सिंह: क्या इस ३ करोड़ रुपये की राशि में स्थलीय आगमशुल्क चौकियों पर की सभी ज़ब्तियां सम्मिलित हैं ?

श्री त्यागी: जी हां, श्रीमान् ।

श्री हुक्म सिंह: क्या इस ज़ब्ती में ऐसी वस्तुयें भी थीं जो पहले खुली सामान्य अनुज्ञप्ति पर, और बाद में जब सौदा हो चुका था तो किसी विशेष अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत रख दी गई थीं ?

श्री त्यागी: यदि माननीय सदस्य को किन्हीं विशेष वस्तुओं की सूचना हो तो वह मुझे बता दें ताकि मैं पूछताछ कर लूं । हो सकता है कि ऐसी भी कुछ वस्तुयें हों, किन्तु इस मामले की जांच करनी पड़ेगी ।

श्री गुरुपादस्वामी: किन वस्तुओं का आयात अवैध रूप से किया जाता है, उन का परिमाण कितना है तथा किन देशों से उन का आयात होता है ? अधिकृत आयातों के मुक़ाबले में इन वस्तुओं की स्थिति क्या है ?

श्री त्यागी: इस प्रकार से आयात की जाने वाली बहुत सी वस्तुयें हैं । समुद्री आगम शुल्क अधिनियम की धारा १८ के विरुद्ध जिस के अन्तर्गत कई वस्तुओं के आयात की क़तई मनाही है, इन वस्तुओं का आयात किया जाता है । समुद्री आगमशुल्क अधिनियम की धारा १९ के अन्तर्गत कुछ वस्तुयें अधिसूचित हैं ; जिस के अधीन सरकार कई वस्तुओं के आयात पर समय समय पर प्रतिबन्ध लगा देती है अथवा उन के आयात का निषेध कर देती है । आयात तथा निर्यात नियंत्रण अधिनियम, अनर्थकारी भेषज अधिनियम, और विदेशी विनिमय विनियम अधिनियम भी हैं । बहुत सी ऐसी वस्तुयें हैं जिन का आयात सर्वथा निषिद्ध अथवा प्रतिबन्धित है ।

ब्रेल लिपि

*३८४. **श्री हुक्म सिंह:** क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सारे संसार के लिये एक ही प्रकार की ब्रेल (उभरे अक्षरों वाली) लिपि को विकसित करने की संभावना पर विचार करने के लिये कोई अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था ; तथा

(ख) क्या हमारे देश के लिये एक ही प्रकार की ब्रेल लिपि प्रणाली है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) जी हां, श्रीमान् । यूनेस्को ने सारे संसार के लिये एक ही प्रकार की ब्रेल लिपि विकसित करने की संभावना पर विचार करने के लिये तीन अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किये थे ।

(ख) जी हां, श्रीमान् । भारतीय भाषाओं के लिये एक ही प्रकार की ब्रेल

प्रणाली है, जिसे भारतीय ब्रेल लिपि कहा जाता है ।

श्री हुक्म सिंह: उस सम्मेलन के विचार विमर्श का क्या परिणाम हुआ ? क्या सारे संसार के लिये कोई सामान्य ब्रेल प्रणाली विकसित हो गई है अथवा नहीं ?

श्री जगजीवन राम: अभी नहीं । अभी भी प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

श्री हुक्म सिंह: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस भारतीय ब्रेल लिपि के लिये कोई केन्द्रीय मुद्रणालय है ?

श्री जगजीवन राम: जी हां, देहरादून में एक केन्द्रीय मुद्रणालय स्थापित किया गया है ।

श्री हुक्म सिंह: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस ढंग का स्कूल केवल हिन्दी में ही अथवा अन्य प्रमुख भारतीय भाषाओं में भी ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान करता है ?

श्री जगजीवन राम: हिन्दी तथा अन्य भारताय भाषाओं में शिक्षा इसी लिपि में दी जाती है ।

श्री हुक्म सिंह: क्या इस संस्था में संगीत सिखाने के लिये ब्रेल प्रणाली से ध्वनिचिह्नों की शिक्षा दी जाती है ?

श्री जगजीवन राम: मैं निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता ।

असैनिक घोषित पद

*३८५. **श्री हुक्म सिंह:** क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) असैनिक घोषित पदों पर नियुक्त किये जाने के लिये चुनाव प[redacted]छटनी हुए तथा अतिरेक सैनिक एवं असैनिक पदाधिकारियों के कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे ; तथा

(ख) इन में से चुनाव पर्षद् द्वारा कितने व्यक्ति चुने गये थे, और उन में से वास्तव में कितने व्यक्ति विभिन्न पदों पर नियुक्त किये गये ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी): (क) २,९९६ ।

(ख) ४८ व्यक्ति चुने गये थे जिन में से अभी तक केवल दो व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं । अन्य व्यक्तियों ने अभी तक अपनी नियुक्ति की स्वीकृति नहीं दी है ।

श्री हुक्म सिंह: क्या इस चुनाव पर्षद् में केवल सैनिक पदाधिकारी ही हैं अथवा कोई असैनिक पदाधिकारी भी सम्मिलित है ?

श्री गोपालस्वामी: इस पर्षद् में संघ लोक सेवा आयोग का एक सदस्य भी है ।

डा० गंगाधर शिव: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि अनुसूचित जातियों के सदस्यों से कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, और उन प्रार्थियों में से कितने चुने गये हैं ?

श्री गोपालस्वामी: श्रीमान्, मेरे पास इस प्रकार की सूचना नहीं है ।

हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड

*३८६. **श्री बी० आर० भगत:** क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड की अंश पूंजी को बढ़ाने का विचार किया जा रहा है; तथा

(ख) यदि हां तो उस में कितनी वृद्धि की जायेगी ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी): (क) और (ख). अभी हाल ही में यह निश्चय किया गया था कि हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड की अंश पूंजी में दो करोड रुपये की वृद्धि की जाये ।

श्री बी० आर० भगत : इन अंशों का स्वामी कौन होगा ? क्या यह अंश सरकार के अथवा ग़ैर सरकारी व्यक्तियों के होंगे ?

श्री गोपालस्वामी : दो करोड़ रुपये की यह राशि भारत सरकार की निधि में से दी जायेगी और सरकारी निधि मानी जायगी ।

श्री बी० आर० भगत : क्या इस कम्पनी में कुछ ग़ैर-सरकारी अंश भी हैं ?

श्री गोपालस्वामी : जी नहीं, इस समय अंश पूंजी में मैसूर तथा भारत सरकार का ही साझा है ।

श्री बी० आर० भगत : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस समवाय को उत्पादन मंत्रालय को सौंप देने का विचार किया जा रहा है ?

श्री गोपालस्वामी : जी नहीं, ऐसी कोई भी प्रस्थापना नहीं है ।

विद्युत इंजीनियरिंग स्कूल

*३८७. **श्री बी० आर० भगत :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार जामनगर में कोई विद्युत इंजीनियरिंग स्कूल खोलना चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रयोजन के लिये ; तथा

(ग) कब से स्कूल आरम्भ हो जायेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) और (ग). नौसैनिक विद्युत स्कूल जामनगर में सन् १९४२ से चल रहा है । अब इस स्कूल के लिये एक स्थायी भवन निर्माण करने की बात पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) इस नौसैनिक विद्युत स्कूल का मुख्य काम, भारतीय नौसेना के कर्मचारियों को साधारणतया और भारतीय नौसेना की विद्युत साखा को विशेषतया, नाविक सेवा में काम आने वाले सभी प्रकार के विद्युत संचालित उपकरणों के संधारण तथा अथवा उन के संचालन की प्रशिक्षा देना है ।

पंच वर्षीय योजना

*३८८. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतालने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि भारत की विकाससम्बन्धी पंच वर्षीय योजना को कोलम्बो योजना के साथ मिलाने के लिये षट् वर्षीय योजना में परिवर्तित कर दिया जायगा ; तथा

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप व्यय में कितनी वृद्धि होगी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) २१ मई, १९५२ को प्रश्न संख्या ६७ के उत्तर में मैं ने जो कुछ कहा है उस की ओर मैं माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । उक्त प्रश्न के उत्तर में मैं ने कहा था कि पुनरीक्षित कोलम्बो योजना में सम्मिलित भारत सरकार की योजना तथा पंच वर्षीय योजना में केवल इतना ही अन्तर है कि एक अतिरिक्त वर्ष में विकास पर जो भी संभावित व्यय होगा वह पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है बल्कि पहले की योजना में सम्मिलित है ।

(ख) जुलाई, १९५१ में प्रकाशित पंच वर्षीय योजना के प्रारूप में लोक लेखे से पांच वर्षों का विकास सम्बन्धी व्यय १,९४३ करोड़ रुपये दिया गया था । यदि यह योजना छठे वर्ष में भी चलाई जाय तो विकास व्यय २,३३४ करोड़ रुपये तक पहुंच जायगा ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या पंच वर्षीय योजना में जो बाह्य सहायता दिखाई गई है, यदि इस

योजना को छः वर्ष की योजना बना दिया जायगा, तो क्या वह भी बढ़ जायेगी ?

श्री सी० डी० देशमुख: जी हां, श्रीमान्, अनुपात से बढ़ेगी ही ।

डा० राम सुभग सिंह: कितनी वृद्धि होगी ?

श्री सी० डी० देशमुख: लगभग उसी अनुपात से वृद्धि होगी ।

रक्षा विज्ञान संघटन

*३८९. **श्री वैलायुधन :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रक्षा विज्ञान संघटन के तत्वावधान में वैज्ञानिकों का कोई सम्मेलन हुआ था ; तथा

(ख) यदि हुआ था, तो इस सम्मेलन के विचार विमर्श का फल क्या हुआ था ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) इस सम्मेलन से विश्वविद्यालयों तथा रक्षा संघटन के विभिन्न भागों में काम करने वाले वैज्ञानिकों को इकट्ठा होने तथा रक्षा सेवा के सम्बन्ध में अनेक वैज्ञानिक समस्याओं पर विचार विनिमय करने का अवसर मिला था ?

श्री पुन्नूस: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या उस सम्मेलन में केवल भारतीय वैज्ञानिक ही सम्मिलित हुए थे अथवा विदेशी वैज्ञानिकों ने भी उस में भाग लिया था ?

श्री गोपालस्वामी: मेरा विचार है कि वह सभी भारतीय वैज्ञानिक ही थे ।

श्री पुन्नूस: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या वह भारतीय वैज्ञानिक व्यक्तिगत रूप से आमन्त्रित किये गये थे अथवा किन्हीं संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते थे ?

श्री गोपालस्वामी: मेरा विचार है कि उन में कई एक तो व्यक्तिगत रूप से बुलाये गये थे, किन्तु अन्य वैज्ञानिक विभिन्न संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते थे ।

श्री नम्बियार : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या उस सम्मेलन में अणु बम के निर्माण पर भी विचार किया गया था ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । अगला प्रश्न ।

देशमुख पंचाट

*३९०. **श्री बी० आर० भगत:** क्या **वित्त मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पटसन तथा पटसन-उत्पादों पर निर्यात शुल्क के भुगतान के बदले में आय कर संग्रह तथा अंश के विभाजन के सम्बन्ध में बिहार सरकार ने सन् १९५० के देशमुख पंचाट के पुनरीक्षित किये जाने की प्रार्थना की थी ;

(ख) यदि की थी, तो बिहार सरकार ने इसके क्या कारण बताये थे; तथा

(ग) बिहार सरकार की प्रार्थना पर भारत सरकार ने यदि कोई निर्णय किया तो वह क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) से (ग). माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि अब वित्त आयोग द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है, और जब आयोग की सिपारिशें सरकार के पास पहुंच जायेंगी तब उन पर विचार होगा, और उस के बाद ही सरकार कोई निश्चय कर सकेगी । बिहार सरकार ने आयोग के पास अपने अभ्यावेदन में क्या कुछ लिख भेजा है इस के सम्बन्ध में सरकार को कोई भी ज्ञान नहीं है ।

श्री बी० आर० भगत : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या निकट भविष्य में वित्त आयोग इन बातों की जांच करने के लिये बिहार का दौरा करेगा ?

श्री सी० डी० देशमुख: मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि इस प्रश्न का उत्तर दे सकूं। वित्त आयोग अपने दौरे के कार्यक्रम का निश्चय स्वयं करता है—बहुत संभव है कि दौरा समाप्त करने से पहले वह बिहार भी जाये।

राष्ट्र संघीय प्रविधिक सहायता

*३९१. **श्री एस० एन० दास :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतालने की कृपा करेंगे:

(क) भारत और राष्ट्र संघ के बीच अभी हाल ही में हुये प्रविधिक सहायता समझौते की क्या शर्तें हैं;

(ख) इस निधि में भाग लेने वाले राज्यों द्वारा स्वेच्छा से दिये गये अंशदानों से संग्रहीत इस सम्मिलित निधि में भारत को कितना अंशदान देना पड़ेगा; तथा

(ग) इस समझौते से भारत को क्या लाभ होगा?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) राष्ट्र संघ और भारत सरकार के बीच २ अप्रैल, १९५२ को जिस मूल क़रार पर हस्ताक्षर किये गये थे उस में प्रविधिक सहायता सम्बन्धी शर्तें दी गई हैं; और इस क़रार की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १]**

(ख) सन् १९५२ के लिये प्रविधिक सहायता के बढ़े हुये कार्यक्रम के लिये भारत सरकार का अंशदान २७५,००० डालर के बराबर है।

(ग) इस करार के अन्तर्गत भारत राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों से, सभी क्षेत्रों में वह प्रविधिक विशेषज्ञ एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधायें प्राप्त कर सकेगा जो भारत में उपलब्ध नहीं हैं।

श्री एस० एन० दास: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस मूल क़रार पर हस्ताक्षर होने के बाद अनुच्छेद १ की कण्डिका ३ में दिये गये किसी विशेष प्रयोजन के लिये राष्ट्र संघ तथा भारत सरकार के बीच कोई अनुपूरक क़रार किया गया है?

श्री सी० डी० देशमुख : इस प्रश्न के लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये।

श्री वैलायुधन: माननीय मंत्री ने बतलाया है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों से प्रविधिक विशेषज्ञ बुलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सोवियत रूस अथवा चीन से भी कोई विशेषज्ञ बुलाया जा रहा है?

श्री सी० डी० देशमुख: यह बात विशेषज्ञों की उपलब्धि और हमारी उन लोगों की आवश्यकता पर ही यह निर्भर करती है। मेरे विचार में अब तक आमंत्रित किये गये विशेषज्ञों में से सोवियत रूस से कोई विशेषज्ञ नहीं बुलाया गया है।

श्री नम्बियार: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि भारत में उद्योगों की अत्यावश्यकताओं तथा सोवियत रूस में शिल्पियों की बात की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुये सोवियत रूस के विशेषज्ञों को क्यों नहीं बुलाया गया है?

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि इस का निश्चय करना सरकार का काम है।

श्री निम्बयार: क्या मैं इस का कारण जान सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय: वह तो पहले ही बता चुके हैं कि यह इसी बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास किस प्रकार की योजनायें हैं और किन अन्य देशों से उस योजना विशेष के विशेषज्ञ मिल सकते ह।

श्री पुन्नूस: क्या राजनीतिक कारणों से उन्हें नहीं बुलाया गया है?

अध्यक्ष महोदय: तब तो आप सीधे शब्दों में यह प्रश्न क्यों नहीं पूछते कि क्या राजनीतिक कारणों के आधार पर सोवियत रूस का बहिष्कार किया गया है ।

श्री नम्बियार: जी हां, श्रीमान् ।

श्री सी० डी० देशमुख: यह उन ही देशों पर निर्भर करता है जो इस योजना में भाग लेना चाहते हों। मेरे पास एक तालिका है जिस में अंशदान करने का वचन देने वाले देशों के नाम और धनराशि दी गई है, किन्तु इस तालिका में सोवियत रूस का नाम ही नहीं है ।

श्री नामधारी : श्रीमान्, जब संयुक्त राज्य अमरीका ने केवल प्रचार भय से ही भारत को सहायता देने के लिये इतना अंश-दान दिया है तो हम इसी देश से विशेषज्ञों को भी क्यों नहीं बुलाते हैं ?

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति । अब हम तर्क कर रहे हैं ।

श्री एस० एन० दास: क्या राष्ट्र संघ के विशेषज्ञ अभिकरणों द्वारा दी जाने वाली अन्य प्रविधिक सहायता इस मूल क़रार में दी गई शर्तों में सम्मिलित हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख: इस प्रश्न के लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

सामान्य चुनाव

*३९२. **श्री एस० एन० दास :** क्या **विधि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) केन्द्रीय सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रथम सामान्य चुनाव के सिलसिले में कितना धन व्यय किया गया है, तथा संसद् के दोनों सदनों एवं विधान सभाओं पर व्यय किये गये धन के अलग अलग आंकड़ें क्या हैं ; तथा

(ख) इस सामान्य चुनाव में खड़े हुये उम्मीदवारों की ओर से जमा की गई ज़ब्त प्रतिभूति तथा शुल्क से कुल कितनी आय हुई ?

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिश्वास): (क) लगभग ९,०३,४८,३८९ रुपये । (मध्य भारत, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ, और कुर्ग में व्यय हुये धन को छोड़ कर, क्योंकि अभी उन के आंकड़े प्राप्त नहीं हुये हैं) ।

लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनाव एक साथ किये गये थे । चूंकि उस समय पृथक् पृथक् हिसाब नहीं रखा जा सका था अतः लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनावों पर व्यय की गई राशि के अलग अलग आंकड़े नहीं दिये जा सकते ।

(ख) १३,८३,८९७ रुपये (उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ, त्रावनकोर-कोचीन, दिल्ली, कच्छ और बिलासपुर से प्राप्त हुई आय को छोड़ कर, क्योंकि अभी इन के आंकड़े प्राप्त नहीं हुये हैं) ।

श्री एस० एन० दास: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री यह बतला सकते हैं कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीद-वारों ने कुल कितना धन व्यय किया ?

श्री बिश्वास : अभी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । जब तक चुनाव के ख़र्चों के लेखों की जांच पड़ताल नहीं हो जाती तब तक कोई भी सूचना नहीं दी जा सकती ।

श्री नम्बियार: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार द्वारा व्यय किये गये धन में मंत्रियों द्वारा चुनाव कार्य में काम में लाई गई मोटर गाड़ियों पर हुआ व्यय भी सम्मि-लित है ?

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति ।

श्री बिश्वास: इस विषय के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री इस प्रश्न का उत्तर न दें । इस से यह समझा जाता है मंत्रियों ने चुनाव के लिये सरकारी मोटर गाड़ियों का प्रयोग किया था ।

श्री के० जी० देशमुख: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या उम्मीदवारों से ज़ब्त की गई प्रतिभूति केन्द्रीय सरकार को मिलती है अथवा राज्य सरकारों को ?

श्री बिश्वास : मेरा विश्वास है कि वह प्रतिभूति उन्हीं राज्य सरकारों ने ज़ब्त की थी जहां यह चुनाव लड़े गये थे ।

वयोवृद्ध भूतपूर्व सैनिकों का पुनः संस्थापन

*३९३. **डा० राम सुभग सिंह:** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतालने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९५२ से वयोवृद्ध भूतपूर्व सैनिकों के पुनः संस्थापन के लिये भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों को कितनी धन-राशि दी है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : भारत सरकार ने १२६५ भूतपूर्व सैनिकों को नई भूमि वाली बस्तियों में पुनः संस्थापित करने के लिये राज्य सरकारों को १ जनवरी, १९५२ से ९,००,१५० रुपये की धनराशि दी है । इस धनराशि में ७,०५,००० रुपये का अनुदान और १,९५,१५० रुपये का ऋण सम्मिलित है । एक विवरण जिस में इस का ब्यौरा दिया हुआ है, सदन पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

नई भूमि पर बस्तियां बसाने की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये १ जनवरी, १९५२ से राज्य सरकारों को दी गई धनराशियां

राज्य	अनुदान	ऋण
	रुपये	रुपये
पंजाब	१,८६,०००	..
मनुनगर (उत्तर प्रदेश)	२०,२५०	४१,०००
भोपाल	२४,७५०	३४,१५०
कुर्ग	१,४९,०००	..
मद्रस	१,२५,०००	..
हैदराबाद	२,००,०००	..
पैप्सू	...	१,२०,०००
	७,०५,०००	१,९५,१५०

अनुदान और ऋण का कुल योग

७,०५,०००+१,९५,१५०

=९,००,१५० रूपये

डा० राम सुभग सिंह: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि भारत सरकार ने किन राज्यों को यह अनुदान दिये हैं ?

श्री गोपालस्वामी: विवरण में उन राज्यों के नाम दिये हुये हैं, फिर भी माननीय सदस्य की सूचना के लिये मैं बता दूं कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, भोपाल, कुर्ग, मद्रास, हैदराबाद और पैप्सू को यह अनुदान दिये गये हैं ।

डा० राम सुभग सिंह: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या अभी कुछ ऐसे वयोवृद्ध भूतपूर्व सैनिक शेष हैं जिन्हें पुनः संस्थापन सहायता की आवश्यकता है ?

श्री गोपालस्वामी: जी हां, निश्चय ही हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : उन की लगभग संख्या कितनी होगी ?

श्री गोपालस्वामी : मुझे इस प्रश्न के लिये पूर्वसूचना चाहिये ।

पंडित सी० एन० मालवीय : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या भोपाल में भूतपूर्व सैनिकों के पुनः संस्थापन के लिये कुछ अनुदान दिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ? उन को पुनः संस्थापित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री गोपालस्वामी : भोपाल को अनुदान और ऋण दोनों ही दिये गये हैं । अनुदान २४,७५० रुपये है और ऋण ३४,१५० रुपये ।

कुमारी आंनी मस्करीन : मैं ज्ञात कर सकती हूं कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य के लिये कितनी राशि अलग रख दी गई है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि अलग अलग राज्यों के सम्बन्ध में पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री गोपालस्वामी : पिछले कुछ महीनों में इस राज्य को कोई सहायता नहीं दी गई है ।

श्री पी० टी० चाको : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या भारतीय सेनाओं के एकीकरण के समय राज्य सेनाओं से सेवामुक्त किये गये कर्मचारीवर्ग को कोई क्षतिपूर्ति अथवा सहायता दी गई थी ?

श्री गोपालस्वामी : मुझे मालूम नहीं कि मैं आंकड़े बता भी सकूंगा, किन्तु मैं नहीं समझता कि राज्य सरकारों की सेनाओं से सेवागुक्त किये गये व्यक्तियों से कोई भेदभाव किया जाता है !

श्री वी० पी० नायर : त्रावनकोर-कोचीन राज्य के लिये कोई धनराशि अलग क्यों नहीं रखी गई है ?

अध्यक्ष महोदय शान्ति, शान्ति । वह अलग प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री गुरुपादस्वामी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार को कुछ ऐसी शिक़ायतें प्राप्त हुई हैं कि यह अनुदान अपर्याप्त हैं, और यदि पहुंची हैं तो किन किन स्थानों से ?

श्री गोपालस्वामी : मुझे नहीं पता कि हमें ऐसी कोई शिक़ायतें पहुंची हैं । मेरे पास जो आंकड़े हैं उन के आधार पर मैं यही कह सकता हूं कि यह अनुदान बिल्कुल पर्याप्त हैं ।

श्री हुकम सिंह : क्या राज्य सरकारों को यह परामर्श दिया गया है कि वह अपनी भूमि का कुछ निश्चित प्रतिशत भाग इन भूतपूर्व सैनिकों के लिय, सुरक्षित रखें, अथवा यह उन्हीं पर छोड़ दिया गया है कि वह स्वयं ही इस बात का निश्चय करें कि कितना क्षेत्र इन भूतपूर्व सैनिकों को दिया जायेगा ?

श्री गोपालस्वामी : हमारी दो प्रकार की बस्तियां हैं—एक में १,००० एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के और दूसरे में १,००० एकड़ से कम क्षेत्रफल के भूमिखण्ड हैं । जहां कहीं भी इस तरह के भूमिखण्ड उपलब्ध हैं और इन भूतपूर्व सैनिकों के लिये जब इन की आवश्यकता होती है, तो हम राज्य सरकारों से प्रार्थना करते हैं कि वह इन को सुरक्षित रखें ।

श्री वी० जी० देशपांडे : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या ग्वालियर राज्य के शिलेदारों को कोई क्षतिपूर्ति दिये बिना ही विघटित कर दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न से यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

बन लगाने के काम पर विशेषज्ञ की नियुक्ति

*३९४. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि कोलम्बो योजना के संचालक श्री जी० विलसन ने

भारत सरकार की इस आवश्यकता पर ज़ोर दिया है कि एक ऐसे विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त की जायें जो दामोदर घाटी निगम के विभिन्न बांधों के निकटस्थ क्षेत्रों में बन लगाने की योजना के सम्बन्ध में परामर्श दे सके ; तथा

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव को कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) और (ख) . श्री विलसन ने, देश के अनेक अधिकारियों से अन्य मामलों पर बातचीत करते हुये इस मामले के सम्बन्ध में भी अनौपचारिक ढंग से ऐसा सुझाव दिया था । दामोदर घाटी निगम अथवा इस योजना से मुख्य रूप से सम्बद्ध राज्य सरकारों से भारत सरकार को इस प्रकार की कोई प्रार्थना विशेष रूप से प्राप्त नहीं हुई है कि बन लगाने के लिये किसी विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त की जायें ।

डा० राम सुभग सिंह: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या दामोदर घाटी निगम ने इस कार्य के लिये किसी विशेषज्ञ की नियुक्ति की है ?

श्री सी० डी० देशमुख: ऐसा समझा जाता है कि इस समय दामोदर घाटी निगम इस कार्य के लिये किसी विशेषज्ञ को नियुक्त करना नहीं चाहता है ।

बुनियादी तथा सामाजिक शिक्षा

*३९५. **श्री एस० सी० सामन्त:** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या भारत सरकार ने बुनियादी तथा सामाजिक शिक्षा योजना की जो रूप रेखा तैयार की है उसको राज्य सरकारें समान रूप से कार्यान्वित कर रही हैं;

(ख) क्या वर्धा योजना में प्रशिक्षित व्यक्ति केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा लिये जा रहे हैं; तथा

(ग) बुनियादी तथा सामाजिक शिक्षा के विकास के सम्बन्ध में योजना आयोग किस परिणाम पर पहुंचा है और उसकी सिपारिशें क्या हैं ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) विभिन्न राज्यों ने साधारणतया इस योजना को स्वीकार कर लिया है, किन्तु अपनी स्थानीय अवस्था के अनुसार इस में आवश्यक संशोधन कर लिये हैं ।

(ख) जी हां, बुनियादी शिक्षा प्राप्त अध्यापकों को सरकारी स्कूलों में नियुक्त किया जा रहा है ।

(ग) योजना आयोग की अन्तिम रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है, किन्तु उक्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट के प्रारूप में भारत सरकार द्वारा बनाई गई शिक्षा योजनाओं को साधारणतया स्वीकार कर लिया है ।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि सेकेण्डरी एजुकेशन (माध्यमिक शिक्षा) में बेसिक एजुकेशन (बुनियादी शिक्षा) के मुताबिक़ कोई तब्दीली हुई ?

श्री जगजीवन राम: कहीं कहीं पर हुई है ।

श्री एस० सी० सामन्त: दिल्ली में कब बेसिक एजुकेशन शुरू हुई और कितने शिक्षकों ने शिक्षा पाई ?

श्री जगजीवन राम: इस प्रश्न का उत्तर तो यहां पर कई दफ़ा दिया जा चुका है । अगर भविष्य में भी आप चाहें तो आप की सूचना आने पर यह बता दिया जायगा ।

सेठ गोविन्द दास: जहां तक समाज शिक्षा का सम्बन्ध है क्या तमाम राज्य सरकारों से केन्द्रीय सरकार के पास समय समय पर कोई रिपोर्टें आती हैं, और यदि आती ह, तो सब से अच्छा केन्द्र सामाजिक शिक्षा का किस राज्य में है ?

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है कि इस प्रश्न के बाद के भाग का उत्तर नहीं दिया जा सकता है, पहले भाग का ही उत्तर दिया जाय ।

श्री जगजीवन राम: रिपोर्टें तो आती हैं ।

श्री वी० जी० देशपांडे: क्या मध्य प्रदेश से यह शिकायत आई है कि समाज शिक्षा केन्द्र को कांग्रेस के निर्वाचन कार्य के लिये इस्तेमाल किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति ।

श्री एस० एन० दास: सरकार ने बुनियादी तालीम और समाज शिक्षा की जो योजना बनाई है उस के मुताबिक़ पार्ट सी स्टेट्स (भाग ग राज्यों) में क्या काम हो रहा है, और यदि हो रहा है तो वहां पर कितनी सफलता मिली है ?

श्री जगजीवन राम: इस समय इस का ब्यौरेवार जवाब देना तो सम्भव नहीं है ।

श्री एन० एस० नायर : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सभी प्रान्तों में बुनियादी शिक्षा हिन्दी में दी जायेगी ?

श्री जगजीवन राम: यही तो अन्तिम उद्देश्य है ।

श्री बी० एस० मूर्ति: क्या सरकार का यही अभिप्राय है कि केन्द्र तथा प्रान्तों में प्राथमिक एवं उच्च प्रारम्भिक शिक्षा में बुनियादी पद्धति से शिक्षा दी जाय, और यदि यही अभिप्रेत है, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री जगजीवन राम: मैं माननीय सदस्य का ध्यान योजना आयोग की रिपोर्ट की ओर आकर्षित करूंगा ।

पंडित लिंगराज मिश्र: क्या माननीय शिक्षा मंत्री को विदित है कि कई राज्यों को सामाजिक शिक्षा योजना चलाने में इसीलिये बहुत बड़ी कठिनाई हो रही है क्योंकि केन्द्र ने विगत दो तीन वर्षों में उन्हें कोई भी ठोस सहायता नहीं दी है ?

श्री जगजीवन राम: यह बात किसी हद तक ठीक हो सकती है । कुछ दिन पूर्व एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि धनाभाव के कारण केन्द्रीय आयव्ययक में इस के लिये कोई व्यवस्था नहीं हो सकी ।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि किन किन राज्यों में प्राइमरी एजुकेशन (प्राथमिक-शिक्षा) बेसिक एजुकेशन में रूपान्तरित हो गई है ?

श्री जगजीवन राम: जहां तक मुझे ज्ञात है किसी भी प्रान्त में सारे प्रान्त में प्राइमरी शिक्षा बेसिक एजुकेशन में परिवर्तित नहीं हुई । लेकिन अधिकांश राज्यों में बेसिक शिक्षा कुछ न कुछ अंशों में दी जा रही है ।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या यह बात सच है कि अजमेर में लड़कियों के स्कूल भी रूपान्तरित हो गये हैं ?

श्री जगजीवन राम: कुछ हुये होंगे, मेरे पास इस की सूचना नहीं है ।

सहकारी यातायात समितियां

***३९६. श्री एस० सी० सामन्त: क्या रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) किन राज्यों में यांत्रिक यातायात में प्रशिक्षित सेना कर्मचारियों की सहकारी यातायात समितियां बनाई गई हैं, और उन की संख्या कितनी है ;

(ख) इन समितियों को भारत सरकार तथा राज्यों ने कितना अंशदान दिया है ; तथा

(ग) इस प्रकार के प्रयत्नों से कितने व्यक्तियों को पुनः संस्थापित किया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) से (ग). मैं एक विवरण सदन पटल पर रखता हूं । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २**]

श्री एस० सी० सामन्त: श्रीमान्, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या मैसूर राज्य में कोई सहकारी यातायात समिति बनाई गई है ?

श्री गोपालस्वामी: जी नहीं ।

श्री एस० सी० सामन्त: श्रीमान्, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इन समितियों को, विशेषतः उन स्थानों में जहां सड़क यातायात निगम हैं, किस प्रकार की गाड़ियां दी जाती हैं ?

श्री गोपालस्वामी : मेरे पास इस विषय में कोई सूचना नहीं कि इन समितियों द्वारा किस प्रकार की गाड़ियां खरीदी जाती हैं, किन्तु इतना मैं जानता हूं कि उत्सर्जन विभाग से खाता मूल्य पर इन्हें कुछ गाड़ियां दी गई हैं ।

श्री नम्बियार: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इन सहकारी समितियों से प्राप्त हुई धनराशियां किसी क्षेत्र विशेष में वहां के सभी भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों में बराबर बराबर बांट दी जाती हैं ?

श्री गोपालस्वामी: इन सहकारी समितियों के सदस्य निश्चय ही उस लाभ को आपस में बांटेंगे, जो इन समितियों के काम से प्राप्त होगा ।

श्री बी० एस० मूर्ति: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार राज्य सरकारों के नाम इस बात की हिदायतें जारी करेगी कि वह निजी यातायात समवायों की अपेक्षा इन सहकारी यातायात समितियों को प्रोत्साहन दें ?

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है कि यह तो काम करने के लिये सुझाव है ।

श्री हुक्म सिंह: क्या राज्य सरकारें अथवा केन्द्रीय सरकार इन यातायात समितियों को सहायता देती हैं ।

श्री गोपालस्वामी: हम उत्सर्जन के भण्डार से खाता मूल्य पर गाड़ियां और उन के पुर्ज़े दे देते हैं । इन समितियों को चलाने के लिये कुछ धन युद्धोत्तर पुनर्निर्माण कोष से ऋण के रूप में लिया जाता है और कुछ राशि अंश पूंजी के रूप में सदस्यों से प्राप्त की जाती है ।

श्री एस० सी० सामन्त: विवरण से मुझे पता चलता है कि राज्य सरकारों ने अपने युद्धोत्तर पुनर्निर्माण कोष से ऋण दिये हैं । मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने इन समितियों को कोई सहायता अथवा अनुदान दिया है ?

श्री गोपालस्वामी: जिन रियायतों का मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं, उन के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार और कोई सहायता नहीं देती है ।

पायोनियर बैंक लिमिटेड

*३९७. **श्री ए० सी० गुहा**: क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पश्चिमी बंगाल के पायोनियर बैंक लिमिटेड, ने कब अपना लेन देन बन्द किया ;

(ख) कब परिसमापन आदेश दिया गया था, परिसमापक कौन हैं और उन का पारिश्रमिक क्या है ;

(ग) कितनी धनराशि प्राप्त हुई है, और अब तक कितनी धनराशि वितरित हुई है ; तथा

(घ) क्या किसी देनदार की संपत्ति ज़ब्त की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) १४ सितम्बर, १९४८ को पायोनियर बैंक, लिमिटेड ने भुगतान रोक दिया था ।

(ख) कलकत्ता के उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया गया था कि १२ जुलाई, १९४९ से पायोनियर बक बन्द कर दिया जाय ; और चूंकि उच्च न्यायालय के उक्त बक द्वारा व्यवस्था सम्बन्धी कार्य के लिये दिये गये प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार कर दिया अतः ६ दिसम्बर, १९४९ को यह आदेश पक्का हो गया । दिनांक १६ जनवरी, १९५० को जारी किये गये एक आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने श्री ए० सी० गांगुली तथा एम० एम० भार्गव को सरकारी परिसमापक नियुक्त किया था । वह जो कुछ भी धन प्राप्त करते, उस का ५ प्रतिशत उन्हें पारिश्रमिक के रूप में दिये जाने का निश्चय हुआ था । ७ मार्च, १९५१ को किया उच्च न्यायालय ने एक और आदेशजारी जिस के द्वारा श्री गांगुली और श्री भार्गव के स्थान पर श्री के० सी० मुखर्जी और पी० डी० चटर्जी को क्रमशः कुल धन प्राप्ति के २ प्रतिशत और १ प्रतिशत पारिश्रमिक पर नियुक्त किया गया ।

(ग) और (घ). यह परिसमापक उच्च न्यायालय के निदेश के अनुसार कार्य करते हैं, अतः सरकार कोई भी सूचना नहीं दे सकती ।

श्री ए० सी० गुहा: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि पहले दो परिसमापकों को क्यों बदला गया ?

श्री सी० डी० देशमुख: उच्च न्यायालय ही इस मामले के सम्बन्ध में बता सकता है ।

अध्यक्ष महोदय: यदि आप के पास इस बात की कोई सूचना हो तो आप बता सकते हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख: मेरे पास इस की सूचना नहीं है ।

श्री ए० सी० गुहा: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि उस समय बैंक की कुल सम्पत्ति एवं दायित्व क्या थे जिस समय इस के परिसमापन का आदेश दिया गया था ?

श्री सी० डी० देशमुख: इस प्रश्न के लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री ए० सी० गुहा: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस बैंक का कोई संचालक, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बैंक का देनदार था ?

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि हमें इन विषयों के विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है । यह मामला पूरी तरह से उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस बैंक के प्रबन्ध संचालक ने, अपने नाम से अथवा किसी अन्य कम्पनी के नाम से, बहुत सी धनराशि ली थी....

अध्यक्ष महोदय: इस की पड़ताल करना तो उच्च न्यायालय का काम है ।

श्री ए० सी० गुहा: क्या रिज़र्व बैंक का इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय: हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है । शायद माननीय सदस्य के ध्यान में ऐसी बात हो । जहां तक क़ानून का प्रश्न है, जो बात न्यायालय के विचाराधीन हो उसके सम्बन्ध में पूछताछ करना और सुझाव देना उचित नहीं है ।

श्री गुरुपाद स्वामी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या कुछ अन्य बैंक भी हैं जिनको अभी हाल में ही परिसमापित किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

पश्चिमी बंगाल के बन्द हुए बैंक

*३९८. **श्री ए० सी० गुहा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी बंगाल के उन बैंकों से जो सन् १९४७—१९५१ (दोनों वर्षों सहित) में बन्द किये गये, सम्बन्धित उन व्यक्तियों की संपत्ति के सम्बन्ध में कोई जांच की है जिन पर इन की व्यवस्था का दायित्व था ;

(ख) क्या उन में से किसी व्यक्ति ने अपने नाम से अथवा किसी सार्थ के नाम से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, बैंकों से ऋण लिया था ;

(ग) यदि लिया था, तो उन्होंने क्या प्रतिभूति दी थी तथा इन राशियों का कितना भाग प्राप्त किया जा चुका है ; तथा

(घ) इन राशियों को प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). इस समय यह सूचना उपलब्ध नहीं है । अधिनियम के अन्तर्गत संचालकों को प्रतिभूति ले कर ऋण दिये जाने का निषेध नहीं है और रिज़र्व बैंक को इन बातों की ब्योरेवार सूचना नहीं दी जाती है । अप्रतिभूत ऋणों की सूचना रिज़र्व बैंक को दी जाती है किन्तु परिसमापन के पश्चात् की गई वसूली सम्बन्धी सूचना रिजर्व बैंक को उपलब्ध नहीं है ।

(घ) सरकार के पास इस की कोई भी सूचना नहीं है क्योंकि यह सब परिसमापक का काम है ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या परिसमापकों को ऋण का निबटारा करने का कोई अधिकार होता है अथवा उन्हें सदा ही.....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस विषय में क़ानून के उपबन्धों को देखें । क्या ऐसी कोई विशेष बात है जिस की उन्हें सूचना चाहिये ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं जो कोई भी सूचना मागता हूं, माननीय मंत्री रिज़र्व बैंक और उच्च न्यायालय की आड़ लेकर उस को टाल देते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी चाहिये ।

श्री नम्बियार : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार इस बात के कारण जानने के लिये जांच कर रही है कि क्यों विशेष रूप से पश्चिमी बंगाल में ही बहुत से बैंकों का परिसमापन हो रहा है ?

श्री सी० डी० देशमुख : कारण बताने में बहुत समय लगेगा । मैं केवल यही कह सकता हूं कि इस प्रकार के परिवर्तन एवं प्रगति को रिज़र्व बैंक तथा भारत सरकार दोनों देख रहे हैं ।

मंत्रालय कर्मचारी

*४००. **डा० एस० एम० दास :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पश्चिमी बंगाल के आयकर कार्यालयों एवं मंत्रालय में कार्य करने वाले तीसरी श्रेणी के अस्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) यह अस्थायी कर्मचारी तीसरे श्रेणी के (अस्थायी एवं स्थायी) कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना प्रति शत हैं ; तथा

(ग) मंत्रालय में काम करने वाले तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के स्थायी बनाये जाने की साधारण प्रक्रिया क्या है ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री त्यागी) :(क) मंत्रालय के तीसरी श्रेणी के (उच्च एवं निम्न श्रेणी के लिपिक, शीघ्रलिपिक एवं शीघ्रलिपिक-अनुमुद्रक) अस्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या ३९४ है ।

(ख) १ मई, १९५२ को इस श्रेणी के अस्थायी कर्मचारियों की संख्या कर्मचारी वर्ग की कुल संख्या का ४३.४ प्रतिशत थी, किन्तु और स्थायीकरण होने के परिणामस्वरूप अब अस्थायी कर्मचारियों की संख्या कुल संख्या का ३९.६ प्रतिशत रह गयी है ।

(ग) स्थायी बनने के लिये (जो अर्ध-स्थायी नौकरी से बिल्कुल अलग चीज है) पहली शर्त यह है कि स्थायी पद रिक्त होने चाहियें । इस के अतिरिक्त, इस सिलसिले में, किसी कर्मचारी को जो शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं, वह यह हैं :

(१) वह किसी समर्थ डाक्टर का लिखा एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे कि वह शारीरिक रूप से स्वस्थ है ।

(२) परिनियत ढंग से उस के पूर्व इतिहास एवं चरित्र की जांच ।

(३) वह उन विभागीय परीक्षाओं तथा अथवा विभागीय जांच परीक्षाओं में सफल हो जो प्रत्येक श्रेणी में स्थायी होने के लिये नियत की गई हैं ।

(४) उस व्यक्ति द्वारा उस विभाग विशेष में की गई सेवाओं का अच्छा रिकार्ड हो ।

(५) वह उस विशेष श्रेणी में कम से कम एक वर्ष तक काम कर चुका हो ।

डा० एम० एम० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इन अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी बनने के हेतु इन परीक्षाओं में सफल होने के लिये कोई प्रशिक्षण सुविधायें दी जाती हैं ?

श्री त्यागी : जी नहीं । इन परीक्षाओं में सफल होने के लिये उन का एकमात्र प्रशिक्षण वही अनुभव होता है जो उन्हें किसी भी कार्यालय में काम करने से प्राप्त होता है ।

डा० एम० एम० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि पश्चिमी बंगाल के इन अस्थायी कर्मचारियों की उनके अधिकारियों द्वारा त्रैमासिक गुप्त रिपोर्टें भेजी जाती हैं, और क्या इस प्रकार गुप्त रिपोर्टें भेजने की यह पद्धति केवल पश्चिमी बंगाल ही में चालू है, और कहीं नहीं है ?

श्री त्यागी : गुप्त रिपोर्टों की पद्धति प्रत्येक कार्यालय में नियमित रूप से जारी है किन्तु, वस्तुतः मैं इस समय कह नहीं सकता कि पश्चिमी बंगाल में त्रैमासिक रिपोर्टें भेजी जाती हैं अथवा वार्षिक ।

डा० एम० एम० दास : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि अस्थायी कर्मचारी कुल कर्मचारी-वर्ग का लगभग ४३ प्रतिशत है । तो क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि स्थायी सेवा में प्रति वर्ष औसतन कितने व्यक्ति लिये जाते हैं ?

श्री त्यागी : मुझे खेद है कि मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं हैं जो मैं आप को बता सकूं । अपने माननीय मित्र को इतना सूचित कर सकता हूं कि अभी हाल में हमारे पास गृह मंत्रालय की स्वीकृति आई थी जिस के अनुसार उस ने ८० प्रतिशत स्थायी तुल्य कर्मचारियों को स्थायी घोषित किया है ।

डा० एम० एम० दास : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि आयकर विभाग का काय दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है—कम से कम पश्चिमी बंगाल में—तो क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि सभी योग्य अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी बनाने में सरकार को क्या कठिनाई हो रही है ?

श्री त्यागी : मेरे मित्र कर्मचारी-वर्ग को यह विश्वास दिला सकते हैं कि ज्योंही आयकर विभाग का पुर्नसंगठन हो जायगा—जैसा कि अब होने वाला है—उन में से योग्य व्यक्तियों को स्थायी पदों पर नियुक्त कर दिया जायेगा ।

श्री नम्बियार : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि किसी भी व्यक्ति के पूर्ववृत्तान्त को प्रमाणित करने के लिये किस प्रकार के चरित्रसम्बन्धी प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है—उस के पूर्ववृत्तान्त को सिद्ध करने के लिये गुप्तचर विभाग का अथवा किसी सरकारी पदाधिकारी का प्रमाणपत्र होना चाहिये ?

श्री त्यागी : मेरे मित्र को इस बात से भयभीत नहीं होना चाहिये । अब तक आयकर विभाग के पदाधिकारियों पर किसी भी राजनीतिक दल का प्रभाव नहीं पड़ा है ।

श्री नम्बियार : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में बतलाया है कि सेवायुक्त किसी भी कर्मचारी को अपने पूर्ववृत्तान्त के सम्बन्ध में एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिये । मैं ज्ञात करना चाहता हूं कि उसे अपने पूर्ववृत्तान्त के सम्बन्ध में किस प्रकार का, तथा किससे, प्रमाणपत्र ले कर प्रस्तुत करना होता है ?

श्री त्यागी : प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के लिये यह एक साधारण सी प्रथा है । उस व्यक्ति विशेष के पूर्ववृत्तान्त के सम्बन्ध में यह पूछा जाता है कि उस का जन्म किसी अपराधजीवी जाति, चोरी करने वाले वर्गों अथवा अन्य अपराध करने वाली जातियों में तो नहीं हुआ है । इसी की जांच होती है ।

श्री ए० सी० गुहा : माननीय मंत्री ने पश्चिमी बगाल में अस्थायी कर्मचारियों की प्रतिशतता बतलाई है । अन्य राज्यों में आयकर विभाग के अस्थायी कर्मचारियों की औसत प्रतिशतता क्या है ?

श्री त्यागी : मैं अपने माननीय मित्र को ठीक ठीक आंकड़े अथवा प्रतिशतता तो नहीं बता सकता, किन्तु उन्हें इतना विश्वास दिला सकता हूं कि व्यावहारिक रूप से यह सभी जगह एक जैसा है ।

डा० एम० एम० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि लगभग एक महीना पूर्व प्रायः एक सौ अस्थायी कर्मचारियों की छंटनी हुई है ?

श्री त्यागी : कहां से ?

डा० एम० एम० दास : पश्चिमी बंगाल में ।

श्री त्यागी : मेरे पास तो इसकी कोई सूचना नहीं है ।

श्री नम्बियार : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुये कि अभी एक बड़ी संख्या में कर्मचारियों को स्थायी किया जाना शेष है, क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी

और इस बात का भी प्रयत्न करेगी कि यथा-सम्भव शीघ्र से शीघ्र उन को स्थायी बनाया जाये ?

श्री त्यागी: मैं सदन को पहले ही इस बात का आश्वासन दे चुका हूं कि इन कर्मचारियों में से जो भी योग्य होंगे उन्हें जल्दी ही स्थायी कर दिया जायेगा ।

श्री नम्बियार: श्रीमान्, इस से बात स्पष्ट नहीं होती है ।

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति ।

नियंत्रक व महालेखा परीक्षक

*४०१. **श्री एम० एल० द्विवेदी:** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुये कि नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के दोनों पदों का भार एक ही व्यक्ति पर है, जो लेखा एवं लेखा-परीक्षा का काम अकेला ही करता है, क्या सरकार ने इन दोनों पदों को पृथक् करने का निश्चय किया है ; तथा

(ख) यदि किया है, तो कब से यह काम अलग अलग व्यक्तियों द्वारा संभाला जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) और (ख) . रक्षा एवं रेलवे विभागों में तो पहले से ही लेखा एवं लेखा परीक्षा विभागों का कार्य पृथक् पृथक् रूप से होता है । अन्य विभागों में इन दोनों को पृथक् करने में इस समय कठिनाई होगी क्योंकि ऐसा करने से उस विभाग में बहुत परिवर्तन करना पड़ेगा और कर्मचारी वर्ग को वृद्धि एवं अतिरिक्त व्यय के लिये बहुत धन की आवश्यकता होगी ।

श्री एम० एल० द्विवेदी: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इन दोनों विभागों को अलग करने में कितना समय लगेगा ?

श्री सी० डी० देशमुख: यह तो बहुत ही कठिन प्रश्न है । सन् १९३१ में एक राज्य में इस बात का प्रयोग किया गया था, किन्तु उस को वह कार्य अधूरा ही छोड़ना पड़ा था । व्यय के अतिरिक्त जनबल का अभाव भी तो एक बाधा है । और यह भी हो सकता है कि केन्द्र के स्थान पर राज्यों को ही व्यय करना पड़े ; इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देना बहुत ही कठिन है । सैद्धान्तिक रूप से इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि इन में किसी प्रकार का पृथक्करण वांछनीय है, और शेष बातों के लिये हमें प्रतीक्षा करनी होगी ।

प्रविधिक संस्थायें

*४०२. **श्री एम० आर० कृष्ण:** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५० और १९५२ में देश में राज्यवार कितनी प्रविधिक संस्थायें खोली गई हैं ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम): सन् १९५० और १९५२ में खोली गई इंजीनियरिंग और प्रविधिक संस्थाओं की, जो उपाधियां और डिप्लोमा (योग्यता-पत्र) बांटती हैं, संख्या पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और सौराष्ट्र में एक एक, पश्चिमी बंगाल, बिहार और मद्रास में से प्रत्येक में दो तथा मैसूर में ३ है । प्रमाण-पत्र देने वाली संस्थाओं की संख्या के सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री एम० आर० कृष्ण : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इन संस्थाओं में अब तक कितने व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, उन में से कितने व्यक्ति इंजीनियर हैं और कितने इंजीनियर वैज्ञानिक हैं ?

श्री जगजीवन राम : उन के सम्बन्ध में सभी बातें विस्तारपूर्वक बताना बहुत कठिन है । मेरे पास यह जानकारी नहीं है ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन खोला गया है ?

श्री जगजीवन राम : जी हां, मैं ने बताया तो कि उत्तर प्रदेश में भी एक खोला गया है ।

श्री के० के० बसु : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सभी संस्थायें एक ही स्तर की हैं ?

श्री जगजीवन राम : कई संस्थायें उपाधियां देती हैं और कई एक डिप्लोमा (प्रमाण-पत्र) देती हैं । तो इस प्रकार सभी एक ही स्तर की नहीं हैं ।

श्री बेरो : इन में से सरकारी सहायता प्राप्त संस्थायें कितनी हैं, और विशुद्ध रूप से सरकारी संस्थायें कितनी हैं ?

श्री जगजीवन राम : कई तो पूर्णतया सरकारी हैं, और अन्य निजी निकायों की हैं । मैं यह निश्चयपूर्वक नहीं बता सकता कि इन सभी संस्थाओं को सरकारी सहायता मिलती है अथवा नहीं ।

छावनी पर्षदें

*४०३. **पंडित एम० बी० भार्गव** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत की विभिन्न छावनियों में पिछले चुनाव कब हुये थे ;

(ख) भारत की विभिन्न छावनियों में वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचक नामावलियां तैयार करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है, और किस दिनांक तक इस वयस्क मताधिकार के आधार पर यह नये छावनी पर्षद् बनने वाले हैं ; तथा

(ग) वयस्क मताधिकार के आधार पर नये छावनी पर्षदों के बनाने में देर होने का क्या कारण है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) पिछली बार सन् १९४६ में २९ छावनियों में निर्वाचन किये गये थे और शेष २६ छावनियों में वर्ष १९५१ में निर्वाचन किये गये थे ।

(ख) अप्रैल, १९५० में छावनी निर्वाचन नियम, १९४५ का संशोधन हुआ था ताकि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचक नामावलियां तैयार की जा सकतीं ।

वयस्क मताधिकार के आधार पर २६ छावनियों में निर्वाचन किये जा चुके हैं । शेष २९ छावनियों में भी इसी आधार पर निर्वाचक नामावलियां तैयार की जा चुकी हैं ।

निकट भविष्य में ही नयी छावनी पर्षदें बनाई जायेंगी ।

(ग) २९ छावनियों में रहने वाले लोगों की इच्छा थी कि वार्ड पद्धति के अनुसार वहां निर्वाचन हों, अतः उन की इच्छा को पूरा करने के लिये ही वहां निर्वाचन स्थगित करने पड़े ।

पंडित एम० बी० भार्गव : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार ने छावनी अधिनियम में संशोधन कराने के लिये कोई समिति नियुक्त की थी और यदि की थी, तो उस समिति ने क्या सिफारिशें की थीं ; और क्या सरकार उस समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करना चाहती है ?

श्री गोपालस्वामी : मेरे पास कोई निश्चित सूचना नहीं है, मैं ग़लत सूचना देना नहीं चाहता हूं । माननीय सदस्य यदि अलग से एक प्रश्न पूछें तो मैं बता सकूंगा कि यह मामला किस स्थिति में है ।

पंडित एम० बी० भार्गव : क्या सरकार असैनिक जनसंख्या के क्षेत्रों को पृथक् कर के उन्हें नगरपालिका अधिनियम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाना चाहती है ?

श्री गोपालस्वामी : जहां तक रक्षा मंत्रालय का सम्बन्ध है, इस समय सरकार की ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि एलेक्टोरल रोल्स (निर्वाचक नामावलियों) का काम कब तक समाप्त हो जायेगा ।

श्री गोपालस्वामी: आशा है कि वर्ष के समाप्त होने से पहले ही यह काम समाप्त हो जायेगा ।

नसीराबाद छावनी

***४०४. पंडित एम० बी० भार्गव** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) नसीराबाद छावनी में जल प्रदाय योजना को कार्यान्वित करने में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस प्रयोजन के लिये भारत सरकार ने कितनी धनराशि स्वीकृत की थी ; तथा

(ग) किस तिथि तक इस योजना के पूरा होने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) और (ख). जल प्रदाय अधिष्ठापन का काम पूरा हो चुका है । इस के लिये सरकार ने १,३१,००० रुपये का सहायता अनुदान स्वीकृत किया था ।

(ग) यह योजना तो पहले से ही चालू है किन्तु इस में ६० फ़ुट गहराई के जो दो कुएं खोदे जाने वाले थे, वह क्रमशः २३ और ४० फ़ुट से अधिक गहरे नहीं खोदे जा सके क्योंकि इन गहराइयों पर धरातल की पथरीली तहें निकल आईं । विशेषज्ञों का मत है कि और अधिक गहरा करने से पानी की मात्रा नहीं बढ़ सकती है, अतः इस समय इस बात की जांच की जा रही है कि क्या इतने ही गहरे कुओं से आवश्यकतायें पूरी हो सकेंगी ।

बीड़ी की अनुज्ञप्तियां

***४०५. श्री एन० एस० नायर** : (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार ने बीड़ी बनाने वालों के लिये क तथा ख श्रेणी की अनुज्ञप्तियां जारी की थीं और बाद में सन् १९५१ में उन्हें वापस ले लिया था ?

(ख) यदि ऐसा है तो क्या सरकार ने उन का निक्षेप वापस कर दिया है ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जब वित्त विधेयक, १९५१ द्वारा बीड़ियों पर उत्पाद-कर लगाया गया था, और अल्पकालीन कर-संग्रह अधिनियम, १९३१ के अन्तर्गत एक विधेयक में की गई घोषणा के अनुसार १ मार्च, १९५१ से ही इसको तत्काल आरोपित किया गया था, तो उसी समय बीड़ी बनाने वालों से इस बात की अपेक्षा की गई थी कि वह केन्द्रीय उत्पाद-कर नियम, १९४४ के अन्तर्गत ५० रुपये वार्षिक शुल्क दे कर फ़ार्म ठ-४ पर एक अनुज्ञप्ति ले लेंगे । चूंकि वर्ष के बीच में ही यह कर लगाया गया था, अतः बीड़ी बनाने वालों के इस छोटे से वर्ग से वर्ष १९५१ के लिये ३७ रु० ८ आने के रियायती दर से उत्पाद-कर दे देने को कहा गया ।

इसके दो महीने पश्चात् (अर्थात् २७ अप्रैल, १९५१ को) जब वित्त विधेयक, १९५१ पारित हो कर अधिनियम बन गया, तो बीड़ी पर अस्थायी रूप से जो उत्पाद-शुल्क लगाया गया था, वह हटा दिया गया, और तदनुसार बीड़ी बनाने के लिये अनुज्ञप्तियां लेने का प्रतिबन्ध भी हटा लिया गया था ।

(ख) बीड़ियों पर उत्पादन-कर के हटा लिये जाने के तुरन्त बाद ही केन्द्रीय उत्पाद-कर समाहर्त्ताओं को यह हिदायतें दी गईं कि वह शीघ्रातिशीघ्र बीड़ी बनाने वालों

को वह अनुज्ञप्ति शुल्क वापस कर दें, जो उन से लिया गया था । उस वापस की गई शुल्क की राशि का अब तक का ब्योरेवार विवरण सम्बद्ध कार्यालयों से इकट्ठा किया जा रहा है, और यथासमय सदन पटल पर रख दिया जायेगा । प्रश्न-काल की अवधि समाप्त हो गई है ।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

अध्यक्ष महोदय: जो कोई भी समय लिया जा रहा है, इसी महत्वपूर्ण प्रश्न-काल से लिया जा रहा है । मुझे निश्चय है कि अभी प्रश्न-काल समाप्त नहीं हुआ है ।

श्री एन० एस० नायर : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या भारत के किसी भी स्थान में किसी भी व्यक्ति को यह शुल्क वापस किया गया है ?

श्री त्यागी : हमारे पास २९,००० दावे आ चुके हैं, और इन्हें छांटा जा चुका है । मैं समझता हूं कि इन दावों में से आधे से धिक की राशि वापस की जा चुकी होगी ।

श्री टी० के० चौधरी: क्या माननीय मंत्री किसी निश्चित सूचना के आधार पर यह बात बता रहे हैं ? उन्होंने कहा कि, "मेरा विश्वास है" अथवा "मैं समझता हूं" कि इन दावों की एक बहुत बड़ी संख्या को निबटा दिया गया होगा ।

अध्यक्ष महोदय : वह अभिलेखों के आधार पर ही तो बता रहे हैं । जो कुछ भी उन्होंने कहा है, निश्चित है ।

श्री एन० एस० नायर: 'छांटे जा चुके हैं' इस वाक्य का क्या अर्थ है ? दावे आपके सामने हैं, और वह व्यक्ति भी मौजूद हैं जिन्होंने अनुज्ञप्तियां ली थीं । क्या उन सभी को अथवा कुछ गिने चुने लोगों को ही यह शुल्क वापस किया जा रहा है ?

श्री त्यागी : कई मामलों में, जहां बीड़ी बनाने वालों से अनुज्ञप्ति शुल्क लिया गया था, कुछ कठिनाई हुई है । इसके साथ ही, गोदामों से कम दामों पर तम्बाकू लिया गया था । तम्बाकू की पत्ती पर उत्पाद शुल्क की दर बढ़ा दी गई थी । इस प्रकार जिन जिन मामलों में देर हुई है वहां अभी झगड़ा चल रहा है । उधर बीड़ी बनाने वालों से कहा गया है कि वह सरकार को अतिरिक्त शुल्क वापस कर दें, जो अब उन्हें देना पड़ेगा, क्योंकि उन दिनों उन्होंने कम शुल्कदर पर तम्बाकू लिया था, दर बाद में बढ़ा दी गयी थी, और इधर सरकार को अनुज्ञप्ति शुल्क वापस करना है । अतः इन का समायोजन किया जा रहा है । हिसाब लगाने के कारण ही देर हुई है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इन निक्षेपों के वापस किये जाने में बहुत अधिक विलम्ब हुआ है, और श्रीमान्, क्या इस में कोई भेदभाव किया गया है ?

श्री त्यागी: हमारी ओर से कोई देर नहीं हुई है । तथ्य तो यह है कि बीड़ी बनाने वालों के कारण ही इतनी देर हो रही है, क्योंकि वह उस अतिरिक्त शुल्क को न देने का प्रयत्न कर रहे हैं जो उन्हें सरकार को देना है । इसी कारण से उन के मामलों को अभी नहीं निबटाया गया है ।

श्री वैलायुधन: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या कम से कम एक मास के अन्दर यह पैसा वापस कर दिया जायेगा ? दो महीने से ले कर एक वर्ष तक की अवधि से यह मामले निलम्बित हैं ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ! इस का उत्तर स्पष्ट है । दावों की जांच करनी पड़ेगी ।

सबेया का हवाई अड्डा

*४०६. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) जिला सारन (बिहार) के मीरगंज पुलिस थाने के अन्तर्गत सबेया (हथुआ) स्थान पर हवाई अड्डा बनाने के लिये कुल कितनी भूमि पर अधिकार किया गया है ;

(ख) स्थायी रूप से अधिगृहीत भूमि पर प्रति एकड़ कितनी क्षतिपूर्ति दी जायेगी, और यदि अस्थायी रूप से कुछ भूमि ली गई है, तो उस पर कितनी क्षतिपूर्ति दी जायेगी ; तथा

(ग) क्या यह तथ्य है कि उस हवाई अड्डे की अधिकांश भूमि की अभी तक कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं दी गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) ७५८.०९७ एकड़ ।

(ख) स्थायी रूप से अर्जित भूमि के दाम उस की क़िस्म के अनुसार भिन्न भिन्न हैं । इस मामले में जिस प्रकार उस की दर को निश्चित किया गया है, वह यह है :

	प्रति एकड़ रु०
प्रथम श्रेणी की भूमि	१,८८३
दूसरी श्रेणी की भूमि	१,१८३
तीसरी श्रेणी की भूमि	८६०

इस समय वहां कोई भी ऐसा भूमि खण्ड नहीं है, जो अस्थायी रूप से लिया गया हो ।

(ग) ५ जुलाई, १९४५ तक जमीनों का अधिग्रहण हुआ था । अधिग्रहण की इस सारी अवधि में सभी सम्बद्ध भूस्वामियों को पूरी आवर्त्तक क्षतिपूर्ति दे दी गई है । ६ जुलाई, १९४५ को इन जमीनों की अवाप्ति की सूचना दे दी गई थी । कलक्टर ने सन् १९४९ में विभिन्न तिथियों पर अपने पंचाट की घोषणा की थी । किसानों ने कलक्टर का पंचाट स्वीकार नहीं किया । अतः बिहार सरकार ने एक मध्यस्थ को नियुक्त किया : उस ने सितम्बर १९५० में अपने पंचाट की घोषणा की, और उपरोक्त भाग (ख) में दी हुई दरें निश्चित कीं । तब से इन भूस्वामियों को १६३.२३५ एकड़ भूमि के लिये १,७७,९६९ रु० ७ आ० १० पा० दे दिये गये हैं । शेष क्षेत्र के लिये राशि का भुगतान हो रहा है, और आशा है कि इसी वित्तीय वर्ष में यह काम पूरा हो जायेगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : घड़ी ठीक से नहीं चल रही है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही यह कह चुका हूं ।

प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कोलम्बो योजना

*३९९. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२-५३ में कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भारत को विभिन्न देशों से कितनी सहायता प्राप्त होगी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : इस प्रश्न के उत्तर के लिये मैं २६ मई, १९५२ को पूछे गये प्रश्न संख्या १७० के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर में सदन पटल पर रखे गये विवरण की ओर माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

भारतीय कम्पनी अधिनियम

*४०७. **पंडित एम० बी० भार्गव** : (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने दी गई सूचना पर भारतीय कम्पनी अधिनियम के खंड ७ धारा १५३ (ग) (२) के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की है ?

(ख) क्या धारा १५३ (ग) (२) के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिये किसी कम्पनी के किसी सदस्य द्वारा सरकार को कोई अग्रेतर सूचना दी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) और (ख). भारतीय कम्पनी (संशोधन) विधेयक पर बहस करते समय में ने जिन कुछ एक अधिक महत्वपूर्ण मामलों की ओर निर्देश किया था, उन को भारतीय कम्पनी अधिनियम की धारा १५३ ग की उपधारा के अनुसार ही चलाया जा रहा है। इन में से एक मामले की रिपोर्ट निरीक्षक से शीघ्र ही मिलने वाली है। अन्य दो मामलों में, भागीदारों ने धारा १५३ ग की उपधारा (१) के अन्तर्गत न्यायालय को प्रार्थना-पत्र दिये हैं; अतः कालान्तर में धारा १५३ घ की उपधारा (३) के अन्तर्गत सरकार को अपनी बात कहने का मौक़ा मिलेगा। उसके बाद से दो अन्य कम्पनियों ने अपने आप को स्वेच्छा से परिसमापित कर लिया है। एक और कम्पनी के भागीदारों ने न्यायालय को यह प्रार्थना-पत्र भेजा है कि उस कम्पनी को अनिवार्यतः बन्द किया जाय।

२. कुछ अन्य कम्पनियों के कार्यों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों के द्वारा जांच आरम्भ कराई गई है। धारा १५३ ग से संगत परिणाम पर ही यह बात निर्भर होगी कि प्रत्येक मामले में किस प्रकार की कार्यवाही की जाये। इस धारा के अन्तर्गत न केवल यह प्रमाणित करना आवश्यक होता है कि किसी भी कम्पनी को इस प्रकार से चलाया जा रहा है जिससे कम्पनी के हितों को कोई हानि पहुंचती है अथवा उस के सदस्यों के किसी भाग पर अनावश्यक बोझ पड़ता है अपितु यह भी सिद्ध करना होता है कि तथ्यों से यह प्रगट होता है कि कम्पनी को बन्द करना न्यायसंगत है। अतः यदि निरन्तर कोई अनियमितताएं हो रही हों तो उन के सम्बन्ध में, सूचना प्राप्त करना आवश्यक है, और यह भी आवश्यक है कि भूतकाल के लेनदेन से उन का सम्बन्ध जोड़ा जाय। ऐसे कुछ मामलों के सम्बन्ध में सरकार इस प्रकार की सूचना एकत्रित करने का प्रयत्न कर रही है।

सूर्य्य-ताप से शक्ति

*४०८. **ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर**: (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन व वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सूर्य्य की किरणों से जलने वाली अंगीठियां बनाने की कोई योजना बनाई गई है ?

(ख) यदि बनाई गई है, तो कब तक ऐसी अंगीठियां बाजार में उपलब्ध होंगी, और उनका अनुमानित मूल्य क्या होगा ?

(ग) क्या सरकार को ज्ञात है कि क्या निजी व्यक्तियों द्वारा इसी प्रकार का कोई प्रयत्न किया जा रहा है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) और (ख). जी हां, श्रीमान्। भारत की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला सूर्य की शक्ति को प्रयोग में लाने के लिये जिस में सूर्यताप से जलने वाले पाचकयंत्रों का बनाया जाना भी सम्मिलित है, अनुसन्धान कर रही है। इस प्रकार के पाचकयंत्रों के प्रयोगात्मक नमूने बनाये गये हैं, और व्यावसायिक आधार पर इनके उत्पादन का प्रश्न विचाराधीन है। अनुमान है कि २५० वाट गरमी पैदा करने वाले पाचकयंत्र का दाम ५० से ६० रुपये तक होगा।

(ग) सूर्यताप की शक्ति को काम में लाने के सम्बन्ध में जितना भी प्राचीन साहित्य लिखा गया है, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने उसका पर्यालोकन किया है; उस पर्या-

लोकन से यह प्रमाणित होता है कि भारत और बाहर के कई देशों में इस सम्बन्ध में कि सूर्य के ताप से भोजन पकाया जा सके अनेकों प्रयोग किये गये हैं। और विभिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न रूप से आंशिक सफलतायें मिली हैं। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला सस्ते दामों के सूर्यतापी पाचकयंत्र बनाने का प्रयत्न कर रही है।

अनुसूचित जातियां

*४०९. **श्री बेलीराम दास** : (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारतीय गणतंत्र के अन्दर अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या कितनी है ?

(ख) इस वर्ष के आयव्ययक में से अनुसूचित जातियों में शिक्षा के प्रसार पर सरकार द्वारा कितनी धनराशि व्यय की जा रही है ?

(ग) भारत में प्रति व्यक्ति शिक्षा पर कितना व्यय होता है ?

(घ) अनुसूचित जातियों की शिक्षा पर प्रति व्यक्ति लगभग कितना व्यय होता है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सन् १९५१ की जनगणना के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं, किन्तु सन् १९४१ की जनगणना के अनुसार भारतीय गणतन्त्र में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या लगभग ४,४०,००,००० थी।

(ख) यों तो बहुत से राज्य अनुसूचित जातियों को उन की प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा पर अध्यापन शुल्कों की छूट देते हैं, और उन्हें छात्रवृत्तियां भी देते हैं, किन्तु उन के अतिरिक्त भारत सरकार का अपने सन् १९५२-५३ के आयव्ययक में से इन जातियों की मैट्रिक्यूलेशन के बाद की शिक्षा पर ८,७५,००० रुपये व्यय करने का विचार है।

(ग) सन् १९४९-५० की रिपोर्टों के अनुसार प्रति व्यक्ति शिक्षा का व्यय २·९ रुपये था।

(घ) यह सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि अनुसूचित जातियों की शिक्षा पर व्यय किये गये धन का कोई पृथक् हिसाब नहीं रखा जाता है।

राष्ट्रसंघ के महा-सचिव

*४१०. **श्री एन० पी० सिन्हा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत और राष्ट्रसंघ के बीच १४ फ़रवरी, १९५२ को नई दिल्ली में किये गये क़रार के अनुसार राष्ट्रसंघ के महा-सचिव ने भारत में कोई स्थानीय-प्रविधिक-सहायता प्रतिनिधि नियुक्त किया है, और यदि किया है, तो कब ; तथा

(ख) क्या भारत सरकार, राष्ट्रसंघ अथवा यह दोनों भारत में स्थित इस प्रतिनिधि का व्यय देंगे ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) जी हां, किन्तु यह प्रतिनिधि अभी भारत नहीं पहुंचा है।

(ख) राष्ट्रसंघ और भारत सरकार दोनों ही भारत स्थित प्रतिनिधि का व्यय देंगे। राष्ट्रसंघ उस का वेतन तथा अन्य जीविका-भत्ते दिया करेगा और भारत सरकार सचिवालय सहायता, यातायात सुविधायें और चिकित्सकीय सुविधायें दिया करेगी।

टैंक तोड़ हथगोले

*४११. **श्री ए० के० गोपालन** : (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बतालने की कृपा करेंगे कि क्या अभी हाल में फ़्रांस के एक सार्थ से कुछ टैंक तोड़ हथगोले खरीदे गये थे ?

(ख) यदि हां, तो कुल कितने मूल्य का सौदा किया गया था ?

(ग) क्या यह सत्य है कि इन का दाम वास्तविक बाज़ार भाव से अधिक दिया गया था ?

(घ) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के विरुद्ध, जो इस हानि के लिये उत्तरदायी हैं, क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) इस सौदे के आंकड़े बताना सार्वजनिक हित में नहीं है ।

(ग) ऐसी वस्तुएं साधारण बाज़ारी वस्तुएं नहीं हुआ करती हैं, जिन के मूल्य निर्माताओं से खुले आम ज्ञात किये जायें । इस प्रकार के मामलों में मूल्य विशेष रूप से तय करने पड़ते हैं ।

(घ) कोई हानि नहीं हुई है, अतः हानि के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ।

केन्द्री विश्वविद्यालयों में अध्यापन शुल्क

*४१२. **श्री ए० के० गोपालन** : (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या अलीगढ़ तथा केन्द्र-प्रशासित अन्य विश्वविद्यालयों में अध्यापन शुल्क बढ़ा दिये गये हैं ?

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत की बढ़ती हुई है ?

(ग) अलीगढ़ विश्वविद्यालय के उपकुलपति के वेतन में यदि कुछ वृद्धि हुई है तो वह कितनी है ?

(घ) क्या इस विश्वविद्यालय में प्रोवाइस चांसलर का कोई नया पद बनाया गया है, और उसका क्या वेतन है ?

(ङ) क्या भारत सरकार ने केन्द्र प्रशासित विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के सम्बन्ध में कुछ निर्बन्धनों की सिफ़ारिश की है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा विश्वभारती संस्था के अध्यापन शुल्क इसलिये बढ़ाये गये हैं ताकि यह भी केन्द्र प्रशासित अन्य विश्वविद्यालयों के स्तर पर आ सकें । दिल्ली विश्वविद्यालयों में अध्यापन शुल्क नहीं बढ़ाये गये हैं । बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने अपने आयुर्वेद पाठ्यक्रम तथा प्रयोगशालाओं के ही शुल्क बढ़ाये हैं ।

(ख) सदन पटल पर रखे गये विवरण में वृद्धि की प्रतिशतता दी गई है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ३** ।]

(ग) कोई वृद्धि नहीं की गई है ।

(घ) जी हां इस पद का मासिक वेतन १,५०० रु० है ।

(ङ) भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई पुनरीक्षण समिति ने यह सिफारिश की थी कि वर्तमान अध्यापक-वर्ग, उपकरण एवं उपलब्ध कमरे, आदि के आधार पर ही इन विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या को निर्धारित किया जाना चाहिये ; और केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना इस संख्या में १० प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं की जानी चाहिये । भारत सरकार ने उक्त समिति की यह सिफ़ारिश मान ली है ।

निर्वाचन आयोग कार्यालय

*४१३. **श्री आर० एस० तिवारी** : क्या **विधि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) निर्वाचन आयोग कार्यालय पर प्रति मास कितना व्यय किया जा रहा है ;

(ख) क्या भारत में साधारण चुनावों के हो चुकने पर भी यह आयोग कार्य करता रहेगा ; तथा

(ग) यदि करता रहेगा, तो इस के क्या कार्य होंगे ?

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिश्वास) : (क) २३,५०० रुपये (लगभग) ।

(ख) जी हां, श्रीमान् । संविधान के अनुसार यह एक स्थायी कार्यालय है ।

(ग) साधारणतया इस कार्यालय का काम इस प्रकार होगा :—

(१) प्रति वर्ष निर्वाचक-नामावलियां बनाना;

(२) निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन;

(३) निर्वाचन स्थलों और निर्वाचन स्थानों सम्बन्धी योजना का पुनरीक्षण ;

(४) ऊपरी सदनों के लिये द्विवर्षिक चुनावों सहित सभी चुनाव कराना, और (निर्वाचन-सामग्री, शलाका-पेटी, आदि के प्रदाय सहित) सभी उप-निर्वाचन कराना ;

(५) निर्वाचन सम्बन्धी व्यय के व्यौरों की छानबीन करना और उस के अनुसार लोगों को अयोग्य ठहराना ;

(६) निर्वाचन याचिकाओं का संग्रह करना और निर्वाचन न्यायाधिकरण नियुक्त करना ।

(७) निर्वाचन के आंकड़े तैयार करना;

(८) समय समय पर प्राप्त हुए अनुभवों के अनुसार निर्वाचन विधि का पुनरीक्षण करना;

(९) निर्वाचनों से सम्बन्धित मामलों में सार्वजनिक सम्पर्क स्थापित करना ;

(१०) साधारण चुनावों के सम्बन्ध में शिकायतें सुनना तथा जांच करना, निर्वाचन व्यय की रिपोर्ट न दे सकने के परिणामस्वरूप होने वाली अयोग्यताओं के अतिरिक्त अन्य अयोग्यताओं को दूर करना, निर्वाचक पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक पदाधिकारी और निर्वाचक पंजीयन पदाधिकारीयों की नियुक्ति करना तथा इस प्रकार के पदाधिकारियों की नवीनतम सूची तैयार रखना ।

बचत निक्षेप

*४१५. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि विभिन्न श्रेणियों के बचत प्रमाणपत्रों को खरीद पर, इकट्ठा होने वाले ब्याज की अदायगी के लिये अभी नियम नहीं बनाये गये हैं, न ही ब्याज की अदायगी के लिये सम्बद्ध कोषों को उन नियमों की सूचना ही भेजी गई है; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो, इन निक्षेपकों को ठीक समय पर ब्याज दिलवाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाने वाली है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

राष्ट्रीय प्रयोगशालायें

*४१६. **श्री गुरुपादस्वामी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना में कितना धन व्यय किया जा चुका है ;

(ख) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के अन्तर्गत शुरू की गई विभिन्न अनुसन्धान योजनाओं में नियुक्त किये गये गवेषणा करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ; तथा

(ग) कतिपय पदों को हटाने के परिणामस्वरूप अनुसन्धान कार्य से अलग किये गये इन गवेषणा करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) एक विवरण जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४]** ।

(ख) इस समय ११२ गवेषणा सहायक अस्थायी अनुसंधान योजनाओं पर काम कर रहे हैं, और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् इन योजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है । इन के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में २४२ वैज्ञानिक पदाधिकारी, ३३९ अनुसन्धान सहायक तथा १५६ प्रयोगशाला-सहायक रखे गये हैं ।

(ग) पिछले दो वर्षों में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के अधीन कोई भी पद हटाये नहीं गये हैं । वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् की शिफारिश पर कई स्थायी अनुसन्धान योजनायें, जिन्हें वैज्ञानिक तथा औद्योगिक परिषद् से धन प्राप्त होता था और जिन का सारा काम पूरा हो चुका था, बन्द कर दी गई थीं और इसके परिणाम स्वरूप ४० व्यक्तियों की सेवायें (३९ गवेषणा सहायक तथा एक प्रयोगशाला सहायक) स्वयं ही समाप्त हो गई थीं; किन्तु इन में से ९ व्यक्तियों को अन्य गवेषणा योजनाओं में पुनः नियोजित कर लिया गया था ।

राष्ट्रीय प्रयोगशालायें (कार्यकरण)

***४१७. श्री गुरुपादस्वामी** : (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री सदन पटल पर वह रिपोर्ट रखने की कृपा करेंगे जो प्रोफेसर बर्नल ने भारत की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के कार्यकरण के सम्बन्ध में प्रस्तुत की थी ?

(ख) उक्त रिपोर्ट पर भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) प्रोफेसर जे० डी० बर्नल ने भारतीय राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के कार्यकरण के सम्बन्ध में कोई भी रिपोर्ट नहीं दी है ?

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

ऐतिहासिक अनुसन्धान तथा निर्देश विभाग

***४२०. डा० लंका सुन्दरम्** : क्या **रक्षा** मंत्री इन के सम्बन्ध में सरकारी नीति बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) रक्षा मंत्रालय में ऐतिहासिक अनुसन्धान तथा निर्देश विभागों के सुरक्षण एवं संधारण; तथा

(२) उक्त विभाग के पदाधिकारियों के वेतन तथा उनकी भर्ती ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (१) रक्षा मंत्रालय में इस प्रकार के कोई विभाग नहीं हैं ।

(२) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

संयुक्त अन्तर्सेवा इतिहास विभाग

***४२१. डा० लंका सुन्दरम्** : क्या **रक्षा** मंत्री रक्षा मंत्रालय के संयुक्त अन्तर्सेवा इतिहास विभाग से सम्बन्धित निम्नलिखित दस्तावेजों की एक एक प्रति सदन पटल पर रखने की कृपा करेंगे ।

(१) इस विभाग के संधारण पर किये जाने वाले व्यय के विभाजन के सम्बन्ध में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ करार, और

(२) वर्ष १९५१-५२ में उक्त विभाग पर किया गया व्यय ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी): (१) ऐसा कोई भी औपचारिक क़रार नहीं हुआ था जिस की प्रति सदन पटल पर रखी जा सके। ४ जुलाई, १९४८ को आयोजित की गई अन्तः औपनिवेशिक रक्षा सचिव समिति की बैठक में इस मामले पर चर्चा हुई थी, और उस में यह निश्चय किया गया था कि संयुक्त अन्तर्सेवा इतिहास विभाग पर जो कुछ भी व्यय होगा वह भारत और पाकिस्तान के बीच ७० और ३० के अनुपात में बांट दिया जायेगा।

(२) लगभग ३,३०,००० रुपये।

संयुक्त अन्तर्सेवा इतिहास विभाग

*४२२. **डा० लंका सुन्दरम्**: क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या रक्षा मंत्रालय में संयुक्त अन्तर्सेवा इतिहास विभाग को अनिश्चित काल तक जारी रखने का विचार है ;

(ख) क्या तथा कब भारत का केवल अपना (पाकिस्तानी साझे के बिना) अन्तर्सेवा इतिहास विभाग स्थापित किया जायेगा ; तथा

(ग) क्या सरकार इस विभाग के संचालक सहित अन्य सभी पदाधिकारियों के पदों पर उचित रूप से विज्ञापन देने के पश्चात् संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा ही नियक्तियां करेगी ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी): (क) जी नहीं।

(ख) इस समय स्थायी रूप से अपना एक इतिहास विभाग स्थापित करने की कोई प्रस्थापना नहीं है।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

आसाम को अनुदान

*४२३. **श्री जे० एन० हजारिका**: क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को आसाम सरकार से इस बात का कोई अभ्यावेदन मिला है कि वर्ष १९५२–५३ के आयव्ययक के घाटे को पूरा करने के लिये उसे केन्द्रीय अनुदान दिये जायें ; तथा

(ख) यदि मिला है, तो इस विषय में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) जी नहीं, श्रीमान्। उस ने इस बात का अभ्यावेदन भेजा है कि विकास योजनाओं के लिये उसे सहायता दी जानी चाहिये।

(ख) यह विषय विचाराधीन है।

बुनियादी शिक्षा

*४२४. **प्रो० अग्रवाल**: (क) क्या **शिक्षा** मंत्री उन राज्यों के नाम बतलाने की कृपा करेंगे जिन्होंने अभी प्राथमिक श्रेणियों में बुनियादी शिक्षा शुरू नहीं की है ?

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने उच्च शिक्षा श्रेणियों में प्रवेश पाने के हेतु बुनियादी स्कूलों को माध्यमिक स्कूलों के समान मान लिया है ?

(ग) किन राज्यों ने बुनियादी शिक्षा के आगे के स्कल खोले हैं, और उन का क्या परिणाम हुआ है ?

(घ) क्या सरकार को ज्ञात है कि अब सेवाग्राम में बुनियादी विश्वविद्यालय खोल दिया गया है।

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार अण्डमान व निकोबार द्वीप, बिलासपुर, भोपाल, हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और विन्ध्य प्रदेश राज्यों ने बुनियादी शिक्षा (प्राथमिक तथा माध्यमिक) शुरू नहीं की है।

(ख) बम्बई तथा बिहार जैसे कुछ एक राज्यों ने यह किया है, किन्तु केन्द्रीय शिक्षा-परामर्शदात्री पर्षद् ने यह सिफ़ारिश की है कि सभी राज्यों को यह स्कूल खोलने चाहियें।

(ग) जहां तक उपलब्ध सूचना का प्रश्न है, केवल बिहार राज्य ने बुनियादी स्कूल खोले हैं, किन्तु कुछ अन्य राज्य भी इस प्रश्न की जांच कर रहे हैं। बिहार राज्य ने इस दिशा में जो प्रयोग किया है, वह अच्छे ढंग से शुरू हुआ है।

(घ) हिन्दुस्तानी तालीमी संघ ने उन लड़कों तथा लड़कियों के लिये जिन्होंने बुनियादी शिक्षा के सात वर्ष पूरे कर लिये हैं, एक विभाग खोला है। संघ के कथनानुसार यह बुनियादी शिक्षा के आगे का विभाग ही विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के बराबर है। किन्तु भारत सरकार ने इस स्थिति की जांच नहीं की है।

नैशनल डिफ़ेन्स एकेडमी, देहरादून

*४२५. **प्रो० अग्रवाल:** (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५१-५२ में कितने उम्मीदवारों ने नैशनल डिफ़ेन्स एकेडमी में प्रवेशार्थ प्रार्थना-पत्र भेजे थे ?

(ख) स्वास्थ्य परीक्षा में उत्तीर्ण न होने के परिणामस्वरूप कितने उम्मीदवारों के प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत हो गये थे ?

(ग) अन्त में दाख़िल किये गये उम्मीदवारों की संख्या (राज्यवार) कितनी थी ?

(घ) उक्त एकेडमी में प्रत्येक केडेट (छात्र सैनिक) की शिक्षा पर औसतन कितना मासिक व्यय होता है ?

(ङ) इस व्यय का कितना भाग सरकार देती है ?

(च) क्या इन केडेटों को कृषि कार्य की भी कोई शिक्षा दी जाती है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी): (क) से (ग) . मैं दो विवरण सदन पटल पर रखता हूं। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५**]

(घ) ज्वाइंट सर्विसेज़ विंग और मिलिट्री विंग में प्रति केडेट मासिक व्यय क्रमशः ६०० रुपये और ५५० रुपये होता है।

(ङ) प्रशिक्षण का सारा व्यय सरकार ही उठाती है।

(च) जी नहीं।

नैपाल को सहायता

*४२६. **श्री बी० एस० मूर्ति:** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या नेपाल को कोई प्रविधिक सहायता दी गई है ; तथा

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) जी नहीं श्रीमान्।

(ख) इन्टरनैशनल स्टैटिस्टिकल एजुकेशन सेन्टर (अन्तर्राष्ट्रीय समंक सम्बन्धी शिक्षा केन्द्र), कलकत्ता में दो व्यक्तियों को जुलाई १९५१ से दिसम्बर १९५१ तक प्रशिक्षा दी गई थी।

अनुसूचित आदिम जातियों को छात्र वृत्तियां

*४२७. **श्री बह्मामो-चौधरी:** क्या शिक्षा मंत्री उन छात्रवृत्तियों की संख्या बतलाने

कर कृपा करेंगे जो इस समय भारत की अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को—

(१) कालिजों तथा प्रविधिक संस्थाओं में ; और

(२) माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में—

पढ़ाई के लिये दी जाती हैं ; और यह भी बतलायें कि प्रत्येक छात्रवृत्ति की राशि क्या है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम): माननीय सदस्य का ध्यान सदन पटल पर रखे गये विवरण की ओर आकर्षित किया जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६**]

फ़ोर्ड फ़ाउन्डेशन सहायता

६६. डा० राम सुभग सिंह: क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) ग्राम विकास परियोजनाओं की व्यवस्था करने तथा उन के कर्मचारी वर्ग को प्रशिक्षित करने के केन्द्र स्थापित करने के लिये फ़ोर्ड फ़ाउन्डेशन द्वारा कुल कितनी धनराशि दी गई है ;

(ख) क्या उक्त फ़ाउन्डेशन द्वारा दिये गये अनुदान में इन केन्द्रों का पूंजी व्यय के अतिरिक्त सभी आवर्तक व्यय सम्मिलित होगा ; तथा

(ग) इन केन्द्रों पर होने वाला पूंजी व्यय किस तरह पूरा किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) फ़ोर्ड फ़ाउन्डेशन ने अब तक पांच विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों तथा १५ प्रकृष्ट विकास परियोजनाओं के लिये १२ लाख डालर दिये हैं ।

(ख) और (ग) . फ़ोर्ड फ़ाउन्डेशन अनुदान में पांच विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों का ३ वर्ष के लिये पूंजी व्यय तथा उस के अतिरिक्त सभी आवर्तक तथा अनावर्तक प्रकार का व्यय सम्मिलित है । अब रहा १५ प्रकृष्ट विकास परियोजनाओं का प्रश्न: उक्त फाउन्डेशन प्रथम दो वर्षों में पूंजी व्यय तथा उसके अतिरिक्त अन्य सभी आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय उठायेगा, और तीसरे वर्ष में आवर्तक (पूंजी व्यय के अतिरिक्त) व्यय का एक तिहाई भाग देगा ।

कच्चे पटसन पर निर्यात शुल्क

६७. डा० पी० ऐस० देशमुख: (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९४९ से ३० अप्रैल, १९५२ तक कच्चे पटसन, पटसन निर्मित वस्तुओं, हेसियन, रुई, चाय, काफ़ी और काली मिर्च पर निर्यात शुल्क की दरों में क्या क्या परिवर्तन हुये हैं ?

(ख) किन किन दिनांकों को परिवर्तन हुये ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी): (क) और (ख) . एक विवरण, जिसमें उक्त वस्तुओं के निर्यात शुल्क की दरों में समय समय पर किये गये परिवर्तन दिये हुये हैं, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३ अनुबन्ध संख्या ७**]

छावनियों में निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा

६८. श्री एन० एस० जैन: (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १५ अगस्त, १९४७ से कितने छावनी पर्षदों ने (१) नये प्राथमिक, और (२) उच्च माध्यमिक स्कूल खोले हैं ?

(ख) इन पर्षदों की आय का कितने प्रतिशत भाग शिक्षा पर व्यय किया जाता है ?

(ग) कितने छावनी पर्षदों ने पुस्तकालय और वाचनालय खोल रखे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) से (ग) . एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८**]

विस्थापित व्यक्तियों को ऋण

६९. **श्री विद्यालंकार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विस्थापित व्यक्तियों ने मार्च, १९५२ तक पुनर्वास वित्त प्रशासन को औद्योगिक प्रयोजनों के लिये ऋण दिये जाने के जो प्रार्थनापत्र दिये हैं, उन की संख्या कितनी है ;

(ख) इन में से कितने प्रार्थनापत्र स्वीकृत हुये हैं ;

(ग) कितने प्रार्थनापत्र अस्वीकृत हुये हैं ;

(घ) कितने प्रार्थनापत्र निपटाये जाने के लिये निलम्बित हैं ;

(ङ) कितने स्वीकृत प्रार्थनापत्रों पर अभी कोई ऋण नहीं दिया गया है ;

(च) प्रार्थनापत्रों में कुल कितनी रक़म की मांग की गई है ;

(छ) कुल कितनी रक़म स्वीकृत हुई है ; तथा

(ज) साधारणतया कितने समय में एक प्रार्थनापत्र को अन्तिम रूप से निबटाया जाता है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) पुनर्वास वित्त प्रशासन औद्योगिक एवं व्यापारिक दोनों कार्यों के लिये ऋणों की मांग के प्रार्थनापत्र लेता है किन्तु औद्योगिक ऋणों की मांग के प्रार्थना-पत्रों के पृथक् आकड़े नहीं रखे जाते हैं। ३१ मार्च १९५२ तक कुल ६५,६१९ प्रार्थनापत्र प्राप्त हुये थे। इन में वह ४१,५६७ प्रार्थना-पत्र भी सम्मिलित हैं, जो २० जुलाई, १९५१ से ३० सितम्बर, १९५१ तक की सीमित अवधि में पुनः प्रार्थनापत्र आमंत्रित करने के परिणामस्वरूप प्राप्त हुये हैं।

(ख) ३१ मार्च, १९५२ तक कुल ९,६२१ प्रार्थना-पत्र स्वीकृत हुये, इन में से १,९५३ औद्योगिक ऋणों के लिये थे।

(ग) ३१ मार्च, १९५२ तक कुल १४,८४६ प्रार्थनापत्र अस्वीकृत किये गये।

(घ) ३१ मार्च, १९५२ को कुल ४१,१५२ प्रार्थनापत्र निलम्बित थे। जैसा कि बतलाया भी जा चुका है, इन में से अधिकांश प्रार्थनापत्र पुनः मांगने पर ही प्राप्त हुये थे और ३२,२१९ प्रार्थनापत्र २५ सितम्बर, १९५१ के बाद प्राप्त हुये थे।

(ङ) जिन स्वीकृत प्रार्थनापत्रों पर अभी कोई भी ऋण नहीं दिया गया है, उन की ३१ मार्च, १९५१ तक की संख्या ४,५०८ है।

(च) प्रशासन ने इस बात के कोई भी आंकड़े नहीं रखे हैं कि कुल कितने ऋण के लिये प्रार्थना की गई है।

(छ) स्वीकृत ऋणों की कुल धनराशि ८,२५,१९,३५० रुपये है, जिस में से २,३१,४६,७५० रुपये औद्योगिक ऋणों के लिये हैं।

(ज) चूंकि प्रार्थनापत्रों की संख्या बहुत अधिक है, अतः क्रमानुसार ही इन पर विचार होता है और प्रति मास २,००० से अधिक प्रार्थनापत्रों को नहीं निबटाया

जा सकता है । अतः प्रार्थनापत्र पर विचार होने में काफ़ी समय लगता है—यह नहीं बताया जा सकता कि कितना समय लगता है। किन्तु एक बार प्रार्थनापत्र के विचारार्थ हाथ में लिया जाने पर उस के निपटाने में एक महीने से अधिक समय नहीं लगता है, हां; औद्योगिक ऋणों के लिये जो प्रार्थनापत्र आते हैं, उन को तब तक निलम्बित रखा जाता है जब तक उनके सम्बन्ध में राज्य सरकारों से रिपोर्टें नहीं मिल जाती हैं, इसलिये उन के निपटाने में अधिक समय लग जाता है ।

मंगलवार,
३ जून, १९५२

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पहला सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

मंगलवार, ३ जून १९५२

———

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

(देखिए भाग १)

———

९-१५ म० पू०

सदन पटल पर रखे गए पत्र

बीमा अधिनियम की धारा २ ग के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं बीमा अधिनियन, १९३८ की धारा २ ग की उप-धारा (२) के अन्तर्गत वित्त मंत्रालय की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

(१) अधिसूचना संख्या ६५८—१ (२)/४४, दिनांक ७ अप्रैल, १९५२ । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या त-१४/५२**] ।

(२) अधिसूचना सख्या ६६६ — १ (१) /४६, दिनांक ७ अप्रैल, १९५२/ [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या त-१५/५२**] ।

————

सामान्य आयव्ययक—साधारण चर्चा—(जारी)

प्रथम अवस्था

अध्यक्ष महोदय : अब हम आयव्ययक पर सामान्य चर्चा करेंगे । इस सिलसिले में माननीय सदस्यों को कालावधि आदि के सम्बन्ध में मैं चेतावनी देने की आवश्यकता नहीं समझता ।

श्री कण्डास्वामी (तिरुचनगोड) : श्रीमान्, घड़ियां रुक गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : दुर्भाग्य है कि मेरी सावधानी के बावजूद भी माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही की ओर ध्यान नहीं देते । अब तो इस ओर से एक और सदस्य ने चौथी बार समय की चेतावनी दी है । आप घबराइये नहीं : मेरे पास घड़ी है, और मैं इसी के अनुसार कार्यवाही करूंगा । हां, इस बात का भी प्रयत्न हो रहा है कि यह घड़ियां ठीक हो जायें ।

डाक्टर जयसूर्य (मेदक) : लेकिन हमारा और आपका समय नहीं मिलता ।

अध्यक्ष महोदय : अंग्रेजी कवि-लेखक पोप ने एक बार कहा था कि दो व्यक्तियों के निर्णय, दो घड़ियों की भांति, कभी भी नहीं मिलते, किन्तु होता क्या है कि दोनों अपनी अपनी जगह पर अपना निर्णय ठीक मानते हैं । मेरा विचार है कि माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे । घड़ियों

[अध्यक्ष महोदय]

के मिलाने का कोई भी लाभ नहीं क्योंकि दो घड़ियों का समय शायद ही मिलता है। मेरी घड़ी में ९-१७ बजे हैं, मैं इसी के अनुसार चलूंगा, यदि १५ मिनट का भी अन्तर हो तो किसी भी सदस्य की क्षति नहीं हो सकती। यह दूसरी बात है कि मेरी घड़ी रुकने से हानि होगी।

श्री मात्तन (तिरुवल्ला) : आज मेरे जीवन का नया अध्याय आरम्भ हो रहा है, और इस में सब से अधिक सौभाग्य की बात यह है कि आप ने मुझे आयव्ययक पर बोलने का अवसर दिया है, इस के लिये मैं आप को धन्यवाद दे रहा हूं। किन्तु श्रीमान्, मुझे खेद है कि समय .....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य की सूचना के लिये यह बताना चाहता हूं कि यहां लिखित भाषणों की आज्ञा नहीं, हां यह तो हो सकता है कि वह हवाले के लिये लिखी हुई टिप्पणियां पढ़ कर सुनायें, किन्तु वह लिखित भाषण नहीं सुना सकते हैं। मुझे ज्ञात नहीं कि वह किस बात की ओर निर्देश कर रहे हैं किन्तु जिस वेग से यह पढ़ रहे थे, उस से यही पता चलता था कि वह लिखित भाषण सुना रहे हैं। अतः माननीय सदस्य केवल टिप्पणियां पढ़ सकते हैं, भाषण नहीं।

श्री मात्तन : श्रीमान्, खेद है कि समय के अभाव के कारण मैं इस आयव्ययक के आर्थिक अथवा सामाजिक पहलुओं पर कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि मुझे अपने राज्य के सम्बन्ध में कुछ आवश्यक बातें कहनी हैं। मैं त्रावनकोर कोचीन का हूं, जहां की जनता के समक्ष इस समय कई समस्यायें हैं, और मैं उन्हीं पर बोलूंगा।

मेरा कर्तव्य अधूरा रहेगा यदि मैं माननीय वित्त मंत्री को उनके साहसपूर्ण, ठोस तथा निर्भय ढंग से इस आयव्ययक के प्रस्तुत करने पर बधाई नहीं देता। सारी भारत की आशायें नदी घाटी परियोजनाओं पर बंधी हैं और उन्होंने इस आयव्ययक में उन सभी को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। मैं यह भी समझता हूं कि उन्हें सहायता रोकते समय काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा और ऐसा लगा होगा जैसे कि किसी शल्य चिकित्सक को अपने लड़के की शल्य-चिकित्सा करते समय अनुभव होता है। किन्तु इस सब के बीच कितनी ही अच्छी बात होती यदि माननीय वित्त मंत्री तथा खाद्य मंत्री ने कम आय वाली निर्धन जनता का ध्यान रखा होता, और उन्हें इस सहायता से वंचित नहीं किया होता, अस्तु, मैं आशा करता हूं कि सत्र के अवसान से पहले माननीय मंत्री अवश्य इस प्रकार की सहायता की घोषणा करेंगे।

त्रावनकोर कोचीन राज्य में बहुत अधिक लोग रहते हैं यद्यपि यह राज्य क्षेत्र फल में इतना बड़ा नहीं है। बहुत समय से शिक्षितों की बेकारी ने वहां के लोगों को परेशान कर रखा है। यद्यपि हम ने वहां अपने आप को कृषक के रूप में सिद्ध किया फिर भी भूमि कम होने के कारण हमारे लोगों को पड़ोस के मद्रास राज्य स्थित वयनाद ज़िले में जाना पड़ा ; और वह स्थान, मलेरिया ग्रस्त है। हमारे लोगों को वहां की भूमि सस्ते दामों पर मिली और सरकार अथवा किसी अन्य साधन से आर्थिक, प्राविधिक अथवा सामाजिक सहायता के अभाव में भी हम ने उस बंजर भूमि में श्रेष्ठ बगीचे और फुलवाड़ियां लगाईं और चावल, काली मिर्च, शकरकन्दी तथा इलायची, आदि से खेतियां लहलहायीं। अभी हाल में मद्रास राज्य में कनडा ज़िले के कुछ अधिकारी कृषकों ने मुझे एक स्मृति-पत्र भेजा। मुझे

विश्वास है कि मद्रास सरकार उन्हें सहायता देगी और यहां से उन्हें नहीं हटायेगी। श्रीमान्, मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि हमारी जाति बहुत ही परिश्रमी है, और यदि हमें कृषि के लिये भूमि दी जाय तो हम वहां अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन से भी अधिक अच्छे परिणाम दिखा सकते हैं। भारत में कृषि-योग्य भूमि की बहुतायत है। हमारे लोग अण्डमान, बोरन्यू जाने को भी तैयार हैं, और वहां खेती करने का भी चाव रखते हैं। अतः मैं माननीय खाद्य मंत्री से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह अन्य राज्यों में उपलब्ध भूमि के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करें ताकि हमारे लोग वहां जाकर बस्तियां बनायें और खेती कर सकें।

कुछ भी हो, केवल कृषि से हमारी समस्या हल नहीं हो सकती। कुटीर तथा बड़े पैमाने उद्योगों से यह समस्या सुलझ सकती है। हमारे राज्य में जल विद्युत् शक्ति भी उपलब्ध है। यदि इसका विकास किया जाये तो हम पड़ोस के राज्यों को भी बिजली मुहय्या कर सकते हैं। हमारा समुद्रीय तट काफ़ी लम्बा है और कोचीन में बहुत ही बढ़िया प्राकृतिक पोतघाट भी बन सकता है। हमारे यहां मेधावी, प्रवीण तथा अप्रवीण श्रमिकों की भी कमी नहीं। हम किसी भी प्रकार की मशीन चला सकते हैं किन्तु दुर्भाग्य है कि हमारे राज्य को कुछ अन्य राज्यों की भांति बड़े बड़े औद्योगिक संयत्र नहीं मिले हैं, यहां तक कि अलवाये में स्थित रेयर एर्थस कम्पनी, जिसे हमारे राज्य से कुल कच्ची वस्तुओं तथा पूंजी का आधा भाग मिलता रहा है, भी हमारे से छीनी गई थी। बड़ी चतुरता से हम इस को अपने अधिकार में रख सके। श्रीमान् मेरी यह प्रार्थना है कि भविष्य में कुछ एक कारखाने हमारे राज्य को भी दिये जायें, ताकि हमारी समस्यायें हल हो सकें। योजना आयोग ने भी हमारे पक्ष में कोई विशेष बात नहीं कही। शिक्षितों की बेकारी हमारे यहां की सब से बड़ी समस्या है और मैं इस बात को छिपाना नहीं चाहता कि यदि आगामी पांच वर्षों में इस को हल नहीं किया गया तो हमारा राज्य सारे भारत के लिये भयावह बन जायेगा।

श्रीमान्, दुर्भाग्य है कि जहां त्रावनकोर के एक सिरे से लेकर कन्याकुमारी के दूसरे सिरे तक, सड़क के दोनों ओर हर फरलांग पर आपको बाग-बगीचे और मकान मिलेंगे; किन्तु यह सदा से घाटे का क्षेत्र रहा है। यदि हमारे यहां वर्ष भर टेपियोका (शकरकन्दी) की कृषि नहीं होती तो हज़ारों मनुष्य आज तक भूख से मर गये होते। हमारे प्रान्त वासियों को अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के लिये कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ा। यहां निर्धन किसान भी रासायनिक खाद खरीद कर अपने पुर्वजों की अपेक्षा, अधिक अन्न उगा रहे हैं, किन्तु कठिनाई यह है कि हमारे पास वहां कोई भी भूमि नहीं है, और यही कारण है कि हमारे कृषक भारत के किसी भी अन्य स्थान में जाकर बसना चाहते हैं।

इस समय हमें लगभग उन १५ लाख व्यक्तियों की मुसीबतों को दूर करना है जो नारियल के जटा से रस्सी, चिटाई आदि का निर्माण करते हैं। ऐसा लग रहा है कि इन बेचारों का निकट भविष्य बिल्कुल अन्धकारमय है। ग्रेट ब्रिटेन में इस उद्योग के उपपादों की सब से अधिक खपत थी किन्तु उन्होंने भी इसके आयात पर प्रतिबध लगाये। मार्च, १९५२ के अन्त तक इस के निर्यात में ५० प्रति शत कमी हो चुकी है। ग्रेट ब्रिटेन के अतिरिक्त आस्ट्रेलिया ने भी इसका आयात कम कर दिया है। सन्युक्त राज्य अमरीका ने तटकर के प्रतिबन्ध लगाकर इसके आयात में और भी कमी कर दी है। मैं चाहता हूं कि

[श्री मात्तन]

सरकार ने जिस तरह साउथ इण्डिया काफी के प्रचार के लिये काफी बोर्ड बनाकर, इसका प्रचार कराया इसी तरह नारियल जटा के उपपादों के लिये एक कोयर बोर्ड नियुक्त करके भारत में इसका प्रचार कराये। यह तो स्पष्ट है कि नारियल जटा की चटाइयां तथा अन्य निर्मित वस्तुएं जलाभेद्य तथा अधिक टिकाऊ होती हैं। यदि सरकार इसको प्रोत्साहन देने के लिये कोई सक्रिय कदम उठायेगी तो लगभग १००,००० परिवारों का कल्याण होगा। इन परिवारों ने अपनी ओर से, अभी हाल में प्रधान मंत्री के पास एक प्रतिनिधि मण्डल भी भेज दिया था, जिन्होंने प्रधान मंत्री का ध्यान इनकी बेकारी की ओर पूरी तरह से आकृष्ट किया था, किन्तु जब तक सरकार और विशेषत: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री इन उद्योगों के प्रोत्साहनार्थ एक मंडली नियुक्त नहीं करते, तब तक इस उद्योग के उपपादों का प्रचार नहीं हो सकता।

काली मिर्च के सम्बन्ध में भी कुछ शब्द कहना चाहता हूं। अन्न-पोतघाट व्यापार सम्मेलन ने ५०० पौण्डों पर १५ रुपये के हिसाब से निर्यात-शुल्क लगाया था, किन्तु भारत संघ के साथ एकीकरण होने के बाद से भारत सरकार ने मुद्रास्फीति विरोधी साधन के रूप में १६५ रुपये प्रति हण्ड्रडवेट का निर्यात-शुल्क लगाया। श्रीमान्, मेरी यह प्रार्थना है कि इस निर्यात-शुल्क को कम कर दिया जाये ताकि इस उद्योग को भी पनपने का अवसर मिले।

श्रीमती सुचेता कृपलानी (नई दिल्ली): मैं इस बात का अनुभव करती हूं कि वित्त मंत्री को इस आयव्ययक के प्रस्तुत करने में कितनी कठिनाइयां प्रस्तुत हुई होंगी, किन्तु अब हमें यह देखना होगा कि इस में जो नीति प्रस्थापित हुई है, उस से हमारे देश की भलाई होगी अथवा नहीं। जहां तक वित्तीय दृष्टिकोण का सम्बन्ध है, प्रस्तुत आयव्ययक उत्साहप्रदान नहीं। इसको देखने से पता चलेगा कि घाटे में कोई भी कमी नहीं हुई है। १९५१-५२ के आयव्ययक में ५० करोड़ का सर्वोपरि घाटा था, और इस पुनरीक्षित समंक में ३,८०,००,००० रुपये का घाटा रहा। और अब यह कहा जाता है कि ७५.६ करोड़ रुपये का घाटा है। मैं समझती हूं कि सरकार मुद्रास्फीति को रोकना चाहती है किन्तु मैं पूछना चाहती हूं कि क्या इस ७५.६ करोड़ रुपये के घाटे से देश में मुद्रास्फीति बढ़ने की संभावना नहीं है। हमें ज्ञान नहीं कि इस से मुद्रास्फीति रुकेगी अथवा बढ़ जायेगी, न तो हम यह जानते हैं कि वित्त मंत्री इस आयव्ययक से किस प्रकार मुद्रास्फीति रोकना चाहते हैं।

वित्त मंत्री जी ने एक और बात भी कही है। मार्च के अन्त में हमारे पास नकद ८३.३८ करोड़ रुपये बचेंगे। विभाजन के पश्चात् हमारे पास लगभग ३०० करोड़ रुपये की नकद बचत थी, किन्तु अब केवल ८३ करोड़ बचे रहते हैं। इस में से ४० करोड़ रुपये की राशि संयुक्त राज्य अमरीका से सहायता के रूप में मिली है। वित्त मंत्री ने इस आर्थिक स्थिति पर असंतोश प्रकट किया है, और उन की भाषा से भी राजनीति की बू आती है। उन्होंने स्वयं ही कहा है : "वित्तसम्बन्धी कार्यों के लिये तो कम से कम इतनी राशि होनी चाहिये।" और जहां हम वर्तमान अर्थनीति की त्रुटियों की ओर इशारा करते हैं तो हम से कहा जाता है कि "पांच दस वर्ष तक देखते रहो हमारे पास जादुई योजनायें हैं—अर्थात् पंचवर्षीय योजना और अन्य योजनायें, जिनके चालू होने के बाद कोई भी शिकायत नहीं रहेगी।"

ठीक है, किन्तु इन योजनाओं के लिये पैसा कहां से आयेगा । विदेशी सहायता पर हम कहां तक निर्भर रहेंगे ? मान लीजिये कि विदेशों से सहायता नहीं मिलती, तो हमारे साथ कैसी बीतेगी ? ऐसी खर्चीली परियोजनाओं को आरम्भ करते समय हमें देशीय संसाधनों को भी उठाना पड़ेगा । हम कहां तक विदेशी सहायता पर निर्भर करते रहेंगे । मुझे यह भी मालूम हुआ है कि सरकार एक सुधार सम्बन्धी करारोपण भी करना चाहती है । तो इस हिसाब से सब से पहले उड़ीसा राज्य की बारी आती है । उड़ीसा के विधान मंडल के अगले सत्र में यह प्रश्न उठाया भी जायेगा ; उस समय इस बात का पता चलेगा कि इस प्रस्तावित करारोपण के सम्बन्ध में लोगों की क्या राय होगी। अब उड़ीसा के सम्बन्ध में ही देखिये । आज तक हिराकुड परियोजना पर सरकार लगभग २ करोड़ रुपये व्यय कर चुकी है किन्तु अभी काम पूरा नहीं हो पाया है । तो, इस घाटे को कौन पूरा करेगा । क्या उड़ीसा के लोग सुधारसम्बन्धी करारोपण के निमित्त पैसा देकर घाटा पूरा करना चाहेंगे ? हम भले ही विदेशी सहायता पर थोड़ा सा निर्भर करें किन्तु हमें अपने देश पर अधिक विश्वास होना चाहिये ।

पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में कई एक प्रश्न हैं जिन से लोगों के मन में अशान्ति फैल रही है । सच पूछा जाय तो इस योजना में आज तक के समय का इतिहास भरा पड़ा है, क्योंकि इस के लिये कोई स्पष्ट वित्तीय व्यवस्था नहीं की गई है न तो इसको कोई अन्तिम रूप ही दिया गया है । इन पांच वर्षों में से एक वर्ष बीत भी चुका है, किन्तु क्या हो पाया है, आखिर हम लोगों से किसी ऐसे काम के लिये धन नहीं मांग सकते, जिसकी कोई भी रूपरेखा नहीं दी गई हो । यह तो रहा वित्तीय दृष्टिकोण से आयव्ययक के सम्बन्ध में मेरा मत ।

अब इस आयव्ययक के सम्बन्ध में आप जन साधारण का मत लीजिये । लोगों की नज़रों में यह आयव्ययक यथापूर्वस्थिति का आयव्ययक है जिस में न तो करारोपण है और न कोई सहायता है । लोग कदाचित्, यह समझते थे कि निर्यात शुल्कों के गिर जाने के परिणामस्वरूप कोई नये कर लगेंगे । जहां उन्हें इस बात की थोड़ी सी प्रसन्नता है वहां वे इस बात से असंतुष्ट हैं कि अभी वे आयकर तथा अधिकार हटाये नहीं गये जो पिछले वर्ष के आपात में लगाये गये थे । कदाचित् यही कारण है कि बड़ी बड़ी आयों पर नये कर लगाने की बात नहीं सुझाई गई है, किन्तु इस बजट में जो सब से बड़े अन्याय की बात हुई तो वह यह है कि विविध प्रकार की आयों पर बराबर-बराबर अनुपात से करारोपण नहीं हो पाया है । मैं सरकार को बतलाना चाहती हूं कि कर से प्राप्त होने वाले सरकारी राजस्व का तीन चौथाई भाग निम्न वर्गों से ही प्राप्त होता है । स्पष्ट है कि बेचारे ग़रीबों पर ही इस का बोझ पड़ जाता है । अब देखिये कि नगर-वासियों को खाद्य-सहाय्य मिलना भी बन्द हो गया है । दूसरे शब्दों में यही कहा जा सकता है कि इस सहायता के छिन जाने से उन पर एक अप्रत्यक्ष कर आ पड़ा है । और इस तरह खाद्य सहायता बन्द होने से मध्य वर्गीय, निम्न मध्य वर्गीय तथा उद्योग श्रम पर एक बड़ा बोझ पड़ा है जो किसी भी रूप में एक नये करारोपण से कम नहीं ।

वित्त मंत्री का कहना है कि उपभोक्ता को अब कम दामों पर दैनिक आवश्यकता की वस्तुयें मिलती हैं और उसका जीवन यापन देशनांक घट गया है, अतः खाद्य सहायता के छिन जाने की चिन्ता नहीं

[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

की जानी चाहिये । किन्तु हुआ क्या है कि वस्तुओं के थोक दाम घट गये हैं, जिन से खुदरे दामों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है, न तो जीवन यापन देशनांक में कोई अंतर पड़ा है । फरवरी, मार्च में दाम कम हो गये थे किन्तु अब दाम फिर से बढ़ने लगे हैं । देख लीजिये कि खाद्य सहायता छिन जाने से दिल्ली में ही राशन में मिलने वाले अनाज के लिये लोगों को अब पहले से ४ रुपये अधिक देने पड़ रहे हैं । उस मध्य वर्गीय व्यक्ति को लीजिये जो १२० रुपये मासिक वेतन पाता है । ८० रुपये तो वह राशन पर ही व्यय करता है शेष आवश्यकताओं पर वह क्या व्यय करेगा ? निम्न वर्गीय व्यक्तियों की दशा और भी बिगड़ी है । उन्हें इस आयव्ययक ने कोई भी सहायता नहीं दी है । सरकार को चाहिये कि देश में पैसे का बराबर बराबर बटवारा हो और बजट का बोझ किसी एक पर ही नहीं पड़े ।

वित्त मंत्री का कहना है कि हमें बलिदान करना चाहिये क्योंकि इससे हमारे बच्चों का भला होगा । ठीक है किन्तु यह तभी हो सकता है जब कर का बोझ सभी पर बराबर बराबर पड़े, अन्यथा विकास परियोजनायें कार्यान्वित नहीं हो सकतीं । भूखे पेट में उत्साह कहां से आया इसमें अन्याय ही अन्याय है । इस आयव्ययक में सहायता की कोई भी बात नहीं अपितु इस से हम ग़रीबों का बोझ और भी बढ़ता जा रहा है ।

खाद्य सहायता हटाये जाने के पक्ष में कई दलीलें दी गईं । कहा जाता है कि खाद्य सहायता से नागरिक जनसंख्या को ही लाभ रहता है, अतः इसे हटाया जाना चाहिये । हो सकता है कि बात ठीक हो किन्तु यह तो बहुत ही देर की बात है । आप राशनिंग के सिद्धांत को लीजिये—क्या उसमें विभेद नीति नहीं बरती जाती ? सरकार ४ करोड़ ४० लाख व्यक्तियों को ही राशन देती है, शेष ३० करोड़ तो राशन नहीं पाते । ऐसा नहीं होना चाहिये था, किन्तु नागरिक आबादी तथा उद्योगसम्बन्धी श्रम को देश की आर्थिक व्यवस्था में इस प्रकार की सहायता शुरू से मिलती है ।

सरकार ने आलोचकों का मुंह बन्द करने के लिये सिंचाई की छोटी छोटी परियोजनाओं के लिये १० करोड़ रुपये दिये हैं, जो खाद्य सहायतार्थ के २५ करोड़ में से ही अलग कर दिये गये हैं । प्रसन्नता की बात है कि वित्त मंत्री ने सिंचाई की छोटी छोटी परियोजनाओं पर पैसा लगाना उचित समझा है । हमें इनकी आवश्यकता नहीं, किन्तु फिर भी हम इन के पक्ष में हैं ; लेकिन मेरा अनुभव है कि छोटी छोटी परियोजनाओं के नाम पर सरकारी धन लुटाया जाता है । मुझे याद है कि एक बार तालाब खोदने के लिये पैसे दिये गये थे किन्तु बाद में वे तालाब ही नहीं खुदे । क्या यह सरकारी पैसे का ग़बन नहीं ? मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगी कि वे छोटी छोटी परियोजनाओं के लिये दिये १० करोड़ रुपये की राशि की खूब निगरानी करते रहे, ताकि अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन को इन परियोजनाओं से कोई सहायता मिल सके ।

मंत्री जी ने अपने भाषण में अधिक अन्न उपजाओ के सम्बन्ध में कहा था कि कृषि-सम्बन्धी उत्पादन में वृद्धि हुई है । उनका कहना है कि जूट उत्पादन ४६.८ लाख गांठों तक पहुंचा है और रुई की फसल २३ से ३० लाख गांठों तक पहुंच गई है । खाद्य के सम्बन्ध में उनका कहना है—"वर्षाभाव तथा अनावृष्टि से भी बड़े बड़े क्षेत्रों में फसलें नहीं उगी थीं, वहां अधिक अन्न उपजाओं योजनाओं ने जादू का काम कर दिखाया ।" किन्तु अनावृष्टि से ही नहीं

अपितु अन्य कारणों से भी अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन सफल नहीं रह सकता। क्या यह सत्य नहीं कि मद्रास में तम्बाकू की उत्तर प्रदेश में गन्ने की और बंगाल में जूट की काश्त बढ़ा दी गई है जिस से खाद्य उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है ? किन्तु, ऐसा क्यों होता है—बिल्कुल इसीलिये क्योंकि हर वाणिज्यक फसलों से इन बेचारे किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। इसी लिये, मैं समझती हूं कि सरकार अब भी संभल जाय और खाद्य के उत्पादन में होने वाली इस धांधली को दूर करे तथा विविध फसलों के दामों को निश्चित करे ताकि देश की अपनी आवश्यकतायें पूरी हो सकें। श्री गाडगिल कल ही बतला चुके हैं कि राज्यों में समाहार-कार्य में कितनी धांधली मची है, अतः सरकार को इन के सम्बन्ध में भी सतर्क होकर व्यवस्था कर देनी चाहिये ताकि उत्पादन-परियोजनाओं में सफलता प्राप्त हो ।

अब सरकार इस बात की ओर ध्यान दे कि देश की नगद बचत समाप्त होने को है। हमने बड़ी बड़ी परियोजनायें शुरु की हैं लेकिन उन के लिये पैसा कहां से आयेगा। अब ऐसी स्थिति में बुद्धिमत्ता इसी में है कि हमारे प्रशासन में मितव्ययता हो। धन के अपव्यय तथा दुरुपयोग को दूर करने से ही हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होगी, नहीं तो हर वर्ष हम घाटे में रहते चलेंगे। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि प्रति वर्ष हमारा संस्थापना आयव्ययक बढ़ता है। हम समझते थे कि स्वतंत्र होने के बाद हमें सेना पर कम व्यय करना पड़ेगा किन्तु पाकिस्तान और काश्मीर की गड़बड़ को देखकर यह कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ती कि सेना पर का व्यय कम किया जाना चाहिये, प्रस्तुत आयव्ययक भी ब्रिटिश राज्य के दिनों का सा है जिसमें सेना तथा संस्थापन शीर्षों पर सब से अधिक राशि व्यय होती थी। देश की पुनर्रचना अथवा कल्याण के लिये बहुत ही कम पैसा बचा रहता है। कल्याणपूर्ण राज्य ही हमारा उद्देश्य है किन्तु स्वास्थ्य, शिक्षा, आदि जैसे कल्याण सम्बन्धी विभागों पर कुछ भी व्यय नहीं होता, इसमें स्वास्थ्य मंत्री का भी क्या दोष हो सकता है। अर्थाभाव से उन का मंत्रालय भी कुछ नहीं कर सकता। यदि हम अपने राज्य का कल्याण चाहते हों तो हमें अपव्ययी मदों को पूर्णतया हटाना पड़ेगा। वित्त मंत्री जी ने वचन दिया था कि सैनिक तथा नागरिक व्यय की कड़ी जांच की जायेगी और नागरिक व्यय में पांच करोड़ रुपये की बचत की जायेगी, किन्तु अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। १९५१ की लेखा परीक्षा रिपोर्ट तथा लोक लेखा रिपोर्ट की ओर यदि आप ध्यान दें तो आपको प्रशासन में कई एक धांधलियां नज़र आयेंगी। अभी विगत वर्ष ही श्री शिवा राव ने 'जीप प्रवाद' की ओर, जिसमें लाखों रुपये का अपव्यय हुआ है, निर्देश करके इस सदन में एक सनसनी पैदा कर दी थी किन्तु मैं उन गुटालों पर, क्या छोटे क्या बड़े, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती।

मैं १९५१ की लोक लेखा समिति रिपोर्ट के अध्याय ४ तथा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के अध्याय ५ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। इन से आप को पता चल जायेगा कि सरकारी पदाधिकारी लोकधन का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। स्पष्ट है कि उन्होंने ग़ैर ज़िम्मेदारी और लापरवाही से काम लिया है। यदि उक्त कमेटी की रिपोर्ट पर चला जाय तो पैसे की बहुत बचत होगी। मैं यह भी चाहूंगी कि मंत्री महोदय विगत वर्ष म हुये उन सभी गुटालों के सम्बन्ध में, एक वक्तव्य दें। आप श्री शिवा राव द्वारा उद्घटित 'जीप अपवाद'

[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

को ही लें। श्री शिवा राव कोई ऐरे गैरे विरोधी सदस्य नहीं, न तो लाल अथवा नीले दल के ही प्रतिनिधि हैं। वे तो विशुद्ध और पवित्र श्वेताम्बरधारी कांग्रेसी हैं। क्या उन के कहने को सत्य नहीं माना जायेगा। हम लोगों के प्रतिनिधि होने के साथ साथ उनकी निधि के न्यासधारी हैं अतः यह हमारा कर्तव्य है कि उस निधि की पूरी पूरी रक्षा करें और उसका सदुपयोग करें। मैं माननीय मंत्री से यह भी जानना चाहूंगी कि लोक लेखा समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये उन्होंने क्या कार्यवाही की है।

कुल पर देखा जाय तो यह आयव्ययक गणना का आयव्ययक है; इसमें जनसाधारण की बेहबूदी अथवा भलाई की कोई भी बात नहीं है।

मैं वित्त मंत्री से पुनः इस बात की अपील करती हूं कि वह मेरी आलोचनाओं पर पुनः विचार करें और इस बात का ध्यान रखें कि करारोपण का बोझ हल्का हो और बराबर बराबर हो। यदि ऐसी बात हो जाएगी तो मुझे इस बात का निश्चय है कि आपकी इन योजनाओं से देश का भला होगा।

डा० कृष्णस्वामी (कांचीपुरम्): श्रीमान् भाग्य की विडम्बना है कि माननीय वित्त मन्त्री को एक ऐसा आयव्ययक प्रस्तुत करना पड़ा है जिस से ग़रीबों की ग़रीबी और भी बढ़ गई है, और स्वार्थों का बलिदान करने वालों को कोई भी मुआवज़ा नहीं मिला है।

श्रीमती सुचेता जी ने अभी अभी कहा है कि व्यय बढ़ता जा रहा है, अतः उस को कम किया जाना चाहिये, मैं उनकी इस बात से सहमत हूं, किन्तु मैं समझता हूं कि इस आयव्ययक में अपव्ययभरी खर्चीली मदों की बहुतायत है।

सन् १९५०-५१ के आयव्ययक में लगभग ४३७.४९ रुपये की प्राप्ति दिखाई गई थी जब कि वस्तुतः लगभग ४१०.६ करोड़ रुपये ही प्राप्त हुये थे। इसी तरह अनुमानित व्यय भी ३३७.८८ करोड़ रुपये था जब कि वस्तुतः ३५७.४९ करोड़ रुपये व्यय किये गये थे। ससद ने वित्त मंत्री को इस बात का अधिकार दिया था कि कम आय वाले वर्गों से उचित अनुपात में कर प्राप्त किया जाय। चुनाचि ऐसा किया भी गया किन्तु लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका; जिस के परिणाम-स्वरूप व्यय करने वाले विभागों ने अधिक व्यय के लिये पैसे की मांग की, और अनुपूरक अनुदानों में भी इसी प्रकार की मांग हुई है जब कि इस के लिये आज्ञा मांगी जानी चाहिये थी।

१० म० पू०

वर्ष १९५१-५२ में वही बात हुई जो १९५०-५१ में हुई थी। अनुमानित प्राप्तियां जहां ४०१.०३ करोड़ रुपये थीं, वहां वस्तुतः ४९७.६७ करोड़ रुपये प्राप्त हुये थे, और जहां ३७५.०७ करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय था वहां, वस्तुतः ४०५.०५ करोड़ रुपये व्यय हुये थे। इस प्रकार के अनुमान से ९६ करोड़ रुपये मिले, जिस में से लगभग ६६ करोड़ रुपये राजस्व आधिक्य में से विनियोजित २६ करोड़ रुपये में मिला दिये गये और पूंजीगत व्यय लगाये गये। हो सकता है कि यह लाभप्रद व्यय हो किन्तु इस के लिये भी संसद् से आज्ञा मांगी जानी चाहिये थी।

अब चालू वर्ष का आयव्ययक लीजिये। वित्त मंत्री की इस बात से मैं सहमत हूं कि बहिःशुल्क राजस्व तथा अप्रत्यक्ष करारोपण में कमी हो जायेगी किन्तु मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि आयकर में बहुत अधिक कमी

होगी। अब इस तरह के प्राक्कलन जो सही नहीं होते, अतः अपव्यय में वृद्धि करते हैं।

इस बीच मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि पूंजी वृद्धि की इस नीति के लिये किस प्रकार विविध आयों के वर्गों पर समान कर लगाया जा सकता है और कैसे राजस्व से ही ये सभी खर्चे पूरे हो सकते हैं। इस बजट के आर्थिक पहलुओं की जांच करते हुये मैं यह जानना चाहता हूं कि उन लोगों को, जिन से बलिदान करने को कहा जा रहा है, क्या लाभ होगा।

हम तो उपभोग की वस्तुओं पर बहुत अधिक कर आरोपित कर रहे हैं और बचत पर बहुत ही कम। इस से लोगों की क्रय शक्ति घट जायेगी और सब से कम आय के वर्ग पर मुद्रास्फीति का बोझ पड़ेगा। भले ही मुद्रास्फीति को रोकने के लिये ऐसे उपाय किये जायें किन्तु होगा यही कि वस्तुओं के दाम बढ़ जायेंगे और अप्रत्यक्ष कर भी बढ़ते रहेंगे। इधर कुछ समय से इसी बात का पता चलता है कि आयात की गई वस्तुओं के मूल्यों तथा अप्रत्यक्ष करारोपण की दरों में वृद्धि हो जाने से जीवन-यापन देशनांक भी बदलता रहा है। अतः वित्त मंत्री जी को खाद्य सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में पुनः विचार करना चाहिये। मुद्रास्फीति विरोधक सरकारी नीति का यही परिणाम रहा है कि दामों में वृद्धि होती जा रही है; अतः इस ओर सरकार का ध्यान जाना आवश्यक है।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

अभी उस दिन वित्त मंत्री ने बतलाया कि थोक मूल्य देशनांक घट गये हैं, किन्तु यह नहीं बतलाया कि किन किन वस्तुओं का थोक मुल्य देशनांक घट गया है तथा किन किन वस्तुओं का जीवनयापन मूल्य देशनांक घट गया है। दोनों में बहुत बड़ा अन्तर है। अब देखिये कि तेल निकालने के बीजों तथा ऐसी ही अन्य वस्तुओं का अतः राष्ट्रीय व्यापार स्तर में थोक मूल्य देशनांक कम हो गया है किन्तु खाद्य का जीवनयापन मूल्य देशनांक बढ़ गया है और गाढे तथा बीच के दर्जे के कपड़ों का मूल्य देशनांक कुछ घट गया है तो इस प्रकार एक ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि एक धांधली का सामना करना पड़ता है।

वित्त मंत्री ने व्यापारियों से इस बात की अपील की थी कि वे उत्पादन-व्यय में कमी करके मूल्य घटा दें। किन्तु ऐसा होने की कोई भी सम्भावना नहीं जब जीवनयापन व्यय बढ़ते जा रहे हैं। और यदि ऐसा किया भी गया तो उत्पादन कम हो जायेगा जिसके परिणामस्वरूप बेकारी बढ़ जायेगी। ऐसी स्थिति में जहां एक ओर हमारे देश की अर्थनीति में विस्तार आ रहा है वहां मन्दी के कारण कुछ लोगों पर मुद्रास्फीति का बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान चुन कर ऋण देने के उन कुछ एक उपायों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो रिजर्व बैंक के अनुदेश के अनुसार बैंकों द्वारा चालू किये गये हैं। इस प्रकार यदि बैंक व्यापारियों निर्माताओं (उत्पादकों) तथा वितरकों से एक ही दर का ब्याज लें, उस से उत्पादकों पर ही अधिक बोझ पड़ जायेगा, किन्तु व्यापारियों और वितरकों पर अपेक्षतया कम बोझ पड़ेगा। मैं समझता हूं कि इस तरह हमारी समस्यायें हल नहीं हो सकतीं। चुन कर ऋण देने की इस व्यवस्था ने हमारे अनेक प्रदेशों में, विशेषतया दक्षिण में, बहुत से उद्योगों का काम मन्दा कर दिया है। मैं इसीलिये इन बातों का उल्लेख करना चाहता हूं ताकि आप भयकर स्थिति उत्पन्न होने से पहले ही इस बात का उपचार करें

[डा० कृष्णस्वामी]

मुद्रास्फीति सम्बन्धी अर्थनीति में मुद्रास्फीतिविरोधी उपचार भी रहते हैं क्योंकि पिछले व्यय तथा अन्तर्राष्ट्रीय कारणों से ऐसी स्थिति उपस्थित हो जाती है । किन्तु प्रस्तुत आयव्ययक की स्थिति देखिय । मैं अपने अन्य मान्य सहयोगियों की तरह इसे अवमूल्यक आयव्ययक नहीं कहना चाहता । प्राक्कलन के अनुसार हमने विगत वर्ष पूंजीगत विस्तार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये राजस्व में से २६ करोड़ रुपये लिये थे । और इसी पूंजीगत विस्तार के लिये इस वर्ष हम राजस्व में से ३ करोड़ रुपये और नक़द बचत से लगभग ४२ रुपये करोड़ ले रहे हैं । मैं समझता हूं कि हमारी नगद बचत इतनी कम नहीं हो गई है कि कोई भयंकर स्थिति पैदा हो जाय । आखिर नगद बचत का यही अभिप्राय है:कि लेनदेन से सम्बद्ध सभी अदृश्य मांगों को पूरा किया जाय, और यदि ४०० करोड़ रुपये के आयव्ययक में से आप के पास ४० करोड़ रुपये बचे रहते हों तो सरकार बहुत आसानी से सभी मांगों को पूरा कर सकती है । और इस में कोई भी सन्देह नहीं कि यदि आपका व्यय ८०० अथवा ६०० करोड़ रुपये तक पहुंच गया तो आपको और भी अधिक नकद बचत की आवश्यकता पड़ेगी ।

सरकार से मेरी यह शिकायत है कि बहुत से क्षेत्रों से धन इकट्ठा करके उस को केवल कुछ एक क्षेत्रों में व्यय किया गया है इसी से सरकार को मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ता है । और परिणाम यह होता है कि मध्य तथा निम्न वर्ग के लोगों के जीवन-यापन व्यय में वृद्धि हो जाती है । अभी उस दिन माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने यह सुझाव दिया था कि भुगतान-सन्तुलन (लेनदेन) के अनुसार ही आयात नियंत्रण होगा । अब आप इस आयात-नीति के आर्थिक पहलू को देख लीजिये ? हमें अपनी पूंजीगत परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये अत्यावश्यक वस्तुओं के आयात पर बहुत धन व्यय करना पड़ता है । जिस से यह अभिप्रेत है कि हमें वस्तु आयतों पर और भी अधिक कड़ा नियन्त्रण बिठाना पड़ेगा, यानी आगामी वर्ष में नागरिक आबादी को आयात पर बहुत कम व्यय करना पड़ेगा । राष्ट्रपति भाषण पर हुई बहस में श्रीमती सुचेता कृपलानी ने बतलाया था कि हमें देश भर में छोटी छोटी सिंचाई परियोजनाओं तथा बीच के स्तर की पूंजीगत परियोजनाओं पर ही धन व्यय करना चाहिये । किन्तु मैं उन से सहमत नहीं हूं । वर्तमान स्थिति में बीच के स्तर की पूंजीगत परियोजनाओं को कार्यान्वित करना कदाचित् अच्छा लगे क्योंकि व्यय अपेक्षतया कम होगा तथा सेवायें भी बढ़ती जायेंगी ; और इस बढ़ते हुये अभाव में देश को इन दोनों बातों की आवश्यकता है । योजनाआयोग ने अपनी दो वर्ष की प्रगति के पुनर्विलोकन में दिखाया था कि इन दो वर्षों के लिये उसे केवल ३१५.६ करोड़ रुपये की आवश्यकता थी किन्तु वित्त आयव्ययक तथा प्राक्कलन के अनुसार हम इन परियोजनाओं पर लगभग ३६०.८ करोड़ रुपये का व्यय करने जा रहे हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भारत द्वारा दिये जाने वाले इन सभी बलिदानों पर विचार करना उचित है और इस बात को दृष्टि में रखते हुये कि मध्य वर्गीय तथा निम्नमध्यवर्गीय लोगों को समाप्त किया जा रहा है, क्या मितव्ययिता आयोग के प्राक्कलनों से अधिक व्यय करना उचित है ? मैं आशा करता हूं कि सरकार देश के सभी वर्गों की कठिनाइयों तथा समस्याओं पर ध्यान देगी और ऐसी योजना बनायेगी जिस से हमारी जनता के सभी वर्गों की आवश्यकतायें पूरी हो सकेंगी किन्तु इस समय लोगों से यह

कहना कि वह और भी बलिदान करें, अच्छा नहीं होगा।

डा० गंगाधर शिव (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : नई पक्की संसद् के समक्ष आयव्ययक प्रस्तुत करने के लिये मैं वित्त मंत्री को बधाई देना चाहता हूं। मैं उस अभागे रायलसीमा का प्रतिनिधित्व करता हूं जिसे ईश्वर और सरकार दोनों ने भूल डाला है। सात महीने हुए जब मैं ने सरकार से सहायता मांगी थी, और माननीय गृह मंत्री से भी इसी बात की याचना की थी कि वह दुर्भिक्ष के भय को टालने तथा वहां के लाखों बेकारों को काम दिलाने की कोई व्यवस्था करें। मैं ने उन दिनों के खाद्य मन्त्री से भी इसी बात की प्रार्थना की थी कि वह इस दुर्भिक्ष-ग्रस्त क्षेत्र की सहायता के लिये खाद्य भेज दें। दोनों मंत्रियों ने उस समय यही कहा था कि यह मेरी प्रार्थना के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से एक रिपोर्ट मांग कर कार्यवाही करेंगे। उस समय श्री अनन्तशयनम् अय्यंगार अध्यक्ष पद पर आसीन थे और उन्हों ने सम्बद्ध मंत्रियों से कहा था कि वहां से सूचना इकट्ठी की जाय और समय पर वहां के लोगों को सहायता भेजी जाय। यह आज से सात महीने पहले की बात है किन्तु आज वह संसद् समाप्त हो चुकी है और उसके साथ ही वे दोनों मंत्री भी। मैं चूंकि रायलसीमा के लिये कुछ भी नहीं कर सका अतः वहां के लोगों ने मुझे पुनः संसद् में भेजा है ताकि मैं सरकारी सदस्यों, और विशेषतः वित्त मंत्री को इस बात पर मजबूर करूं कि वह हमारी सहायता करें। मैं रायलसीमा वासियों की ओर से माननीय प्रधान मंत्री का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने रायलसीमा के लिये अकाल सहायता निधि आदि इकट्ठा करने का आन्दोलन चलाया है, तथा हमारे सैनिकों को रायलसीमा में कूयें खोदने के लिये भेजा है और श्रीमती दुर्गाबाई को श्रमकेन्द्र खोलने के लिये रायलसीमा भेज दिया है। मैं सरकार से आर्थिक सहायता मांग रहा हूं और चाहता हूं कि इस संकट-स्थिति का मुक़ाबला करने के लिये वह हमारे राज्य को ५ करोड़ रुपये दे।

मैं योजना आयोग से प्रार्थना करता हूं कि वह कृष्णा एवं पेन्नर जैसी बड़ी परियोजनाओं की छोड़ कर छोटी-छोटी सिंचाई परियोजनायें आरम्भ करें। मद्रास राज्य का सब से अधिक अभागा भाग रायलसीमा है। हमारे एक ओर तामिलनाद की चोट है और दूसरी ओर प्रस्तावित आंध्र प्रदेश की। मैं चाहता हूं कि संसद् रायलसीमा के प्राचीन इतिहास पर थोड़ी सी दृष्टि डाले। रायलसीमा में चार जिले हैं जिन के नाम कुदप्पा, कुरनूल, बेल्लारी और अनन्तपुर हैं। किसी युग में ये चारों जिले हैदराबाद के निजाम के अधीन थे। निजाम को पता चला कि इन चारों जिलों से कोई आय प्राप्त नहीं होती अतः उन्होंने इन जिलों को पिछड़ा समझ कर अंग्रेजों के हवाले किया। अंग्रेजों को रायलसीमा नाम पसन्द नहीं आया, अतः चार जिलों के प्रथम चार अक्षर ले कर उन्होंने इस को बैकवर्ड (पिछड़े) जिले कहना शुरु किया, वह इस तरह कि बेल्लारी से 'बी' अनन्तपुर से 'ए' कुडप्पा से 'सी' और कुरनूल से 'के' —तो बी—ए—सी—के, मिलाकर बैक नाम धरा और बाद में हम ने महान् सम्राट् कृष्णदेवरालवोरी समस्थोनी के नाम पर इसका नाम रायलसीमा—राज्यवंश—रखा।

मैं आंध्र प्रदेश के बनाये जाने के पक्ष में नहीं, अपितु इस का विरोध करता हूं। हमारे प्रान्त के लोगों ने एक बार वल्लभ भाई पटेल के सामने अपना दुखड़ा रोया था किन्तु अब वह नहीं रहे, और उनकी मृत्यु के बाद रायलसीमा मातृपितृविहीन हो गया। इस में सन्देह नहीं कि प्रधान मंत्री ने हमारी सहायता की। मद्रास राज्य ने भी हमारी

[डा० गंगाधर शिव]

सहायता की, और अब आंध्र देश बनाये जाने की जोरदार मांग भी है। कोई कह रहा था कि सारा आंध्र प्रदेश स्वामी सीताराम का समर्थन करता है, किन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि इन स्वामी जी के नाम से रायलसीमा की कई जगहों के रहने वाले परिचित भी नहीं हैं बल्कि रायलसीमा वाले उन का विरोध करते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप विशाल आंध्र देश बनाइये और हैदराबाद को उस की राजधानी बना लीजिये, मैं सन्तुष्ट हूं।

एक माननीय सदस्य : और वह आप को दिया जाय।

डा० गंगाधर शिव : जब तक रायल-सीमा के लोग आंध्र देश बनाये जाने के प्रस्ताव का विरोध करते रहेंगे तब तक मैं उन का साथ देता रहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी उस के बनने में कोई जल्दी नहीं।

डा० गंगाधर शिव : विरोधी दल के अनुसूचित जातियों के सदस्यों को मैं बतलाना चाहता हूं कि हमारे पूर्वज भारत के शासक थे। मुग़ल राज्यकाल में आप हमारे इतिहास को देख लीजिये। हम ने मुग़ल सम्राटों के इशारे पर नाचा था, और ब्रिटिश राज्य में हम ने अंग्रेजी शासकों के घर की नौकरी बजा लाई थी। अनन्तकाल से हम इन ही विपत्तियों में ग्रस्त रहे हैं। स्वामी शंकराचार्य जैसे महान् सन्त भी हमें अस्पृश्यता दोष से नहीं बचा सके। किन्तु महात्मा गांधी ने हमारे लिये मसीहा का काम किया। यह सत्य है कि सरकार हमारे सुधार के लिये अपनी ओर से बहुत बड़ा प्रयत्न कर रही है, और मैं इस समय उन बातों की आलोचना नहीं करना चाहता।

साम्प्रदायिक पंचाट का प्रश्न प्रस्तुत होने के समय महात्मा गांधी ने हमारे लिये मरण-व्रत लिया था ? इस बात की साक्षी के लिये आप सितम्बर, १७, १९३२ का 'हिन्दू' पढ़ लीजिये, जिस में "महात्मा जी **का निश्चय—पृथक् निर्वाचक-मंडलों के समर्थकों को चुनौती— डा० एम० वी० गंगाधर शिव का गांधी जी के निश्चय पर मन (हमारे निजी सम्वाददाता द्वारा)**" शीर्षक के स्तम्भ में पिछड़े जिलों के दलित वर्ग संघ के अध्यक्ष डा० एम० वी० गंगाधर शिव का वक्तव्य छपा था। उसमें प्रधान मंत्री के पंचाट पर घोर असन्तोष प्रगट किया गया था। उन दिनों रैमजे मैकडो-नाल्ड प्रधान मंत्री थे और सर सैम्यूल होरे राज्य-सचिव (सेक्रेटरी आफ़ स्टेट) थे। और यदि महात्मा जी ने हमारे लिये बड़ा भारी बलिदान नहीं किया होता तो संसद् में इतनी बड़ी संख्या में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता।

श्री बी० आर० भगत (पटना व शाहाबाद) : श्रीमान्, दो दिनों से इस आयव्ययक पर विवाद होता रहा है। विरोधी दल के सदस्यों की यह शिकायत है कि जन-साधारण के लिये इस आयव्ययक में कुछ भी नहीं रखा है। इस में मानवता की कोई भी बात नहीं और इस से धांधली जाहिर होती है। यह भी कहा जाता है कि इस से हमारे देश की बेकारी और ग़रीबी दूर नहीं होती, और खाद्य सहायता छिन जाने से ग़रीबों पर बोझ पड़ जाता है। वे यह भी कहते हैं कि सरकार की नीति से देश भर में मंदी आ रही है जिस से उत्पादन और रोज़गार पर बुरा प्रभाव पड़ा है। सौ बात की एक बात कि चारों ओर से इस आयव्ययक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।

किन्तु, प्रस्तुत आयव्ययक की आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करने से आप सभी

की और इन आलोचकों की शिकायतें दूर हो सकेंगी । अब देखिये कि आर्थिक नीति के साधन के रूप में प्रस्तुत आयव्ययक देश की आर्थिक स्थिति की उपज है, और गतिशील होने के नाते स्थिति के साथ साथ बदलता रहता है । इस अर्थ में कि यह एक ही नीति की निरन्तरता का प्रतिनिधित्व करता है, यह आयव्ययक स्थितिशील भी माना जा सकता है । सरकार का उद्देश्य यह है कि देश की आर्थिक स्थिति सुधर जाये, तथा देश का पुनर्निर्माण हो । अत: आयव्ययक का मुख्य उद्देश्य एवं सारांश यह है कि पंच वर्षीय कार्य क्रम को सफलता से कार्यान्वित किया जाय ।

दूसरी आलोचना यह है कि मुद्रास्फीति के कारण मूल्य बढ़ते जा रहे हैं । स्वतन्त्रता के प्रारम्भिक वर्षों में जो वित्त का घाटा रहा था, उस से मूल्यों में परिवर्तन होने लगा और विदेशों की मुद्रास्फीति के कारण उत्तर कोरिया युद्ध काल में एक भयंकर स्थिति पैदा हो गई । और इस के परिणामस्वरूप हमारे माननीय वित्त मंत्री को न केवल बढ़ते मूल्यों पर नियंत्रण करना पड़ा अपितु मूल्य स्तर को स्थिर भी बनाना पड़ा ।

इस बात पर भी ज़ोर दिया गया है कि मुद्रास्फीति के कारण हमारी सारी योजनायें कार्यान्वित नहीं की गईं । इन दो वर्षों में आयव्ययक सम्बन्धी नीति में इसी बात पर ज़ोर दिया गया है कि मूल्य सम्बन्धी नीति निश्चयात्मक हो तथा मूल्यों को निम्न स्तर पर स्थिर रखा जाय । वित्त मंत्री तथा सरकार द्वारा चलाई जाने वाली नीति एवं राशिकरण की कमी और अन्तर्राष्ट्रीय दबाव कम होने के कारण मुल्य कम हो गये हैं ।

आयव्ययक पूर्णतया संतुलित है, और इसमें ३ करोड़ रुपये से अधिक की बचत दिखाई गई है । रिज़र्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भुगतान संतुलन (लेन-देन) में लगभग ५६ करोड़ रुपये का घाटा है । घाटे वाले इस आंकड़े से पूंजीगत आयव्ययक में दिखाया गया सारा घाटा पूरा हो जाता है ।

वित्त मंत्री का यह कहना सही है कि यह "ठहरो और देखते रहो" आयव्ययक है । आर्थिक स्थिति को, वह चाहे आंतरिक हो अथवा बाह्य वर्तमान अस्थिरता में कोई भी स्थायी आयव्ययक सम्बन्धी नीति नहीं रखी जा सकती । यह भी कहा गया है कि इस स्थिति में घाटे का बजट बनाने की गुंजाइश है, किन्तु कोरिया तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति फिर से बिगड़ रही है, जिसके परिणामस्वरूप शस्त्रीकरण और राशीकरण में वृद्धि हो सकती है और मूल्य बढ़ सकते हैं । अत: इस स्थिति में ऐसी आयव्ययक सम्बन्धी नीति बनाना बहुत ही कठिन है, जो स्थायी तथा दृढ़ हो ।

वित्त मंत्री की निश्चयात्मक मूल्य सम्बन्धी नीति के परिणामस्वरूप मूल्य गिरते जा रहे हैं और निम्न स्तर पर उन के स्थिर होने की सम्भावना भी है । १५-१६ अप्रैल, १९५१ को खाद्य वस्तुओं का मूल्य देशनांक ४१४.३ था । मार्च १९५२ में उन में और भी गिरावट हुई और वह ३३९ पर पहुंचा । उद्योग सम्बन्धी कच्ची सामग्रियों के दाम भी १५-१६ अप्रैल, १९५१ से कम होते गये और ६९९.८ से कम हो कर ४४७ तक पहुंच गये । अर्द्ध-निर्मित वस्तुओं के दाम देशनांक भी ३९० से घट कर ३४० तक पहुंच गये । सभी निर्मित वस्तुओं के मूल्य ४६२ से घट कर ३७८ तक पहुंचे । खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में ८·७ प्रति शत कमी हुई और उद्योग सम्बन्धी कच्ची सामग्री में ११·६ प्रति शत कमी हुई ।

[श्री बी० आर० भगत]

इस से स्पष्ट है कि वित्त मंत्री की यह मूल्य सम्बन्धी नीति सफल रही है, और अब भारतीय अर्थव्यवस्था कोई भी पुनः रचना का काम प्रारम्भ कर सकती है ।

जहां तक पूंजी आयव्ययक का प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का वित्तीय आयव्ययक देश में उपलब्ध संसाधनों से खाद्य, कपड़ा तथा मकान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बनाया गया है । और आगामी पांच वर्षों में देश में निर्धनता तथा अभाव को समाप्त किया जायेगा और लोगों की सारी मांगें पूरी की जायेंगी ।

चालू वर्ष में विविध राज्यों को केन्द्र द्वारा ७८ करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण और पूंजीगत व्यय के लिये ७७ करोड़ रुपये दिये गये हैं । नदी घाटी योजनाओं के लिये जहां २९ करोड़ रुपये का प्रावधान था, वहां अब ३६ करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं । आगामी वर्ष के बजट में अधिक धन दिये जाने का प्रावधान हुआ है, अर्थात् पूंजीगत व्यय के लिये ६८ करोड़ रुपये और राज्य सरकारों को ८२ करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है । इस में १५ करोड़ रुपये रेलवे के लिये रखे गये हैं । उद्योग सम्बन्धी विकास के लिये ९८ करोड़ रुपये, पुनर्वास के लिये १४ करोड़ रुपये तथा नदी घाटी योजनाओं के लिये ४० करोड़ रुपये रखे गये हैं । पांच वर्षों में १,४९३ करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा, और उसके अतिरिक्त यदि विदेशी सहायता उपलब्ध हो तो ३०० करोड़ रुपये की राशि भी व्यय की जायेगी । १,४९३ करोड़ रुपये की यह राशि इस प्रकार विभक्त हुई है कि कृषि तथा ग्रामीण विकास पर १९२ करोड़ रुपये, सिंचाई तथा विद्युत योजनाओं पर ४५० करोड़ रुपये, और यातायात तथा संचरण पर ३८८ करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे । और गृह-व्यवस्था के लिये ५० करोड़ रुपये रखे जायेंगे जिन में से १५ करोड़ रुपये सेवा-नियोजकों द्वारा दिये जायेंगे, और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा २० करोड़ रुपये दिये जायेंगे । यह सब उद्योग सम्बन्धी गृह व्यवस्था के लिये है, और पांच वर्षों में श्रमिकों के लिये १,२५,००० माकान बनाये जायेंगे । इसके अतिरिक्त सामूहिक परियोजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण-गृह व्यवस्था की भी योजना है, और उन ५५ विकास परियोजनाओं में जिन को हम प्रारम्भ करने वाले हैं, हमारे समक्ष ग्रामीण गृह व्यवस्था के लिये भी सुगठित योजना होगी । जहां तक खाद्य का प्रश्न है, योजना समाप्त होने के समय प्रति व्यक्ति १४ औंस खाद्य तथा १६ गज़ कपड़ा मिल सकेगा । जहां तक गृह व्यवस्था का प्रश्न है उद्योग सम्बन्धी गृह व्यवस्था के लिये ५० करोड़ रुपये रखे गये हैं, जिन में से केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा २० करोड़ रुपये दिये जायेंगे, और इस बात का आश्वासन प्रधान मंत्री जैसे व्यक्ति दे चुके हैं कि गन्दे सड़े मकानों को गिरा कर नये मकान बनाये जायेंगे ।

अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के सम्बन्ध में श्री ए० के० गोपालन की यह आलोचना है कि उत्पादन कम हो चुका है, किन्तु यदि आप मई १९५२ का वाणिज्य तथा उद्योग बुलेटिन देख लेंगे तो आप को पता चलेगा कि साधारण उत्पादन में न केवल वृद्धि हुई है अपितु लगभग सभी चुनिन्दा उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि हुई है । यदि आप १९४६ के आंकड़ों को आधार मान कर चलें तो १९५१ का साधारण देशनांक ११७·४ है । जनवरी, १९५२ का देशनांक १२२ है और फरवरी का १२८, और मार्च में यही देशनांक १२४ तक पहुंचा है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : मार्च के बाद ?

श्री बी आर० भगत : हमारे पास मार्च तक के ही आंकड़े हैं ।

श्री वेलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्कारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : उस के बाद के आंकड़े देखिये ।

श्री बी० आर० भगत : आज के पत्रों में आया है कि वस्त्रोद्योगों के उत्पादन में सर्वोपरि वृद्धि हुई है अतः इस दोषारोपण का कोई भी आधार नहीं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यदि ऐसी बात है तो जूट उद्योग की कार्य अवधि कम क्यों है ?

श्री बी० आर० भगत : यह तो कम या अधिक कार्य अवधि का प्रश्न नहीं है । इस में गिनती हुई है ।

वित्त राज्य मंत्री (श्री त्यागी) : क्योंकि वे अधिक उत्पादन करते हैं ।

श्री बी० आर० भगत : इस के यह मानी हैं कि हमारे कामकर अधिक कार्यकुशल हो चुके हैं । श्री गोपालन द्वारा बताये गये आंकड़े न केवल अशुद्ध हैं अपितु भ्रामक हैं ।

डा० जयसूर्य : सदन के इस वाद-विवाद को देख कर जिस में एक ओर अकिंचन अल्पमत है और दूसरी ओर भीषण बहुमत है, मुझे चरवाहे डेविड और गोलियथ राक्षस की कहानी याद आती है । उस भिड़न्त में गोलियथ इसीलिये हार गया था क्योंकि लोकमत ने उस का उसी प्रकार साथ नहीं दिया था जिस प्रकार लोकमत कांग्रेस का साथ नहीं दे रही है ।

जहां तक स्वयं विषय का प्रश्न है, हमें कई एक बातों में विशेषतया अर्थ व्यवस्था में एकमत होना पड़ेगा । दुर्भाग्य है कि अर्थशास्त्र के मत भी विभिन्न हैं अतः मैं किसी एक का मत नहीं लेना चाहता, क्योंकि यदि मैं मार्क्सवादी दृष्टिकोण से अपनी बात आपके समक्ष रखूं तो विरोधी दल चिल्लायेगा.....

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : क्या 'चिल्लाना' संसदोचित शब्द है ?

कुमारी आंनी मस्करीन (त्रिवेन्द्रम) : क्या चिल्लाना शब्द ससद्-शब्दावली के अनुकूल नहीं पड़ता ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका प्रयोग किया है । वह अपने शब्द को वापिस नहीं लेते ।

११ म० पू०

डा० जयसूर्य : पहली ही दृष्टि में इस आय-व्ययक को देख कर मुझे ऐसा लगा कि ज्वाइंट स्टाक कम्पनी के भागीदारों के सामने कोई संतुलन पत्र रखा जा रहा है । इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इस में आद्योपान्त अनिश्चय ही अनिश्चय दिखाई देता है । ऐसा लगता है कि अप्रत्याशित रूप से कहीं से ९० करोड़ रुपये प्राप्त हुये हैं । ठीक है किन्तु ७० करोड़ की बचत घटते घटते ३ करोड़ रुपये रह गई है । विगत वर्ष के मुकाबले में कोई भी अन्तर नहीं पड़ा है किन्तु आयात की अपेक्षा निर्यात में ६७ करोड़ रुपये का घाटा है । आयकर तथा निगम कर में भी १८ करोड़ रुपये की कमी हो गई है । प्रत्यक्ष करारोपण ३६ प्रतिशत से घट कर २५ प्रतिशत पर पहुंच गया है । रक्षा पर ४१.५ प्रति शत अर्थात् ४०४ करोड़ रुपये में से १९७ करोड़ रुपये लगते हैं । १९२ करोड़ रुपये में से उद्योगों को केवल १० करोड़ रुपये मिलते हैं, और फिर भी सरकार कहती है कि हमारे देश में कल्याण राज्य है । श्री देशमुख ने कहा कि गेहूं के मूल्यों में लगभग ३ प्रति शत वृद्धि होगी किन्तु नया

[डा० जयसूर्य]

अंतर्राष्ट्रीय गेहूं सम्बन्धी सम्मेलन इस के मूल्यों में १५—६० प्रति शत वृद्धि भी कर सकता है । कपड़े का प्रति व्यक्ति उपभोग १९३९ में १६ गज, १९४८ में १५ गज, १९४९ में १३ गज, १९५० में ९, और १९५१ में ११·५ गज था, जब कि श्री बी० आर० भगत हमें इस बात का आश्वासन दे रहे हैं कि कुछ समय बाद पुनः १६ गज मिलेंगे । आयव्ययक में ७६ करोड़ रुपये का सर्वोपरि घाटा है, और मैं समझता हूं कि यदि हमें विदेशी सहायता नहीं मिली तो हमें वास्तविक रूप में ९८ करोड़ रुपये का घाटा देना पड़ेगा । अर्थ-शास्त्र का पुराना सिद्धान्त है कि व्यक्ति और राज्य के बीच प्रतिद्वन्द्विता चलती है किन्तु यह बात सही नहीं, वे दोनों चाहें तो सहयोग कर सकते हैं । जर्मन अर्थशास्त्रज्ञ श्वार्ज ने आयव्ययक के उद्देश्य तथा कार्य की परिभाषा देते हुये कहा है कि व्यक्ति का काम रोटी कमाना है और राज्य का काम गृहिणी के समान उसकी देखभाल करना है, अतः यदि राज्य को गृहिणी के समान सभी कुछ दिया जाय तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये किन्तु यह बुरी बात होगी कि वह गृहिणी अपने कमाऊ गृहस्वामी की सारी सम्पत्ति अपने ऐश्वर्य में ही उड़ा दे, अतः इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि गृहिणी और गृहस्वामी की तरह राज्य और व्यक्ति एक दूसरे को सहयोग दें ।

आखिर, आयव्ययक से क्या काम लिया जाता है ? क्या इस से किसी भी स्थिति में संतुलन प्राप्त किया जाता है ? अथवा पूरे सेवा-नियोजन के लिये आयव्ययक ही एक प्रभावशाली साधन हो सकता है ? ठीक है कि वर्तमान पूंजीवादी परिस्थिति में, आप सभी को काम नहीं दिला सकते किन्तु राज्य में ऐसी बात नहीं हो सकती । और पुनः एक प्रश्न उठता है । लोग कहते हैं कि हमारा आयव्ययक घाटे भरा नहीं होना चाहिये, किन्तु वह बात सही नहीं । जब तक अपने देश से ऋण मिल सकता हो, घाटे का आय-व्ययक हानिकारक नहीं हो सकता । आप अपने देशवासियों के ही ऋणी होंगे । पुराना सिद्धान्त है कि देशीय ऋण पर का ब्याज राष्ट्र पर एक बोझ होता है किन्तु यह बात भी ठीक नहीं । जनसाधारण की एक और भी धारणा है कि कोई भी देश आन्तरिक अथवा देशीय ऋण से ही दिवालिया हो जायेगा—इस का यह कारण बताया जा सकता है कि निजी पूंजी का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के मस्तिष्क में राज्य की कोई धारणा बनी है, और वह पूंजीवादी समाज में इसी धारणा को फैलाना चाहते हैं ।

मैं कुछ देर पहले फिजूलखर्च गृहिणी की बात बता रहा था । हमारे देश में सार्व-जनिक विभाग है, अथवा उसे आप निजी विभाग (खण्ड) कहिये, इस खण्ड को हमारे प्रधान मंत्री मिली-जुली अर्थव्यवस्था का नाम देते हैं क्योंकि इस में हमें इस बात का पता नहीं चलता कि सार्वजनिक खण्ड का प्रारम्भ कहां से होता है, और निजी खण्ड कहां पर समाप्त हो जाता है । मजे की बात है कि अभी तीन महीने पहले फरवरी में वित्त मंत्री ने सदन के समक्ष आयव्ययक, १९५२ पर के श्वेतपत्र के सम्बन्ध में भाषण देते हुये कहा था :—

> "मैं जब इस समाप्त होने वाले वर्ष पर दृष्टि डालता हूं तो अनु-भव करता हूं कि हमें कुछ एक बातों में संतुष्ट रहना चाहिये ।"

हमारी रक्षित निधि घट कर सहसा ८१ करोड़ तक पहुंच गई है । अब आप सार्वजनिक कामों पर बहुत बड़ी धनराशियां

व्यय करने वाले हैं। मुझे इस बात की कोई भी चिन्ता नहीं कि आप कितना धन व्यय करेंगे, किन्तु प्रश्न यह है कि क्या इस धन का सही व्यय होता है? इस सारी ढर्रे में अपव्यय, ग़बन, भूल-चूक, मूर्खता और कार्यकौशलहीनता जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं। मैं तो गौडवाला समिति की रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूं।

श्रीमान्, क्या मैं और पांच मिनट ले सकता हूं?

उपाध्यक्ष महोदय: मैं समय समाप्त होने से दो मिनट पहले ही घंटी बजा रहा हूं।

डा० जयसूर्य: मैं ज्ञात करना चाहता हूं कि मैं और कितने मिनट तक बोल सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: दो मिंट।

डा० जयसूर्य: दामोदर घाटी निगम सम्बन्धी रिपोर्ट के पृष्ठ ३३ पर बताया गया है:—

> "कार्य प्रारम्भ करने के बाद से तीस महीनों तक कुशल एवं तत्काल इंजीनियरिंग तथा अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य निगम चीफ़ इंजीनियर के बिना ही चल रहा था।"

दिल्ली ट्रांसपोर्ट आथोरिटी (दिल्ली यातायात प्राधिकार) के सम्बन्ध में यातायात मंत्रालय ने जो चित्रमय रिपोर्ट दी है उस से आप को पता चल जायेगा कि सन, १९५०-५१ में इन के पास २७६ गाड़ियां थीं, और उन का ५० प्रति शत अथवा १४२ गाड़ियां सड़क-यातायात के काम में नहीं आई थीं। १९५१-५२ में उन के पास ३०५ गाड़ियां थीं जिन में से १५० ख़राब हो गईं और इस को कार्यकुशलता कहा जाता है। सन् १९५०-५१ में कर्मचारी वर्ग की संख्या १३६० थी; सन् १९५१ में यह १३८५ तक पहुंच गई, यानी प्रति गाड़ी के पीछे ८ व्यक्ति थे, और अब चूंकि चलने वाली गाड़ियों की कुल संख्या १५० है अतः प्रति गाड़ी की देख भाल के लिये १६ व्यक्ति हैं। इस यातायात समस्या में १५-१६ वर्ष का अनुभवी होने के नाते मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि यदि आप मुस्तैदी से काम लें तो प्रतिगाड़ी आपको ४ व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। १९५०-५१ में बजट आंक में ७.८३ लाख रुपये की बचत थी, और अब इसी में ७.१ लाख रुपये का घाटा पड़ गया है, यहां तक कि १९५१-५२ के दोहराये आंक में १०.१५ लाख रुपये का घाटा है। (एक **माननीय सदस्य**: घाटा?) जी हां, **घाटा**। यही प्रशासन की प्रगति है—इसी को कार्य-कुशलता कहना चाहिये।

दिल्ली ट्रामवे का हाल भी ऐसा ही है। जहां पहले बचत हुआ करती थी वहां अब घाटा हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या इस रिपोर्ट को पूंजीवादी रिपोर्ट समझा जाता है?

डा० जयसूर्य: कभी नहीं। वे तो आपके शब्दों को दोहरा रहे हैं। चूंकि आप भ्रष्टाचार और कार्यकुशलहीनता का उन्मूलन नहीं कर सकते, अतः इतनी कठिनाइयां आ रही हैं और इतना घाटा हो रहा है।

एक बात और भी सुन लीजिये। कृषिसार घुटाले के सम्बन्ध में राजाध्यक्ष रिपोर्ट देखिये। तीन व्यक्तियों पर अभियोग चलाया गया है। इस से हमें एक निष्कर्ष मिल जाता है: लन्दन स्थित प्रधान प्रदेष्टा से इस सम्बन्ध में पूछताछ की गई है। किन्तु उसकी कोई भी रिपोर्ट नहीं है। इसी प्रकार प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्त समिति टैंकमार हथगोलों और जीपों के सौदे की जांच कर रही थी। अब मैं यह जानना चाहता हूं

[डा० जयसूर्य]

कि क्या हमें इस बात को जानने का अधिकार है कि इन बातों को लिखित में लाया गया है अथवा नहीं। मैं आप से नहीं कहता कि इस को प्रकाशित कीजिये। ऐसा लग रहा है कि एक साथ दो तरह की नैतिकता बरती जाती है। छोटे छोटे मनुष्यों को बन्दी किया जाता है किन्तु बड़े बड़े पदाधिकारियों को रिहा किया जाता है। ऐसी बातों से जनता का विश्वास उठ जाता है, और ऐसा समझा जाता है कि व्यक्तिगत सम्बन्ध मित्रता और परिवार पोषण की वेदी पर सिद्धान्तों का बलिदान होता है।

एक और घटना का स्पष्टीकरण चाहता हूं। किसी ब्रिटिश सार्थ से टेलीफ़ोनों के लिये स्विटजरलैंड में एक क़रार हुआ था, और इस सौदा में एक भारतवासी के नाम १५ लाख स्विस फ्रैंक थे। इस व्यक्ति की मृत्यु पर बैंक के समक्ष यह समस्या प्रस्तुत हुई कि इतनी बड़ी धन राशि का क्या होगा। और अब इस घटना से दो बातों पर प्रकाश पड़ता है: पहला, उस व्यक्ति ने सरकार को सूचना दिये बिना ही एक बहुत बड़ी धनराशि दुर्लभ मुद्रा वाले क्षेत्र में किसी बैंक में रख दी ताकि उसे आयकर न देना पड़े, तो सरकार लोगों के समक्ष इस बात का जवाब क्या देगी। लोगों में तब ही विश्वास बढ़ सकता है जब कि छोटे से छोटे व्यक्ति से ले कर बड़े से बड़े व्यक्ति को इस बात का विश्वास हो कि जनता का धन रक्षित हो सकेगा। जन-साधारण का विश्वास प्राप्त होना तो बहुत बड़ी चीज है। यदि आप लोगों पर बहुत अधिक विश्वास करें, और वे स्वयं अपने दुखों की चिन्ता न करें, तो वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकेंगें, वे आपके पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि वह शताब्दियों से भूखे रह रहे हैं। इधर पांच वर्ष के लिये पीड़ित रहना तो मामूली बात है। लोग विश्वास पर जीते रहते हैं, और यदि किसी राष्ट्र को अपने, अपने भाग्य अथवा अपनी आत्मिक शक्ति पर भी विश्वास न रहे तो वह राष्ट्र बरबाद हो जायेगा।

और सुनिये। कहा जाता है कि अमरीकी पूंजी का बड़ा हाथ नहीं है। मेरे पास यह सूचना है कि इस समय तक अमरीकी भारत में व्यापार आदि के लिये २४०,०००,००० डालर लगा चुके हैं, और पेट्रोल, आदि पर भी वे और १४०,०००,००० डालर लगायेंगे तो यूं कहा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कम्पनी के से दिन फिर से ताजा हो रहे हैं—भले ही वह लोगों को पराजित करने के लिये नहीं आये हों, किन्तु वह यहां भी आर्थिक दासता की स्थिति पैदा करेंगे, और यहां भी वही दशा होगी जो इंगलैंड की है। एक युग था जब ग्रेट ब्रिटेन सारे अमरीका का स्वामी था, और अब वही ग्रेट ब्रिटेन एक उपनिवेश के रूप में अमरीका का ४९वां राज्य है। मेरी यही प्रार्थना है कि आप भारत को संयुक्त राज्य अमरीका की उस शृंखला की ५०वीं कड़ी का ५०वा राज्य नहीं बनायें।

डा० एस० एन० सिन्हा (सारन पूर्व :) श्रीमान्, मैं इस विवाद के आर्थिक तथा राजनीतिक पहलुओं पर दो एक बातें बताना चाहता हूं। देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देख कर मुझे यूक्रेन याद आ रहा है जहां मैं सन् १९३३ में एक द्विभाषी की हैसियत से काम कर रहा था। उन दिनों सोवियत रूसी वहां एक बड़ा जल-विद्युत संयंत्र बना रहा था, और मैं द्विभाषी बन कर उन्हीं के साथ काम कर रहा था। हमें भाग्यशाली समझा जाता था, किन्तु प्रति दिन हमें एक पंक्ति में खड़ा रहना पड़ता था और हमारी संख्या ५०० थी; हमारा यह काम रहता था कि ४०० ग्राम कृष्णवर्ण रोटी के लिये हम शान्तिपूर्वक प्रतीक्षा करें। यूक्रेन में

ऐसे भी अभागे थे जो भूख से मरा करते थे। स्टालिन ने जब इस घटना को सुना तो अपने एक भाषण में कहा: "हम रोटी-मक्खन के बिना तो रह सकते हैं किन्तु ब्रेन गन और गोलियां बनाये बिना हमारी गति नहीं, हमें भले ही चीनी की डलियां नहीं मिलें किन्तु हम तोपों का निर्माण किये बिना जी नहीं सकते।" स्टालिन ने जो कुछ भी कहा, था सही कहा था; और उन की इसी नीति ने सोवियत संघ को बचाया।

हम इस समय वित्त मंत्री से इस बात की आशा नहीं कर सकते कि वह स्टालिन अथवा मार्क्स की पद्धति पर बजट बनायेंगे। और मैं इसी लिये मार्क्स का उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि केवल वह ही वैज्ञानिक पद्धति पर जनसाधारण की मांगों का विश्लेषण कर सकते थे। और, अब यदि हम इस बजट की ओर दृष्टि डालें तो हमें इस बात का पता चल जायेगा कि हमारी खाद्य समस्या का हमारे कोष के साथ अधिक सम्बन्ध नहीं है। यह समस्या उद्योग एवं कृषि के संघर्ष से प्रस्तुत हुई है। कृषि पक्ष की पराजय होनी ही चाहिये, और इस संघर्ष में पराजितों का जिस प्रकार का भाग्य रहा करता है, ठीक वैसा ही हमारा भी भाग्य है।

श्री बैलायुधन: क्या हमारा भाग्य ऐसा ही है?

डा० एस० एन० सिन्हा: ऐसी परिस्थितियों में मैं यही कह सकता हूं कि प्रस्तुत बजट वैज्ञानिक पद्धति पर तैयार किया गया है।

मुझे मध्य यूरोप के दौरे के दिन याद आ जाते हैं। मुझे कई बार युद्धोत्तर अन्तर्राष्ट्रीय कार्यों के अध्ययन करने का अवसर मिला है। भूतपूर्व जर्मन विदेशी कार्यालय के बर्लिन पुरालेख-संग्रह के कई दस्तावेजों का अध्ययन करते समय मुझे एक अजीब सा दस्तावेज मिला। मेरे पास उस की एक प्रति मौजूद है, और मैं उस गुप्त पूर्व-पत्र के मसौदे से आपको पढ़कर सुनाता हूं जिस पर हिटलर और स्टालिन के हस्ताक्षर हुए थे:—

> "सोवियत संघ इस बात की घोषणा करता है कि इसकी प्रादेशिक अभिलाषाओं का गुरुत्व-केन्द्र सोवियत संघ के राज्य-प्रदेशके दक्षिण में हिन्द महासागर की दिशा में है।"

इस के पश्चात् मैं पुनः मध्य यूरोप के कुछ लोगों के सम्पर्क में आया, जहां मैं ने आधुनिक युद्ध-शिक्षा के एक ब्यूरो के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की—इस ब्यूरो को एक विशेष देश के चीफ आफ़ जनरल स्टाफ के अधीन रखा गया है।

श्री बैलायुधन: किस देश के?

डा० एस० एन० सिन्हा: मैं बता दूंगा। आप अभी सुनेंगे। उन्हों ने अपने उस शुमार में भारत का नाम भी शामिल किया है। और जब तक हम अपने देश में ऐसी संस्था का निर्माण नहीं करते जो विदेशों की इस प्रकार की कार्यवाही पर कड़ी निगरानी रखे तब तक हमारे गिर्द बहुत से खतरे रहेंगे।

मैं पिछले २० वर्ष से एक संस्था के काम को बहुत निकट से देख रहा हूं। इसका नाम "कोमिनफार्म" है। पहले इसे "कोमिनटर्न" कहा जाता था। मैं इस संस्था का विद्यार्थी रहा हूं और मुझे इन के टेकनीक का पूरा पता है।

श्री बैलायुधन: आप बहुत ही बुरे विद्यार्थी रहे हैं।

डा० एस० एन० सिन्हा: इन दिनों मध्य यूरोप में कई एक ऐसे स्कूल हैं जहां हमारे साथियों को राजनीति तथा सैनिक गुप्तचर्या की शिक्षा दी जाती है, और इन स्कूलों को यही 'कोमिनफार्म' संस्था चला रही है। इस टेकनीक शिक्षा को साम्यवादी परिभाषा में 'इनसरक्शन'—'बलवा' कहा जाता है।

[डा० एस० एन० सिन्हा]

इस शिक्षाक्रम को समाप्त करने के बाद वे भारत की रक्षा-व्यवस्था को कमज़ोर बना देते हैं। इन स्कूलों में बहुत से भारतीय छात्र थे, और मैं कई एक के नाम भी बता सकता हूं। (अन्तर्बाधा)

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्यों को इस प्रकार चिल्लाना नहीं चाहिये। संसद् में शिष्टाचार बरतना परमावश्यक है। कई बातें एक दूसरे के विरुद्ध कही जा सकती हैं किन्तु व्यक्तिगत आरोप लगाना ठीक नहीं है।

श्री **एच० एन० मुखर्जी** (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : श्रीमान् औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ पूछना चाहता हूं। क्या माननीय सदस्य को इस बात का अधिकार प्राप्त है कि वह किसी ऐसे विशेष व्यक्ति के नाम का हवाला दे जो सदन में उपस्थित नहीं है और उस पर इस बात का आरोप लगाये कि वह विदेशी एजेण्ट बन कर भारत में ऐसे कार्य कर रहा है अथवा कर रही है जिन्हें राजद्रोही कार्य कहा जा सकता है ? और, ऐसी स्थिति में क्या यह भी उचित है कि माननीय सदस्य चिल्ला चिल्ला कर दोषारोपण करे ? क्या इस के सम्बन्ध में आपका विनिर्देश जानने के लिये प्रश्न किया जा सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : चिल्लाने के सम्बन्ध में जितना ही कम कहा जाय उतना ही अच्छा है। मैं तो यह चाहूंगा कि दोनों पक्ष के सदस्य ख़ूब ज़ोरदार बोलें किन्तु वे शान्ति से तथा धीरे-धीरे बोलें। जहां तक विशेष व्यक्तियों के नाम का हवाला देने का प्रश्न है, यही अधिक अच्छा रहेगा कि उन की ओर निर्देश नहीं किया जाय क्योंकि उस से और बहुतेरी उलझनें पैदा हो जायेंगी। और फिर व लोग यहां उपस्थित भी नहीं हैं। व्यक्तियों पर आरोप लगाना तो एक भिन्न बात है और किसी नीति और विशेष वर्ग को दोषी बताना भी जुदा बात है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य भविष्य में इन बातों का ध्यान रखेंगे।

श्री **बी० आर० भगत** : श्रीमान्, आप के सूचनार्थ यह बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने तभी नाम बताये जब दूसरे पक्ष से नाम जानने की मांग हुई थी।

श्री **गाडगिल** (पूना मध्य) : श्रीमान्, मैं आपके विनिर्देश का आशय जानना चाहता हूं। यदि कोई माननीय सदस्य कोई ऐसी बात बता रहे हों जो उनके मत से तथ्य हो--वह तथ्य किसी ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में हो जो सदन में उपस्थित हो अथवा अनुपस्थित--तो क्या केवल इसी कारण से उस व्यक्ति का नाम बताना संसदोचित नहीं समझा जाता ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, ऐसी बात संसद् शिष्टाचार के प्रतिकूल नहीं है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि किसी भी सदस्य, जो इस देश का नागरिक है और जिसे इस बात का मौका नहीं मिल सकता कि वह अपने विरुद्ध लगाये गय आरोपों को ग़लत सिद्ध कर सके, के आचरण का निर्देश सदन में नहीं किया जाना चाहिये।

श्री गाडगिल : श्रीमान्, मुझे यह कहने की आज्ञा दी जाय कि इस स्थिति में किसी भी ऐसे सिद्धान्त पर जिस की व्याख्या उन अभारतीय नागरिकों द्वारा हुई हो जो भारत में उपलब्ध नहीं हो, आरोप लगना असंभव होगा ? तो, इस विनिर्देश का प्रभाव क्या रहा ? यह उसी स्थिति में संगत हो सकता है जब वह व्यक्ति जो दोषारोपण का कोई भी उत्तर नहीं दे सकता हो, सरकारी कर्मचारी हो।

श्री **एच० एन० मुखर्जी** : क्या माननीय सदस्य अध्यक्षके विनिर्देश पर तर्क कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। यह तो स्पष्ट है कि माननीय सदस्य मेरे

विनिदश का स्पष्टीकरण चाहते हैं। माननीय सदस्य काफ़ी लम्बे समय से सदन में रहे हैं अतः वह अध्यक्ष के विनिर्देश के औचित्य पर प्रश्न नहीं पूछेंगे। (अन्तर्बाधा) मैं नहीं चाहता कि एक ही समय सभी ओर से दलीलबाज़ी अथवा विवाद आरम्भ हो।

इस मामले के सम्बन्ध में मेरे लिये यह ज़रूरी नहीं कि मैं किसी कल्पनात्मक प्रश्न पर कोई विनिर्देश बता दूं। इस प्रश्नौचित्य के सम्बन्ध में मैं विनिर्देश दे चुका हूं।

श्री शोशिम अलवा (कनारा): मुझे यह कहने की आज्ञा दी जाय कि माननीय सदस्य सदन में वक्तव्य नहीं दे सकते, और उन्हें ऐसा करना भी नहीं चाहिये। यदि यही बात वे कहीं बाहर बतायें तो उनके विरुद्ध न्यायालय की कार्यवाही की जायेगी।

डा० एस० एन० सिन्हा: तो मैं आप को कोमिनफार्म के सम्बन्ध में बता रहा था। इस संस्था के स्कूल प्राग और लीपजिग में हैं। मेरे पास इस बात की साक्षी है कि जिन दिनों तेलंगाना में बलवे चल रहे थे, उन दिनों वहां की उस पार्टी का मध्य यूरोप के प्रधान कार्यालय के साथ डाक-तार का प्रत्यक्ष सम्पर्क था। उन्होंने बलवे की पूरी टेकनीक समझ ली थी (अन्तर्बाधा)।

उपाध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति। यहां सदन में कुछ नये सदस्य भी आये हैं, अतः मैं उन्हें यहां के शिष्टाचार के सम्बन्ध में यह बतला देना चाहता हूं कि जब भी अध्यक्ष खड़े हो जायें, सभी माननीय सदस्यों को अपने अपने स्थानों पर बैठे रहना चाहिये, और बारी बारी से बोलना चाहिये। मैं दोनों कानों से सुन सकता हूं, अतः माननीय सदस्य धीरे-धीरे बोलते रहें ताकि सदन के सभी सदस्य उन की बात सुन सकें।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (पटना पूर्व): श्रीमान्, मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या यह बात हमारी राजनयिक नीति के अनुकूल होगी कि हम देशों का उल्लेख करें जिन के साथ हमारी मैत्री हो किन्तु जिनकी विचारधारा अथवा आर्थिक व्यवस्था भिन्न हो.....

उपाध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्य को काफ़ी देर से सुनता रहा हूं। यदि सदनमें भाषण के समय कोई भी सदस्य प्रश्न पूछें तो अन्य सदस्यों को बीच में नहीं बोलना चाहिये। माननीय सदस्य कोमिनफार्म का उल्लेख कर रहे थे, और उसके बाद नलगोंडा के सम्बन्ध में बता रहे थे। मैं समझता हूं कि यहां सदन में नलगोंडा अथवा तेलगाना का कोई भी सदस्य नहीं है।

कई माननीय सदस्य: हम तो यहां बैठे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: दुर्भाग्य है कि यह बात उन पर ही आती है। खैर, इस में ऐसी कोई भी बात नहीं। इसमें संसद् शिष्टाचार के प्रतिकूल कुछ भी नहीं। यदि देश को सहायता देना अभिप्रेत है तो विदेशी संस्थाओं से सम्पर्क रखना बुरी चीज़ नहीं। इस स्थिति में कुछ विशेष व्यक्तियों का आचरण अथवा उनका उद्देश्य जांचा जायेगा, और तब तक यह सिद्धान्त सदन द्वारा स्वीकृत होना चाहिये। माननीय सदस्य भी यही बात कह रहे थे। मैं पहले इस पक्ष की बात सुन लूंगा, और बाद में दूसरे पक्ष की। बस देखना यह है कि यह सभी काम शान्तिपूर्वक होना चाहिये।

डा० एस० एन० सिन्हा: श्रीमान्, मैं इसीलिये उन युद्धशिक्षा विद्यालयों का उल्लेख कर रहा था क्योंकि इन दिनों हमारा देश उन से सम्बद्ध है। हमारे भारत में भी उस संस्था की एक शाखा है, जिन का प्रत्यक्ष सम्पर्क अपने प्रधान कार्यालय के साथ है। विरोधी पक्ष का कोई भी सदस्य उसी लीपज़िग स्कूल का कार्यक्रम ले कर आयेगा। मेरे पास कोमिनफ़ार्म की हिदायतों की एक प्रति मौजूद

[डा० एस० एन० सिन्हा]

है और यदि अध्यक्ष महोदय चाहें तो मैं उसे सदन पटल पर रखने को तैयार भी हूं।

इस कोमिनफार्म संस्था की गतिविधियों का अध्ययन इसीलिये परमावश्यक है क्योंकि वे लोग हमारी रक्षा-व्यवस्था को शिथिल बना रहे हैं। उनका यह अभिप्राय है कि देश भर में शाखायें फैला कर बलवे किये जायें और यहां की रक्षा-व्यवस्था को शिथिल किया जाय जिस से देश की सेना की बहुत सी शक्ति इस में लग जाये। कोमिनफार्म संस्था ने ही तेलंगाना के जैसे बलवे पैदा करके भारत में दुर्भिक्ष की स्थिति पैदा की है। यदि तेलगाना कांड नहीं हुआ होता तो कभी भी रायलासीमा की ऐसी दुर्दशा नहीं होती। देश भर में फैली हुई आपत्तियों का उत्तरदायित्व इसी कोमिनफार्म पर है, और मजा यह है कि यही लोग अपने आप को क्रान्तिकारी बताते हैं। (अन्तर्बाधायें)।

उपाध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य इस प्रकार अन्तर्बाधा नहीं डाल सकते; अपनी अपनी बारी पर वे इस प्रकार की बातें बता सकते हैं।

डा० एस० एन० सिन्हा: श्रीमान् अब सदन में भी यही सिद्ध हो रहा है कि विरोधी दल के माननीय सदस्य कोमिनफार्म की किसी शाखा के सदस्य ज़रूर हैं, नहीं तो उन्होंने होहल्ला नहीं किया होता। मैं आप को और बातें नहीं बताना चाहता क्योंकि वे काफ़ी गुप्त बातें हैं और राज्य की सुरक्षा के लिये उपयोगी हैं। (अन्तर्बाधायें)।

श्री बैलायुधन: श्रीमान्, सूचना के सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं कि....

उपाध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्यों को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जब भी कभी कोई सदस्य बोल रहा हो तो अन्य सदस्य सूचना मांग सकता है, किन्तु बोलने वाला सदस्य पूरा समय ले सकता है, और अपनी बात पूरी तरह से बता सकता है—वह सदस्य चाहे किसी भी दल का हो। सदस्य जब पूरी तरह से बोल चुके, तो कोई अन्य सदस्य प्रश्न पूछ सकता है। भविष्य म आप इस बात का ध्यान रखें।

डा० एस० एन० सिन्हा: श्रीमान्, मैं किसी अन्य अवसर पर बहुत ही रुचिकर सामग्री आपके समक्ष रख दूंगा। आज मैं इसी बात पर ज़ोर दे रहा था कि हमारे देश में आधुनिक युद्धशिल्प-शिक्षा का कोई भी केन्द्र नहीं, जिस के परिणामस्वरूप हम दूसरी विचार की धारा के देशों की सभी बातें नहीं जान सकते। इस में कोई सन्देह नहीं कि प्रस्तुत बजट एक कगले का बजट है, और इस में रक्षा-व्यवस्था की मद बहुत ही कम है। हमें कई एक शत्रुओं से टक्कर लेना है, अतः हमारे देश में नवीनतम युद्ध-सामग्री और आयुध होने चाहियें—भले ही हमें बाहर के शत्रुओं का सामना नहीं करना पड़े किन्तु आन्तरिक शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये इन चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। आज से पांच या दस वर्ष पहले इन चीज़ों की आवश्यकता का होना बहुत ही ज़रूरी है। आज से पांच या दस वर्ष पहले इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी, किन्तु आज जब हमारे कुछ देशवासी ही मध्य यूरोप के उन कोमिनफार्म स्कूलों से शिक्षित होकर आये हैं और आधुनिक युद्ध-शिल्प आदि जानते हैं, तो हमें उन के उपद्रवों से बचने के लिये इस प्रकार के युद्धशिक्षा-केन्द्रों की आवश्यकता पड़ेगी। यही लोग हमारे सचिवालयों में भिन्न भिन्न रूपों में आ बैठे हैं, यहां तक कि रक्षा सचिवालय में भी इन की कमी नहीं। ये दस्तावेज़ चुरा ले जाते हैं और बेतार के तार से उस की सूचना कोमिनफार्म तक पहुंचाते हैं। यह कितना

ही जघन्य है। श्रीमान्, दुर्भाग्य है कि हमारा देश . . . (अन्तर्बाधायें)।

एक माननीय सदस्य : क्या इस प्रकार की बातों से चर्चा का स्तर गिर नहीं जाता ?

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। यह कहना कि सचिवालय की सेवा में प्रवेश पाकर कई लोग वहां के दस्तावेज़ चुराते हैं, और विदेशों में भेजते हैं, संसद्-शिष्टाचार के प्रतिकूल नहीं है।

एक माननीय सदस्य: क्या सदन कोई ऐसा गुप्त सत्र बुला सकता है जिस में वह इस प्रकार की सारी सामग्री प्रस्तुत कर सकें ?

अनेक माननीय सदस्य : सदन पटल पर रख दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। यदि कोई भी माननीय सदस्य किसी विशेष दस्तावेज़ की ओर निर्देश करेंगे तो मैं उन्हें सदन पटल पर वह दस्तावेज़ रखने का आदेश दूंगा। यदि वह केवल इतना कहें 'मेरे पास यह बात सिद्ध करने के लिये दस्तावेज़ हैं' तो यह उन की इच्छा पर निर्भर होगा कि वह उसे प्रस्तुत करें अथवा नहीं करें। यदि कोई सदस्य किसी विशेष दस्तावेज़ की ओर निर्देश नहीं करते तो मैं उन्हें इस बात के लिये मज़बूर नहीं कर सकता कि वह उसे सदन पटल पर रख दें। खैर, प्रस्तुत भाषण में कई बार अन्तर्बाधायें हो चुकी हैं ; किन्तु माननीय सदस्य कुछ एक तथ्यों को आपके समक्ष रखना चाहते हैं और अपना अनुभव बताना चाहते हैं, अतः आप उन्हें पूरी तरह से कहने का मौका दें। जब आज तक सदन में शान्ति से काम होता रहा है तो ऐसी कोई भी बात नहीं कि भविष्य में शान्ति भंग हो जाय। माननीय सदस्य भाषण जारी रखें।

डा० एस० एन० सिन्हा : मैं तो आप को वे सभी अनुभव बता रहा था जो मुझे भिन्न भिन्न देशों में रहते हुए प्राप्त हुए हैं, और हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि अपने देश को बचाने का भरसक प्रयत्न करे। यदि उसके देश में विदेशियों द्वारा शोषण हो रहा हो तो वह उन सभी बातों को सरकार के ध्यान में लाये। किन्तु, श्रीमान्, हमारे देश की संस्थायें बहुत ही शिथिल हैं, और यहां इस बात की आवश्यकता है कि सरकारी मशीनरी में पूरी पूरी सफ़ाई हो, किन्तु दुर्भाग्य है कि हमारा देश अहिंसा के सिद्धान्त पर आधारित है, अतः यहां ऐसी बात नहीं हो सकती, अन्यथा, जिस प्रकार अन्य देशों में होता है, उसी प्रकार यहां भी ऐसे राज्यद्रोहियों के लिये फांसी ही एकमात्र दण्ड हो सकता था। श्रीमान्, राज्यद्रोह के लिये मृत्युदण्ड ही हो सकता है।

यदि मैं वित्त मंत्री की स्थिति में होता तो मुझे उसी स्थिति का सामना करना पड़ता जो कुछ वर्ष पहले ध्रुव-प्रदेश के समुद्र में मेरे समक्ष प्रस्तुत हुई थी, जब वहां बड़ा भारी बवण्डर उठा था। किन्तु इस में भी मुझे ऐतिहासिक तथ्यों पर अटल विश्वास होते हुए इस बात का निश्चय है कि हमारी सरकार की विजय होगी। हमारा काम है कि कोमिनफार्म के इन एजेण्टों, जो हमारे देश में सब से अधिक प्रतिक्रियावादी हैं, पर कड़ी निगरानी रखें, और सदा आगे बढ़ते रहें।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : इन ज़ोरदार भाषणों के बाद अब हम बजट पर कुछ विचार करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छे बजट से बुरे भाषण सुनने को मिलते हैं, और बुरे बजट से अच्छे भाषण। श्रीमान्, स्वयं मैं वित्त मंत्री जी को इस बजट पर बधाई नहीं देना चाहता क्योंकि इस में तीन प्रकार की निषेधात्मक बातें हैं। देश भर ने उनसे किस बात की मांग की थी ? उद्योगपति मंदी का सामना कर रहे थे और चाहते थे कि करारोपण में कुछ कमी हो जाय, किन्तु वित्त मंत्री ने उस में कोई भी कमी नहीं की। जनसाधारण ने

[श्री एन० सी० चटर्जी]

खाद्य-सहायता मांगी थी, और उन्हें भी साफ़ जवाब मिला ; और तीसरा देश भर इस बात की आशा लगाये बैठा था कि रक्षा के आंकों में कुछ कमी हो जायेगी, और इस बात में भी सभी को निराशा हुई । आपको आंकड़ों का कुछ ज्ञान होगा। रक्षा सम्बन्धी व्यय १९७.९८ करोड़ रुपये हैं, और मंत्री जी का कहना है कि इस में कोई भी कमी नहीं होगी। अब देखिये कि तीनों बातों में वित्त मंत्री तथा रक्षा मंत्री ने साफ़ इन्कार किया है । सभी सदस्य जनसाधारण के लिये आंसू बहा रहे हैं, लेकिन इस जनसाधारण की मांग क्या है । वह खाद्य सम्बन्धी सहायता मांगते हैं, और उन की यह मांग तर्कों पर आधारित है । माननीय मंत्री का कहना है कि थोक मूल्यों का साधारण देशनांक घट रहा है किन्तु डा० कृष्णस्वामी ने ठीक कहा था कि मूल्य देशनांक और जीवन-यापन मूल्य देशनांक में असमानता है । कई एक बातें हैं जिन के कारण थोक मूल्यों का देशनांक बनता है—और इस में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तुयें शामिल हैं, किन्तु वे जीवन-यापन मूल्य देशनांक के जोड़ में नहीं बैठतीं ।

आखिर, खाद्य सहायता के उन्मूलन का क्या प्रभाव पड़ता है। खाद्य के दाम बढ़ गये हैं, ठीक है । सुसंगठित श्रम तथा व्यापार संघ अपनी मांग पेश कर सकते हैं। वे अपना कार्य और उसकी पूर्ति की विधि भी जानते हैं। वे अपनी मांगें पूरी करवा सकते हैं, और आप यह भी जानते हैं कि सुसंगठित श्रम संघ महंगाई भत्ते भी ले रहे हैं । औद्योगिक न्यायाधिकरण व्यापार संघों के पक्ष में पंचाट भी दे रहे हैं, किन्तु असंगठित श्रम के सम्बन्ध में क्या किया गया है ? निम्न मध्य वर्ग, निर्धन वर्ग, आदि के लिये क्या हुआ है ? वे तो संघर्ष नहीं कर सकते । अतएव वित्त मंत्री खाद्य सहायता रोक लेने से पहले पुनः इस बात पर सोच लें, अभी से ना नहीं करें ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रस्तुत बजट किस प्रकार का है ? फरवरी के महीने में लोक सभा के समक्ष जो अन्तरिम बजट प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया था, उसमें ४२४·९८ करोड़ रुपये का राजस्व दिखाया गया था, और अब तीन महीने बाद उनका कहना है कि यह आंकड़ा ग़लत था, और राजस्व ४०४·९८ करोड़ रुपये है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों इस प्रकार का प्राक्कलन दिया गया जो यथार्थ आंकड़े से अधिक आंकड़े बताता है । मंत्री जी यह भी कहते हैं कि आगम शुल्क में कमी हुई है, किन्तु आप सभी जानते हैं कि राशीकरण में कमी हुई है । १९५१-५२ के आयव्ययक आंक में ४०१ करोड़ रुपये का राजस्व दिखाया गया था जब कि पुनरीक्षित आंकों में ४९७ करोड़ रुपये दिखाये गये हैं । यह सब क्यों होता है ? इस से स्पष्ट होता है कि राजस्व में ९६ करोड़ रुपये की कमी रखी गई है । मुझे खेद से कहना पड़ता है कि इस प्रकार के अनुचित आंकों से संसदीय निगरानी भ्रामक हो जाती है । ससद् राष्ट्रीय निधियों का अभिरक्षक है और ऐसी भ्रान्ति से गड़बड़ पैदा हो जाती है । और जब आप धन व्यय करने के बाद अनुपूरक आयव्ययक प्रस्तुत करते हैं तो संसद् के समक्ष उस आयव्ययक पर मुहर लगाने के बिना और कोई चारा नज़र नहीं आता ।

रक्षा आयव्ययक के सम्बन्ध में कुछ एक बातें बताना चाहता हूं । इस में भी मंत्री जी का कहना है कि व्यय में कोई कमी नहीं की जायेगी, किन्तु २९ फरवरी को अन्तरिम बजट पर भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि वह इस के लिये कुछ छंटनी करने जा रहे हैं । मैं इस मत का व्यक्ति नहीं हूं कि रक्षा विभाग में कमी की जाय अथवा सेना कम कर दी जाय,

क्योंकि वह राजनीति के अनुकूल नहीं होगा। मेरे मित्र श्री गोपालन ने कहा था कि प्रजातंत्र शान्तिप्रिय होते हैं, किन्तु ये सभी प्रजातंत्र पूरे ज़ोर से शस्त्रीकरण में लगे हैं, और ऐसी स्थिति में यह देश के साथ सब से बड़ा विद्रोह होगा कि सेना कम कर दी जाय ; किन्तु इसके साथ ही मेरा यह भी अनुभव है कि छंटनी की जा सकती है। एक बड़े राजनीतिज्ञ का कहना है कि ईश्वर पर भरोसा रखिये, लेकिन चूर्ण को गीला न कीजिये। मैं भी ऐसा ही समझता हूं। प्रजातंत्र में विश्वास कीजिये किन्तु अपना चूर्ण (गोला-बारूद) गीला (ख़राब) न कीजिये। (अन्तर्बाधा) मेरा मतलब चेहरे पर मलने के चूर्ण से नहीं, गोला बनाने के चूर्ण से है। तथ्यों का सामना कीजिये। हमारी सीमान्त-रेखा बहुत अधिक लम्बी और ऊबड़-खाबड़ भी है। आज भी भारतीय भूमि का एक अच्छा खासा भाग पाकिस्तानी दलों के अनधिकृत क़ब्ज़े में है, अतः इस बात की आवश्यकता दिखाई देती है है कि यह रक्षा-रेखा किसी भी प्रकार से शिथिल न पड़ जाये। न मालूम क्या होने वाला होगा, किन्तु हमें अपनी ओर से किसी भी विपदा का सामना करने के लिये तैयार होना चाहिये।

श्रीमान्, कितनी ही ठीक बात कही गई है कि जिस काश्मीर पर हम आज तक करोड़ों रुपये व्यय कर चुके हैं, उस से हमें क्या प्राप्त होगा। हम लगभग १५० करोड़ रुपये व्यय कर चुके हैं, और यह सब भारत के बेचारे करदाता की जेब से आया है। वही आप से बार बार पूछता है कि उसे इस के बदले में क्या मिलेगा। आप ने स्थाई रूप से वहां सेनायें टिका रखी हैं और उन पर स्थायी रूप से धन का व्यय होता जा रहा है। और हम यह भी सुनते रहे हैं कि इस प्रजातंत्रात्मक गणराज्य में काश्मीर नाम का एक और प्रजातंत्रात्मक गणराज्य होगा, और काश्मीर भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं रहेगा। आज तक के १५० करोड़ रुपये और वार्षिक ४०-५० करोड़ रुपये के आवर्त्तक व्यय के बाद हमें यही कुछ मिलेगा।

फरवरी में मंत्री महोदय ने बतलाया था कि वह रक्षा आंकों में कुछ कमी (छंटनी) करने का प्रयास कर रहे हैं, किन्तु मुझे कुछ आश्चर्य हो रहा है कि आज तक कुछ भी नहीं हो पाया है। रक्षा सेवा आंक को देखने से आप को पता चलेगा कि १९५०-५१ में सेना पर १३१.७२ करोड़ रुपये का व्यय हुआ था। प्रस्तुत बजट में सेना पर १४८.६९ करोड़ रुपये का व्यय दिखाया गया है। मैं इस के लिये सरकार से व्याख्या मांगना चाहता हूं। सदन इस बात की व्याख्या लेने का अधिकारी है कि क्यों १७ करोड़ रुपये का यह अतिरिक्त व्यय किया गया है। १९५०-५१ में हमारी सेना काफ़ी अच्छी थी। मैं बतला चुका हूं कि सेना को शिथिल करने के पक्ष में नहीं हूं, किन्तु आप यह अतिरिक्त १७ करोड़ रुपये क्यों ले रहे हैं? मैं यह भी देख रहा हूं कि १९५०-५१ में रक्षा सेवाओं पर १६४.१२ करोड़ रुपये का व्यय हुआ था। और इस आयव्ययक में इसी मद पर १९७.९४ करोड़ रुपये का व्यय दिखाया गया है। हम यही जानना चाहते हैं कि १६४ करोड़ रुपये के व्यय में यह अतिरिक्त व्यय क्यों जोड़ा जा रहा है?

श्रीमान्, मैं विविध रक्षा-उद्योगों के विकास का प्रतिपादन कर रहा हूं। मेरी समझ में मितव्ययता तथा अनुशासन के अनुकूल यही होगा कि और भी अधिक कड़ी निगरानी होनी चाहिये, और इस प्रकार की रक्षा परिषद् बनाई जानी चाहिये जिस में सरकारी तथा विरोधी दल के सदस्य आपस में मिल कर साधारण नीति पर चर्चा किया करेंगे। आप को मालूम होगा कि लार्ड हाल्डेन की रक्षा परिषद् बनाने की योजना ने ही इंगलैंड को बचाया था, और अब मैं रक्षा मंत्री से यही

[श्री एन० सी० चटर्जी]

प्रार्थना करूंगा कि वह इसी प्रकार की कोई योजना बना कर इस परिस्थिति का सामना करें । हम मंत्री जी से यह भी जानना चहाते हैं कि जीप धांधली के सम्बंध में उन्होंने क्या कार्य वाही की है ? क्या उन्होंने कोई पूछताछ की है ? मात्र यह कहना कि भारत के कोष से इस धांधली की पूछताछ पर बहुत धन व्यय हुआ, बेसूद है । सरकार ने इस धांधली में आरोपित मनुष्यों को दण्ड देने के लिये क्या कार्यवाही की है ? जब तक ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही नहीं की जाती, तब तक हमारे देश से भ्रष्टाचार और अपव्यय दूर नहीं हो जाते हैं, और फिर भारत जैसे निर्धन देश में इस प्रकार की कार्यवाही परमावश्यक है ।

१२ मध्यान्ह

सरदार मजीठिया (तरन तारन) : श्रीमान्, मुझे जो कुछ भी कहना था, वह मुझ से पहले बोलने वाले मेरे मान्य सहयोगी ने कहा । मैं अब उस के अतिरिक्त और दो बातें कहना चाहता हूं । प्रस्तुत आयव्ययक के सम्बन्ध में विरोधी दल के सदस्यों ने जो कुछ भी कहा है, वह मैं बहुत ध्यान से सुनता रहा हूं । यह आयव्ययक, जिसे एक कंगाल का आयव्ययक कहा जाता है, बहुत ही दृढ़ तर्कों पर आधारित है। यह एक यथार्थ आयव्ययक है, और एक योजना पर आधारित है, किन्तु दुर्भाग्यवश विरोधी दल के सदस्यों ने इसे क्रूर और योजना-रहित बताया है, और मैं उन से इसलिये सहमत नहीं हूं क्योंकि उन्होंने द्वेषभावना से ऐसी बातें कही हैं । मेरा विचार है कि कांग्रेस ने पांच वर्ष के इतने अल्प काल में ऐसे काम कर दिखाये जो अंग्रेज़ों ने २०० वर्षों में, और रूसियों ने लगभग १७ वर्षों में किये । मैं भारत के संविधान की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसे संसार का श्रेष्ठतम संविधान समझा जाता है । इस संविधान में सभी को समान अधिकार प्राप्त है, और यह इसी की करामात है कि आज इस सदन में जनसाधारण का बहुमत है ।

मेरे सहयोगियों ने सदन में इस सरकार पर यह आरोप लगाया कि इस ने कोई भी काम नहीं किया है । तो मैं उन मित्रों से यही कहना चाहता हूं कि बवण्डर और तूफान भरे इन वर्षों में इस सरकार ने किसी को भूख से नहीं मरने दिया और शरणार्थियों को बसाया । वह इस तथ्य को क्यों याद नहीं करते कि भारत में एक भी मनुष्य भूख से नहीं मरा है ।

हमारे साथी श्री गोपालन का कहना है कि हमें जंगलों को साफ़ कर देना चाहिये, और वह भूमि जनसाधारण में बांटनी चाहिये । मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने गम्भीरता से यह सुझाव दिया है अथवा नहीं, क्योंकि जंगल काटना स्वयं ही एक बड़ी समस्या है । इस देश में पहले से ही वृक्षों की कमी है, और शायद उन्हें यह मालूम नहीं कि उत्स्वेदन जैसी कोई घटना हुआ करती है, और उसके परिणाम-स्वरूप वर्षा हुआ करती है । यदि हम सारे वृक्ष उड़ाकर भूमि को बिल्कुल विवर्ण करदें, तो वर्षा कम होने लगेगी, और उससे अन्न का उत्पादन कम होगा । और आप जानते हैं कि अन्न की कम पैदावार से कितनी भुखमरी और अशान्ति फैल जायेगी । होश्यारपुर की ओर दृष्टि डाल दीजिये जहां वननाशन से प्रति वर्ष पानी के स्तर में एक फुट कमी पड़ जाती है। वननाशन का ही परिणाम है कि इतनी बाढ़ें आती हैं और उपजाऊ भूमि को फसल समेत बहाले जाती हैं । और देखिये : जगलों से ईंधन मिलता है, लकड़ी मिलती है । यदि ईंधन में कमी पड़ जाय तो आप को गोबर जलाना पड़ेगा : आपको विदित होना चाहिये कि भारत में सब से बढ़िया और सब से अधिक उपलब्ध खाद गोबर ही है । तो वननाशन मे आप भारत की इस बड़ी राष्ट्रीय संपत्ति को

उड़ा देंगे। इस प्रकार के सुझाव के बदले में आप के समक्ष यह बतला देना चाहता हूं कि हमें अधिक वृक्ष लगाने का बीड़ा उठाना चाहिये जैसा पंचवर्षीय योजना में दिखलाया भी जा चुका है।

अब मैं लुधियाना से आने वाले सहयोगी की बात के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। उन का कहना है कि देश भर में शान्ति और व्यवस्था इस हद तक भंग हो चुकी है कि पंजाब में इन दिनों पहले से १० गुना अधिक अपराध होने लगे हैं। मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने किन तथ्यों के आधार पर यह बात कही है। मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं और मैं उन्हें बता भी सकता हूं। पंजाब में अप्रैल १९५१ में ५३ हत्यायें हुई थीं और मार्च, १९५२ में केवल ४९ हत्याये हुई हैं—क्या यह कमी नहीं हुई। अप्रैल १९५१ में ६ डाके पड़े थे और मार्च १९५२ में केवल पांच डाके पड़े—इस में भी कमी हो गई। अप्रैल १९५१ में ४६५ सेंधें लगाई गईं और मार्च १९५२ में केवल ३६५ सेंधें लगी हैं—क्या १०० की कमी नहीं हुई। १९५१ में ४१ बटमारी-डाके, ५४१ चोरियां, २१ विद्रोह, ६५ दण्डनीय नरहत्यायें, २४ अपहरण हुये थे और १९५२ में इन्हीं घटनाओं की संख्या क्रमशः २७, ४९४, १७, ६१ और १९ है। इस से स्पष्ट हो जाता है कि दण्डनीय अपराधों की संख्या कम होती जा रही है, और स्थिति पहले से अच्छी हो रही है।

एक **माननीय सदस्य** : विभाजन पूर्व काल के सम्बन्ध में आप का क्या विचार है ?

सरदार मजीठिया : तो मैं आप को इन दण्डनीय अपराधों की संख्या बता रहा था। इन पर विचार करने से आप भी इसी निष्कर्ष पर पहुंच जायेंगे कि अब अपराधों की संख्या कम हो रही है। मेरे मित्र ने कहा कि यात्रा करते करते पुलिस ने उन्हें रोका लेकिन मेरे साथ कभी भी ऐसी दुर्घटना नहीं हुई है। हो सकता है कि मैं इस मामले में सौभाग्यशाली रहा हूं, जैसा मेरे मित्र सोचते होंगे, किन्तु मुझे इस बात का यही कारण लग रहा है कि कांग्रेस ने निर्वाचकों को कभी भी गलत बातें नहीं बताईं न ही ऐसी आशायें उभारीं, जैसा अन्य दलों के सदस्यों ने किया। यही कारण है कि सदन में कांग्रेसियों का बहुमत है, और इस से यह स्पष्ट हो जाता है कि जनता ने हम पर विश्वास किया है। प्रस्तुत आयव्ययक में हम ने पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने का प्रयत्न भी किया है।

रक्षा सेवाओं के सम्बन्ध में मैं कुछ एक शब्द कहना चाहता हूं। हमारी रक्षा सेवायें ऐशिया में श्रेष्ठ मानी जाती हैं, और हमारी राष्ट्रीय संपत्ति हैं, अतः हम इन में कोई भी छंटनी नहीं कर सकते, इतना ज़रूर है कि हमें इन सेवाओं का पुनर्नवीकरण करना चाहिये। मैं रक्षा मंत्री से यह प्रार्थना करूंगा कि यह एक ऐसा उच्चाधिकारी आयोग नियुक्त करें जो हमारी रक्षा सेवाओं के कार्य, उद्देश्य, आदि समस्याओं की सविस्तर जांच करें। अब देखिये कि हमारे देश में रक्षा सेवाओं पर जो कुछ भी व्यय किया जा रहा है अन्य देशों में इस से दस गुना व्यय हो रहा है और वे लोग रक्षा सेवाओं में अपनी वायुसेना पर ही अधिक धन व्यय करते हैं। हमारे देश में तभी इतनी प्रगति हो सकती है जब उद्योग भी हमारा साथ दे। हमारी सरकार ने हिन्दुस्तान ऐयर-क्राफ्ट फ़ैक्टरी को चालू रखने की योजना बनाई है और अभी उस दिन रक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि इस फैक्टरी ने अब जेट वायु-यानों का निर्माण भी आरम्भ किया है। यह तो सरकर का बहुत ही अच्छा कार्य रहा, और इस के साथ साथ हमें चाहिये कि अन्य उद्योगों को भी प्रोत्साहन दें—अर्थात् मोटर इंजनों, आदि का निर्माण आरम्भ करें। हमें टैंकों के लिये इंजनों की आवश्यकता पड़ेगी। और रक्षा सेवाओं को चालू रखने के लिये

[सरदार मजीठिया]

हमें छोटी और बड़ी तोपों की भी जरूरत है। मैं सरकार को यह सुझाव दूंगा कि वह कार्यक्रम के इस भाग को भी आगे बढ़ाये।

कई सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया है कि उद्योगपतियों ने बहुत धन कमाया है, किन्तु इस में तथ्य नहीं। इस के लिये मैं आप को पावर एल्कोहल उद्योग का उदाहरण दे सकता हूं। यह उद्योग अभी अपना कार्य आरम्भ ही कर रहा है, और फैक्टरी सम्बन्धी सरकारी नियमों में इस बात का उल्लेख हुआ है कि पावर एल्कोहल उद्योग को न केवल उत्पादन करना है और न केवल अपने उत्पादन-व्यय पर सरकार को कुछ भाग देना है, अपितु उसे अपने उत्पादन को हजारों मील दूर पहुंचाना भी है। इतना ही नहीं, यदि गन्तव्य स्थान पर इस की कुछ कमी पड़ जाये तो इस उद्योग को प्रति गैलन कमी के लिये १०० रुपये का अर्थदण्ड भी देना पड़ता है। अर्थात् यदि कोई उत्पादक उत्तर से दक्षिण की ओर १,००० गैलन भेज रहे हों, और इस में १० गैलन की कमी पड़ जाये, तो उसे १,००० रुपये का अर्थ-दण्ड देना पड़ेगा, जबकि उसे १३-१४ आन प्रति गैलन के पैसे मिलेंगे। इस तरह उत्पादक को जो कुछ भी पैसा मिलेगा, वह सरकार के पास चला जायेगा। तो, इस से उद्योग को कोई भी सहायता नहीं मिलती।

उपाध्यक्ष महोदय : वह १७ मिनट ले चुके हैं। माननीय सदस्यों को १३ मिन्टों में ही अपना भाषण समाप्त कर लेना चाहिये, और यदि आवश्यकता पड़े तो उन्हें और दो मिनट मिलेंगे।

सरदार मजीठिया : श्रीमान्, धन्यवाद। मैं उन चित्रों का उल्लेख कर रहा था जो सरकार ने देश भर के प्रसिद्ध कलाकारों से प्राप्त किये हैं। दुःख है कि इन चित्रों की देखभाल नहीं होती और इतने पैसे फूंके जाते हैं।

मेरा विश्वास है कि प्रस्तुत आय व्ययक ईमानदारी और अच्छाई से भरा है और मैं इस का समर्थन करता हूं।

श्री एन० एस० नायर (क्विलोन व मावेलिक्करा) : श्रीमान्, मैं उस वर्ग का सदस्य नहीं जिसे 'कोमिनफार्म के एजेन्ट' कहा गया है, न तो उस वर्ग का हूं जिसे "आंग्ल-अमरीकी शक्तियों के एजेन्ट" कहा जाता है। मैं अपने आप को मार्क्सवादी समझता हूं। मैं ने स्वतंत्रता संग्राम के लिये वर्षों से काम किया है, और मेरा अनुभव है कि प्रस्तुत आयव्ययक युद्धकालीन आयव्ययक है। मैं इसे इसी लिये युद्धप्रिय आयव्ययक समझता हूं क्योंकि इस में कुल राजस्व का ४९.३ प्रतिशत रक्षा सेवाओं पर व्यय किया गया है। दूसरा यह कि इस आयव्ययक से सत्तारूढ़ कांग्रेसी दल ने भारत की निर्धन जनता के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। देखने से पता चलेगा कि दो वर्ष में रक्षा व्यय में ३५.९ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। मैं यह नहीं चाहता कि हमारी सशस्त्र सेनाओं को घटा दिया जाये, किन्तु जनता का प्रतिनिधि होने के नाते मैं इस बात की मांग करता हूं कि सेना पर के व्यय में कमी की जानी चाहिये। मैं सरकार से इस बात की आशा करूंगा कि देश के सभी युवक-युवतियों को अनिवार्य रूप से सैनिक प्रशिक्षा दी जानी चाहिये। मेरी यह धारणा है कि यदि सेना-प्रशिक्षा प्राप्त (सशस्त्र) राष्ट्र हो तो वह देश को हजारों सैनिकों की सेना से अधिक अच्छा है। यदि लोगों को ही सशस्त्र बनाया जाये तो वे सीमान्त पर होने वाले आक्रमणों से देश की रक्षा कर सकते हैं।

प्रस्तुत आयव्ययक के एक और पहलू को दृष्टि में रखते हुए मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि यह अस्तव्यस्त और

अनिश्चित प्रकार का आयव्ययक है। १९५१-५२ में राजस्व २६.१ करोड़ रुपये के आधिक्य का अनुमान लगाया गया था, और पुनरीक्षित आंक में इस का आंकड़ा ९२.६१ करोड़ रुपये दिया गया है, यानी ६६.५१ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। और फिर १९५१-५२ में, जैसा वित्त मंत्री जी बताते हैं, "सार्वजनिक ऋणों में ५० करोड़ रुपये की कमी पड़ गई और दिये गये ऋणों में ३० करोड़ रुपये की कमी हुई है।" १९५२-५३ के आयव्ययक में फरवरी तथा मार्च के आंकों में १५ करोड़ रुपये का घाटा है। ऐसी बातें इस अभागे भारत में ही हो सकती हैं। आश्चर्य है कि इन का आयव्ययक कितना अनुत्तरदायित्व-पूर्ण है।

आयव्ययक का एक और पहलू यह भी है कि हमारे राजस्व में असाधारण कमी पड़ गई है। १९५१-५२ में ४९७.६७ करोड़ रुपये का राजस्व था और अब यह ४०४.९८ करोड़ रुपये रह गया है, यानी इस में लगभग ९३ करोड़ रुपये की कमी हुई है—या यों कहिये कि पिछले वर्ष की आय का १९ प्रतिशत कम हो गया है। और इन में आगम शुल्क और आयकर की ही मुख्य मदें हैं। सरकार को सहसा आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा और उस ने भी परेशानी की हालत में निर्यात शुल्क पर हाथ मारा। हैसियन जूट पर पहले १,५०० रुपये का निर्यात शुल्क लगता था और अब वह घट कर १७५ रुपये तक पहुंचा है। कपास तथा कपास की उलझनों पर लगाये जाने वाले शुल्क में कमी की गई है। तिलहन, मूंगफली तथा ऊन पर से सभी शुल्क हटाये गये हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उपभोग की वस्तुओं से शुल्क हटाते समय क्या सरकार—जनसाधारण—उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान से नहीं निकालती है?

श्री त्यागी : जी नहीं। हम ने बेरोजगारी का प्रश्न सुलझाने के लिये ही ऐसा किया। यदि मिलें बन्द हो जातीं तो बेकारी फैल जाती।

श्री एन० एस० नायर : हां, आप यही कहेंगे कि बेकारी मिटाने के लिये ही यह सब किया गया।

श्री वैलायुधन : छंटनी के शिकार हुए ५ लाख व्यक्तियों के सम्बन्ध में आप का क्या विचार है? वह सब कैसे हुआ?

श्री एन० एस० नायर : आप भू-स्वामियों और पूंजीपतियों को बचाना चाहते हैं क्योंकि वे सरकार का समर्थन कर रहे हैं।

श्री त्यागी : श्रमिक।

श्री एन० एस० नायर : आप श्रमिकों की बात कर रहे हैं, लेकिन इस से पूंजीपतियों को ही लाभ होता है। और यह तो स्वाभाविक है।

मैं कोई अर्थशास्त्रज्ञ नहीं किन्तु मैं जनसाधारण की मांगों और कठिनाइयों को समझता तो हूं। वित्त मंत्री जी लोगों से इस बात की अपील करते हैं कि वह मितव्ययता से काम लें और अपना आयव्ययक पूरा करें। वह इस प्रकार बोल रहे हैं जैसे कि भारत का एक साधारण व्यक्ति मंत्री का सा वेतन ले रहा हो, और अपना आयव्ययक पूरा करने जा रहा हो। श्रीमान्, मेरा यह कहना है कि प्रस्तुत आयव्ययक बहुत ही कर्कश है, क्योंकि पांच वर्ष तक के इस कांग्रेस राज के बाद अब निर्धन भारतीय से कहा जा रहा है कि वह अपने आवश्यकतायें और भी कम करे, कितनी ही मानवतारहित बात है! आखिर, कितने दिनों तक यहां का जन साधारण कठिनाइयों का सामना करता रहेगा। वह बेचारा अब भी वही मौत का जीवन बिता रहा है, जब कि कुछ एक ही व्यक्तियों को हलवा मिलता है। आप हमें अपने बजट की

[श्री एन० एस० नायर]

मदों में कमी करने की कहते हैं—ठीक है, हम सब कुछ करने को तैयार हैं, किन्तु हम अपने अधिकारों के लिये संघर्ष करते रहेंगे, और यदि आप हमें काम और रोटी नहीं दिला सकते तो हमें गोली से उड़ा दीजिये, जैसा कि आप ने गोरखपुर और पसुमला में किया भी है। इस तरह कतई भी समझौता नहीं हो सकता।

अब मैं खाद्य सहायता के प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ शब्द बोलना चाहता हूं। आपने एक साथ खाद्य सहायता छीन ली है और खाद्यान्न तथा जीवन की अन्य आवश्यकताओं का भाड़ा बढ़ा दिया है। इस तरह के कदम से आप ने बेचारे निर्धन भारतीय के मुंह से रोटी का आखिरी कौर भी छीन लिया है। और इस पर तुर्रा यह है कि आप हमें शान्त और सहनशील रहने का पाठ पढ़ा रहे हैं। मुझे इस समय चर्चिल सरकार की एक बात याद आ रही है कि उन्होंने इंगलैंड में किस तरह खाद्य सहायता में कटौती की, और आप ने भी बिना समझे बूझे बिल्कुल वैसा ही किया। आप को ज्ञात होना चाहिये कि ग्रेट ब्रिटेन में यदि खाद्य सहायता में कटौती हुई है तो वहां के जनसाधारण को इस क्षति की पूर्ति कई एक तरीकों से हुई है : वहां श्रमिकों के मजूरी, कर्मचारियों के भत्ते, निवृत्ति-वेतन आदि में वृद्धि तो हुई है। मैं सरकार से पुनः इस बात की अपील करूंगा कि वह जनसाधारण को इस बात पर मजबूर न करे कि वे अपने निम्न स्तर के जीवन में और भी मितव्ययता कर दिखायें, बल्कि वह इस समय धैर्य से इस घाटे के बजट का सामना करें। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्यों विदेशों से आयात किये गये खाद्यान्न के मूल्यों में वृद्धि होने के लिये बेचारे जनसाधारण को उत्तरदायी ठहराया जाता है ? क्या भारतीय प्रशासन में होने वाले भ्रष्टाचार, कार्यकुशलहीनता, अक्षमता तथा परिवार-पोषण की खराबियों के लिये यहां की जनता ही उत्तरदायी है ? मैं कहता हूं कि जनता उत्तरदायी नहीं। तब, आप बेचारे जनसाधारण पर इन अतिरिक्त, अप्रत्यक्ष करों का बोझ क्यों डाल देते हैं ?

वित्त मंत्री का कहना है कि खाद्य सहायता के ३ करोड़ रुपये सामूहिक विकास परियोजनाओं में लगाये गये हैं। तो मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्यों क्षेत्रों के अनुसार ही ये परियोजनायें चलाई जा रही हैं, आबादी के अनुसार क्यों नहीं चलाई जातीं ? क्या आप उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के साथ पक्षपात और त्रावनकोर-कोचीन जैसे राज्यों के साथ अन्याय नहीं करते ? मुझे डा० मुखर्जी की उस दिन की बात में सत्य लग रहा है जब उन्होंने कहा था कि भारत से अभिप्रेत है उत्तर प्रदेश। और यदि सरकार का यही रवैया रहा तो इस से हम सभी की हानि होगी।

सामूहिक विकास परियोजनाओं का यह भी एक पहलू है कि इन पर जो भी धन व्यय किया जाता है, उस का ५० प्रतिशत से अधिक भाग अमरीकी विशारदों को दिये जाने वाले मजूरी, भत्ते, आदि में ही निकल जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि इन परियोजनाओं के लिये अमरीका से पैसा मांगने का लाभ ही क्या है जब वे यहां की जनता को लाभ पहुंचाने के बदले उल्टा यहां से धन खींच लेते हैं।

अब पंचवर्षीय योजना को लीजिये। इस पर १,४५३ करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा, किन्तु इस में कितना भाग उद्योगों के लिये पृथक् रक्षित हुआ है ? योजना में १०१ करोड़ रुपये की मद रखी गई है जिस में से इस वर्ष केवल १० करोड़ रुपये मिले हैं; बताइये इस तरह की गति से कब तक काम चलाया जा सकता है। और यह भी सोच लीजिये कि क्या १०१ करोड़ रुपये लगाने के

बाद भी हम इस सीमा तक अपने देश का उद्योगीकरण कर सकते हैं कि हमें सभी प्रकार की उद्योग सम्बन्धी सामग्री मिले। और मशीन बनाने के संयंत्र भी बन सकें— नहीं। यदि हम से इतना भी नहीं हो सकता तो हम किस प्रकार रूस की पंचवर्षीय क्रान्तिकारी योजनाओं का मुकाबला कर सकते हैं।

मैं त्रावनकोर-कोचीन राज्य का हूं, अतः वहां के सम्बन्ध में कुछ एक शब्द बताना चाहता हूं। कुमारी आनी मस्करीन वहां के १५०,००० हाथकरघा जुलाहों की दुर्दशा आप के सामने बयान कर चुकी हैं। १९४९ में केन्द्रीय सरकार ने इन के लिये १९ लाख रुपये दिये थे किन्तु उस राशि को कभी भी नहीं खर्चा गया। क्या यह जनता के साथ धोखा नहीं किया गया? आपने हमारी लोक सेवाओं का एकीकरण तो किया किन्तु हमारे कर्मचारियों के लिये आप ने क्या किया? हमारे राज्य में उन पढ़े लिखे लोगों को, जिन्होंने कई वर्षों से शिक्षा देने का काम किया है, अन्य राज्यों में उन पढ़ाने वाले अध्यापकों की अपेक्षा कम वेतन दिये गये हैं। आप ने १९५० में उन की सेवाओं का एकीकरण किया किन्तु उन्हें १९५१ में ही नई वेतन-श्रेणियों के अनुसार वेतन मिले। क्या लोकसेवकों के वेतन का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है?

श्री त्यागी : क्या मेरे माननीय मित्र यही कहना चाहते हैं कि उन के राज्य में उन राज्य कर्मचारियों को जिन की सेवायें एकीकृत हो चुकी हैं उसी वेतन-श्रेणी के अनुसार वेतन नहीं दिया जाता जो वेतन-श्रेणी भारत सरकार की सेवाओं में अन्य कर्मचारियों को मिलती है?

श्री एन० एस० नायर : यह भी है कि आप हमारी भाषा और संस्कृति को कुचल रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमारी कथकाली और लोककलायें समाप्त हो जायें। आप संविधान के अनुच्छेद ३७१ की धौंस दे कर हमें दास बनाना चाहते हैं लेकिन हम कभी भी इस बात को नहीं होने देंगे।

श्री जोशिम अलवा : मैं माननीय वित्त मंत्री के इस आयव्ययक का समर्थन करता हूं। १९४२ के भारत छोड़ो आन्दोलन के बाद से १९४७ तक की घोर कठिनाइयों के परिणामस्वरूप हमारे इस प्रस्थापना का जन्म हुआ है, और सन् १९४७ से इधर को हमारी सरकार को शरणार्थियों की भीषण समस्या का सामना करना पड़ा है।

एक माननीय सदस्य : किन्तु इस के लिये कौन उत्तरदायी था?

श्री जोशिम अलवा : तथ्य सदा ही अरुचिकर होते हैं, और लोगों की स्मरण शक्ति भी मन्द हुआ करती है। भारत का विभाजन तीन पार्टियों ने कराया : अंग्रेजों ने, मुस्लिम लीगियों ने, और .....

कई माननीय सदस्य : कांग्रेस ने।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी माननीय सदस्य शान्ति से काम लें। वे स्वयं ही तीसरा नाम बता देंगे।

श्री जोशिम अलवा : मैं विनम्रतापूर्वक बता रहा हूं कि तीसरी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है: मुझे किसी से बैर नहीं, मैं अब भी कई एक कम्युनिस्टों के चरित्र, साहस, क्षमता और कौशल का पुजारी हूं। अभी उस दिन श्री हीरेन मुकर्जी ने बतलाया कि हमें अपने देश की घास की एक एक बाल से स्नेह है। कितना ही अच्छा होता यदि हर किसी साम्यवादी की ऐसी ही भावना होती। भारतीय साम्यवादी उन दिनों जनता का युद्ध लड़ रहे थे जब भारतीय राष्ट्रवाद के उच्च कोटि के नेता जेलों में बन्द पड़े थे। उधर से लीगियों ने अल्पसंख्यक संस्कृति, आत्म-परिरक्षण आदि के आधार पर अलग राष्ट्र बनाने का सवाल उठाया और साम्यवादियों ने उन्हें

[श्री जोशिम अलवा]

नैतिक समर्थन किया—परिणाम यह हुआ कि भारत खण्डित हो गया । इतिहास के तथ्यों को कोई भी भुला नहीं सकता : ब्रिटिश, मुस्लिम लीग तथा भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने मिल कर पाकिस्तान को जन्म दिया ।

इस से हमारे समक्ष उत्तर भारत में ८० लाख शरणार्थियों को—यानी आस्ट्रेलिया से कुछ अधिक और कैनाडा से कुछ कम जनसंख्या को बसाने की समस्या प्रस्तुत हुई । और हम ने बिना किसी सहायता के यह काम कर लिया । माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि आज से १७ वर्ष पूर्व, जब महात्मा जी ने डांडी प्रयाण किया था, और जिस में श्री गोपालन भी साथ रहे, भारत भूमि से अंग्रेजों को हटाया गया था । और अब यदि अमरीकी इस भूमि पर अपना कदम जमाना चाहते हों तो उन्हें याद रखना चाहिये कि पूर्वी भारत के अंग्रेज उन्हें सात दिन में यहां से निकाल देंगे । आप को हमारी राष्ट्रीयता, हमारी देशभक्ति और हमारे साहस पर कोई भी विश्वास नहीं . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अध्यक्ष को सम्बोधित करें ।

श्री जोशिम अलवा : जब तक हम में देशभक्ति की भावना और साहस पैदा नहीं होते तब तक हम शत्रुओं का मुकाबला भी नहीं कर सकते ।

प्रस्तुत आयव्ययक दृढ़ विचार धारा पर आधारित है, और बहुत कठिनाइयों के बाद हमारे सामने आया है । सन् १९४६ में श्री लियाकत अली खां द्वारा प्रस्तुत आयव्ययक ने भारतीय अर्थ व्यवस्था को बड़ा भारी धक्का पहुंचाया । उन के इरादे बहुत ही घृणित थे और वह चाहते थे कि सभी हिन्दू पूंजीपतियों को समाप्त कर दिया जाय । व्यापार लाभकर, पूंजी लाभ कर तथा आय कर जांच समिति के सम्बन्ध में उन्होंने जो भी प्रावधान किये थे उन से भारतीय अर्थ व्यवस्था को बड़ा भारी धक्का लगा था । इस में सन्देह नहीं कि श्री शङ्मुखम् चेट्टी तथा डा० मथाई ने उन दिक्कतों को दूर करने के प्रयत्न किये हैं किन्तु अभी भी हमारे सामने बहुतेरी कठिनाइयां हैं ।

सन् १९५० के आयव्ययक भाषण में मैं ने कहा था कि जो कोई भी पार्टी, वह कांग्रेसी हो अथवा साम्यवादी, जमीन की समस्याओं को सुलझा सकती है, वही जमीन का स्वामित्व प्राप्त कर सकती है । और इस के लिये हमें भावी पांच वर्षों में प्रवीणता और निश्चय से काम लेना पड़ेगा ।

मेरी यह धारणा है कि हमें कदाचित् शान्ति के सम्बन्ध में किसी निश्चित नीति की घोषणा करनी पड़ेगी । अभी कुछ समय हुआ जब दिल्ली के ऊपर एक हवाई जहाज उड़ान कर रहा था, किन्तु कोई भी उस को पहचान नहीं सका । आप को शायद इस बात का ध्यान होगा कि ब्रिटेन ने भारत तथा पाकिस्तान को शस्त्र भेजने के लिये एक गुप्त तथा एक घोषित सूची बना रखी है । तो उस हवाई जहाज ने भारत भर में एक सनसनी पैदा कर दी । हमें इन बातों का भी ध्यान रखना है । शान्ति के सम्बन्ध में मुझे कुछ अच्छे शकुन दिखाई दे रहे हैं । अभी कुछ दिन हुए जब पश्चिमी पंजाब के मुख्य मंत्री श्री दौलताना ने मुख्य मंत्री श्री सच्चर को चाय पर बुलाया था और कहा था कि हमें अब यह देखना होगा कि दोनों प्रान्तों की रक्षा सेनाओं और पुलिस दलों की आपस में कैसी निभेगी । शायद है कि इस प्रकार हम एकता और मैत्री स्थापित कर सकें ।

मैं करवार का रहने वाला हूं । यह गोआ के पड़ौस में है, जहां पुर्तगाली अमरीकियों

की सहायता से हवाई अड्डे बना रहे हैं, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि कहीं पुर्तगाली किसी प्रकार की गड़बड़ तो नहीं फैलाते । हमारी सरकार को चाहिये कि गोआ से पुर्तगालियों को और पांडिचेरी से फ्रांसीसियों को बाहर निकाल दे ।

पत्तनों के सम्बन्ध में भी मैं एक शिकायत करना चाहता हूं । ब्रिटेन एक छोटा सा देश है, फिर भी वहां २५ पत्तन हैं जिन से उस ने बहुत सा धन कमाया है । और भारत जैसे बड़े विशाल देश में ३० पत्तन बनाये जा सकते थे किन्तु योजना आयोग ने इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। करनाटक में करवार के निकट की भूमि बहुत ही समृद्ध है जो सोना उगल सकती है, किन्तु सरकार ने इस ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया है । करनाटक राज्य की अपनी अलग सत्ता होनी चाहिये, और इसके सभी संसाधनों और प्रभविष्णुताओं का विदोहन किया जाना चाहिये । इस राज्य के पश्चिमी तट पर आप माल्य, करवार और भटकल में दो-तीन पत्तन बना सकते हैं, और वहां समुद्र के पास से आप को काफी मछलियां भी प्राप्त हो सकती हैं, किन्तु यहां के मछली पकड़ने के तरीके बहुत ही दकियानूसी हैं और उन में आप को परिवर्तन करना पड़ेगा ।

काश्मीर के सम्बन्ध में बहुत ही विवाद हुआ है । मैं नहीं समझता कि काश्मीर के प्रत्येक नागरिक को भी यहां के मूल अधिकार क्यों नहीं दिये जायें, और मूल अधिकारों का यह प्रश्न भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष क्यों निर्दिष्ट नहीं किया जाय ।

अब आप प्रेस कमीशन के प्रश्न को लीजिये । आयव्ययक में इस का कोई भी उल्लेख नहीं हुआ है । इंगलैंड में उन दिनों ४,००० पत्रिकायें छपती थीं जब रायल कमीशन (साम्राजीय आयोग) की स्थापना हुई थी । तब विज्ञापनों का प्रश्न पैदा होता है । अब देखिये कि आज भी विज्ञापनों के सम्बन्ध में आंग्ल-सैक्सेन प्रजातन्त्रों का ही आदेश चलाया जाता है । भारत में लगभग ६,५३९ पत्र-पत्रिकायें छपती हैं, जिन में से दैनिक पत्रों की संख्या ५७८ है । इन पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिये ताकि इन पर विदेशी नीति का प्रभाव नहीं पड़े । प्रेस कमीशन को समाचार-पत्रों का सही प्रतिनिधि बनना चाहिये ।

अब आप फिल्म उद्योग को लीजिये । हमारी भारतीय फिल्मों में उन ही अमरीकी चित्रों की नकल उड़ाई जाती है जिन में हत्या, अपराध और यौन-भावना की चीजें दिखाई जाती हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे फिल्म उद्योग का राष्ट्रीयकरण हो और हमारे चित्र उच्च आदर्शों की स्वस्थ भावनायें प्रस्तुत करें । इन दिनों जब हमारे युवकों के समक्ष गन्दे नायकों के गन्दे आदर्श प्रस्तुत किये जाते हैं तो यहां की नई पौध के आदर्श विचार और जीवन मूल्यों में गड़बड़ पैदा हो जाती है ।

मुझे अपने संविधान के प्रति पूरा पूरा सम्मान है, किन्तु मैं समझता हूं कि संविधान बनाने वालों ने २० रुपये मासिक वेतन पाने वाले को उस समय ध्यान में नहीं रखा था । मेरा अभिप्राय संविधान के अनुच्छेद १९ से है जिस के अनुसार यहां के देशवासियों को वाक्स्वातन्त्र्य मिला है । उन्हें यह सुविधा सभी प्राप्त है कि वह शान्तिपूर्वक एक साथ बैठ सकते हैं और देश के एक कोने से दूसरे कोने में जा सकते हैं, किन्तु खेद है कि इस में रोजगार (काम-धन्धे) दिलाये जाने के सम्बन्ध में कोई भी प्रावधान नहीं । योजना आयोग के निदेश के खण्ड (क) द्वारा, जिस में यह कहा गया है, कि यहां के सभी नागरिकों— वे पुरुष हों या स्त्री—को जीवन-यापन के लिये पर्याप्त धन कमाने का पूरा अधिकार प्राप्त है। हमें सभी देशवासियों के लिये काम ढूंढना पड़ेगा,

[श्री जोशिम अलवा]

और जभी हम सभी को काम-धन्धा दिला सकें, हमारा एक बड़ा काम पूरा हो पायेगा ।

मैं सदन में निर्वाचित हुए कुछ सदस्यों की ओर से अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं। वे सदस्य भिन्न भिन्न धर्मों और सम्प्रदायों के अवलम्बी हैं। यदि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष नहीं होता तो सदन में मुसलमान, सिख, पारसी ओर अन्य धर्मावलम्बी सदस्य दिखाई नहीं पड़ते । हिन्दू धर्म की सर्वतत्त्वावग्राहिता की सद्भावना के आधार पर ही हम लोग निर्वाचित हुए हैं——मैं विशेषतया हिन्दू धर्म के इस आदर्श का उल्लेख करना चाहता हूं जो आप को इस बात की शिक्षा प्रदान करता है कि आप अपने समान ही अपने पड़ौसी को समझें, और अपनी अपेक्षा उस से अधिक स्नेह करें। कितनी बड़ी बात है कि इसमें मनुष्य अपने हितों को भी छोड़ देता है। लीजिये स्वयं मैं एक शक्तिशाली समाजवादी उम्मीदवार के मुकाबले में चुना गया हूं। मेरा विश्वास है कि महात्मा गांधी के उच्च आदर्शों, और श्री जवाहरलाल नेहरू के कर्मठ आदर्श जीवन ने ही कांग्रेस को इतनी शक्ति प्रदान की कि अन्त में इसी की ही विजय हुई ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : नासिक के प्रतिनिधि सदस्य ने मुझ पर कुछ आरोप लगाये थे जब मैं श्री मोती लाल द्वारा दिये गये १९२५ के रेलवे आयव्ययक पर के भाषण को उद्धृत कर रहा था। माननीय सदस्य उस समय ब्रिटिश पक्ष का समर्थन कर रहे थे। मैं उक्त आरोपों को रद्द करना चाहता हूं क्योंकि मैं उस समय सक्रिय राजनीति में कोई भी भाग नहीं ले रहा था, और १९२५ के बाद मैं कालिज का विद्यार्थी था, अतः मेरे द्वारा अंग्रेजों का समर्थन होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री त्यागी : तब तो आप उम्र के छोटे होंगे ।

श्री एस० एस० मोरे : यह हो सकता है कि माननीय सदस्य ने स्वयं मुझे नहीं, अपितु उन दिनों की ग़ैर-ब्राह्मण पार्टी की ओर इशारा किया हो, खैर मैं उस पार्टी के उद्देश्यों के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहना चाहता; मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि स्वयं महात्मा गांधी ने दक्षिण भारत में इस रहस्य का उद्घाटन किया था कि उक्त पार्टी का कार्यक्रम उचित है, और यह भी कहा था कि उक्त पार्टी आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक सत्ता के विरुद्ध लड़ रही है। चूंकि महात्मा जी जैसे नेता ने ऐसी बात कही थी, अतः कालान्तर में वह ग़ैर-ब्राह्मण आन्दोलन कांग्रेस दल में ही विलीन हुआ । मेरे पास अभी भी दिवंगत सरदार पटेल के कुछ ऐसे पत्र पड़े हैं जिन में उन्होंने इस बात की सराहना की है कि महाराष्ट्र में ग़ैर-ब्राह्मणों ने ही कांग्रेस का साथ दिया, और इस संस्था को दृढ़ बनाया।

मेरे मित्र का कहना है कि मैं ने अंग्रेजों का साथ दिया। मान लीजिये उन की यह बात सही है——तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह कोई पाप है ?

श्री एस० वी० रामस्वामी (सलेम) : श्रीमान्, औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं कि क्या यह सदन आत्म कथा बांचने का स्थान है ?

श्री त्यागी : ऐसा लग रहा है कि मेरे मित्र ब्राह्मण हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह उत्तर देने का प्रयत्न कर रहे हैं। माननीय सदस्य भाषण जारी रखें ।

श्री एस० एस० मोरे : यदि आप कांग्रेसी नेताओं का जीवन-इतिहास पढ़ें तो आप को पता चलेगा कि प्रत्येक कर्मठ नेता के जीवन में जरूर ऐसे दिन हैं जब उसने अंग्रेजों का साथ दिया हो। उन का विश्वास था कि अंग्रेज

इरादों के अच्छे हैं अतः उन का साथ देने से शायद कोई अच्छी बात पैदा हो जायेगी। इस प्रसंग में मैं दादाभाई नैरोजी और जी० के० गोखले का उल्लेख करूंगा जिन्हें कई प्रतिक्रियावादियों ने ब्रिटिश ऐजेन्ट बताया था। पंडित मोती लाल नेहरू जी के संबंध में ही आप पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्म कथा का पृष्ठ २४ देखिये, जहां वे लिखते हैं :

> "मध्य वर्गियों के साथ रह कर पिता जी एक आक्रान्ता बने। बंगाल और पूना के कुछ एक नेताओं को छोड़ कर बहुत से कट्टर पन्थी छोटी आयु के थे, और इस बात से पिता जी क्रुद्ध हुए कि इतनी अपरिपक आयु के व्यक्ति अपने अपने रास्तों पर जा रहे हैं.... मैंने उन्हें एक पत्र में लिखा कि ब्रिटिश सरकार उन की राजनैतिक गतिविधियों से बहुत ही संतुष्ट है।"

हम विरोधी दल के सदस्य हैं, अतः हमारा कर्त्तव्य है कि कांग्रेस की बुराइयों की आलोचना करें। आश्चर्य है कि जब भी हम आलोचना करते हैं, हम पर आरोप लगाये जाते हैं, और कहा जाता है कि हम ने बुरी और विध्वंसकारी नीयत से ऐसी बातें कही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे बीच में बोलने का अवसर दीजिये। मैं देख रहा हूं कि इस विवाद में व्यक्तिगत बातों का उल्लेख किया जा रहा है और असंगत बातें की जा रही हैं, अतः मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य प्रस्तुत विषय पर ही भाषण देंगे।

श्री एस० एस० मोरे : मैं आप का आदेश स्वीकार कर रहा हूं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मुझ से अनुचित बात कही गई थी।

अब मैं आयव्ययक के सम्बन्ध में ही बताना चाहता हूं।

कई माननीय सदस्य : वह अब कल पर अपना भाषण जारी रखें।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कल पर ही अपना भाषण रखें। अब सदन कल के ८-१५ म० पू० तक के लिये स्थगित किया जाता है।

इसके पश्चात् सदन की बैठक बुधवार ४ जून, १९५२ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।

GIPD—HS—371 PSD—6-7-53—285